खण्ड-255, अंक-10
शुक्रवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1887
(26 मार्च, 1965 ई0)

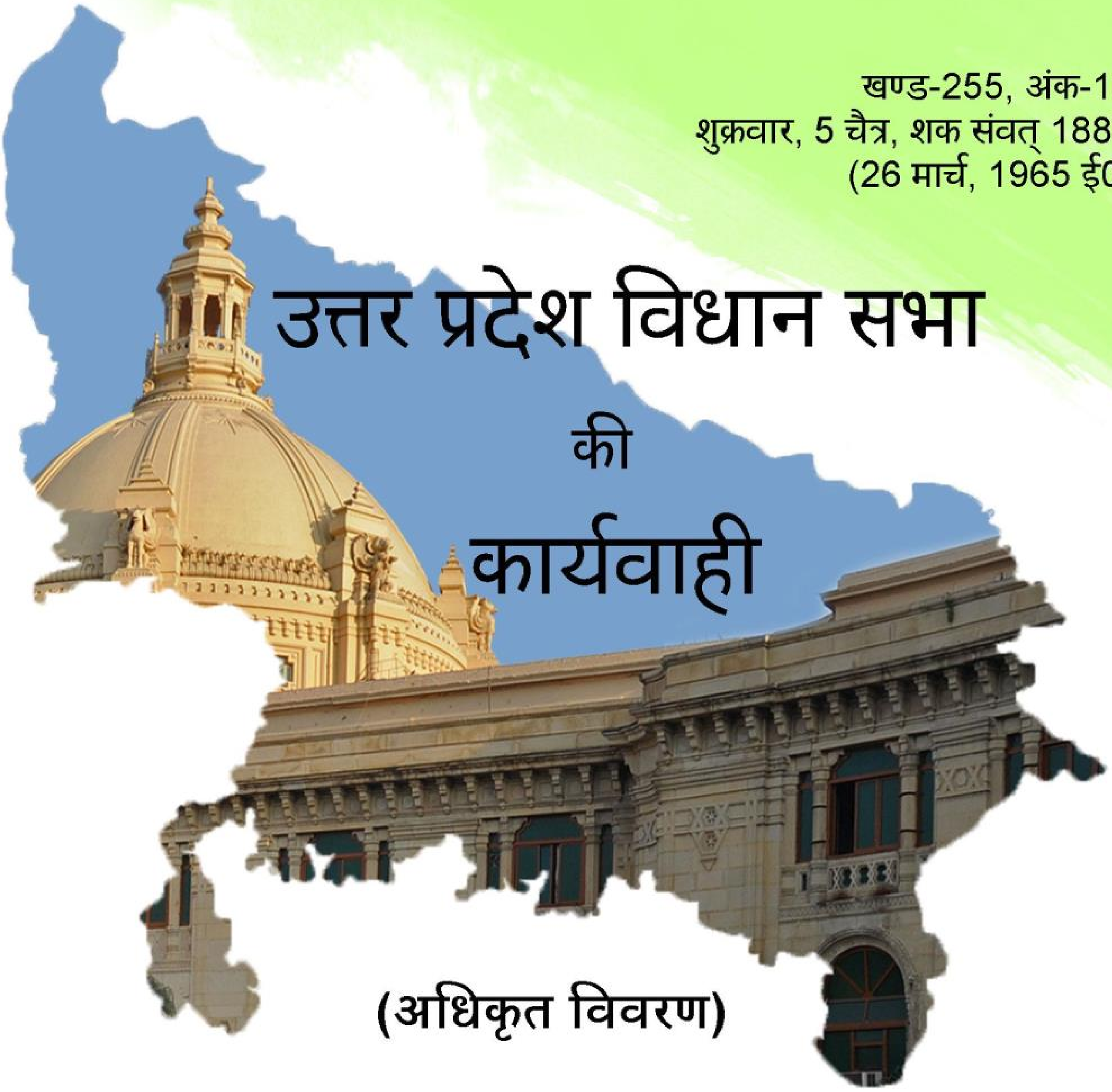

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 255 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | १०४५–१०४९ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | १०४९–१०९३ |
| प्रदेश के अध्यापकों की मांगों के संबंध में जानकारी की मांग .. | १०९३–१०९५ |
| रामपुर राज्य के सेवा निवृत्त सैनिकों तथा अन्य प्रतिरक्षा संबंधी कर्मचारियों को केन्द्रीय महंगाई भत्ता दिये जाने के संबंध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट) .. .. .. .. .. | १०९५ |
| कानपुर की कपड़ा मिलों में रविवार को काम करने की सरकारी आज्ञा के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (वक्तव्य के लिये स्वीकृत) .. | १०९६ |
| कानपुर–झांसी रेलवे लाइन पर डकैती पड़ने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | १०९६–१०९७ |
| अपराध निरोधक समिति के लिये ४ निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा | १०९७–१०९८ |
| श्री चन्द्रबलीसिंह के निलम्बन का समाप्तिकरण .. .. .. | १०९८ |
| नगर महापालिकाओं के चुनाव के संबंध में जानकारी की मांग .. .. | १०९८–१०९९ |
| १९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—सहकारिता (स्वीकृत) .. .. | १०९९–११५० |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ११५१–११६८ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

शुक्रवार, २६ मार्च, १९६५

---

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

## उपस्थित सदस्य--३७४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायण प्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरधरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्र सिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बख्तसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसतन्लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राजदेव, श्री
राजनार्थसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअवार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामराज त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ श्री (उपनाम चौबे)
रयासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
वैकरालाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर

विधान सभा सदस्य परिचय

श्री राम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

---

## प्रश्नोत्तर

---

## शुक्रवार, २६ मार्च, १९६५

---

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ]

*१—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[हटा दिया गया ।]

*२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ]

### शिक्षा विभाग के अस्थायी डेपूटेशन पर तथा निलम्बित अधिकारी

*१—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में ऐसे कितने गजटेड अफसर (नाम व पद सहित) हैं जिनको दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक प्रदेश से बाहर डेपुटेशन या फारेन सर्विस पर लगातार कार्य करते हुये चार या उससे अधिक वर्ष पूरे हो गये हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

१—डा० एस० जी० तिवारी, प्रोफेसर अर्थ शास्त्र, राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल।

२—कुमारी सत्यभोला उप-विद्यालय निरीक्षिका, बरेली।

*२—श्री नवलकिशोर—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में ऐसे कितने गजटेड अफसर हैं जिनको अस्थायी तौर से दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक कार्य करते हुये एक वर्ष से ऊपर हो गया है, परन्तु नियमानुसार उनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग से अभी तक नहीं मांगी गई है? यदि हां, तो वे कौन हैं (नाम व पद सहित) और कब से?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११५१ पर)

*३—श्री नवलकिशोर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई नान-गजटेड कर्मचारी हैं जो सस्पेंड कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११५२–११५३ पर)

श्री नवलकिशोर—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि डाक्टर एस० जी० तिवारी और कुमारी सत्याभोला डेपुटेशन पर कितने समय से हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

डाक्टर तिवारी १ दिसम्बर, १९५८ से और कुमारी सत्याभोला १८ सितम्बर, १९५३ से डेपुटेशन पर हैं।

श्री नवलकिशोर—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि साधारणतया यह नियम तीन वर्ष का होता है। तो क्या विशेष कारण है जो इनका समय १२ साल और ७ साल से ज्यादा हो गया है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये कोई समय की बात थी नहीं, वहां पर लोगों ने चाहा तो इतने दिन से चल रहे हैं। यहां से भेजे गये थे, कोई विशेष बात हुई नहीं।

श्री नवलकिशोर—

हालांकि मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ, खैर प्रश्न संख्या २–३ के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि गजटेड और नानगजटेड आफिसर ६–६ साल से बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के अप्रूवल के या कन्फरमेशन के जो पड़े हुए हैं, उसका क्या विशेष कारण है? शिक्षा विभाग को एक साल के अन्दर लोक सेवा आयोग का अप्रूवल लेना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग को क्या कठिनाई है जो अप्रूवल नहीं लिया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जो प्रश्न २ के संबंध में भेजे गये थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने तो इसमें से उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्हीं की स्वीकृति इसमें आवश्यक थी। उन्होंने अपने कैंडीडेट्स चुने हैं, जो इनका स्थान ले लेंगे। प्रश्न संख्या ३ के संबंध में तालिका में स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी प्रश्न संख्या २ के संदर्भ में बताएंगे कि कितनी बार आपने इन कर्मचारियों की लिस्ट लोक सेवा आयोग के सामने भेजी और कब भेजी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने एक बार भेजा गया, यह ९ पदों का मामला है, इसमें से उन्होंने स्वीकार नहीं किया इनको। इस कारण दूसरा विज्ञापन किया और उन्होंने अपना चुनाव किया है। अब वह लिस्ट आ गई है और थोड़े ही दिनों में विधिवत कार्यवाही हो जायगी और दूसरे चार्ज ले लेंगे।

श्री नवलकिशोर—

मंत्री जी के उत्तर से क्या मैं यह समझूं कि जो १२ आदमी हैं उनको लोक सेवा आयोग ने स्वीकार नहीं किया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसमें स्थिति इस प्रकार है कि नम्बर ३ से ११ तक एप्रूव नहीं किया गया और नम्बर १२ के स्थान पर भी दूसरे का चुनाव हो चुका है। नम्बर १ व २ इसमें से बाकी रह गये हैं। जिनके नाम अभी किन्हीं कारणों से नहीं जा सके इनके बारे में दोबारा राय ली जायगी।

श्री नवलकिशोर—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि नम्बर ३, ४, ५, और ६, १९५८ के हैं, इनके नाम लोक सेवा आयोग को कब भेजे थे और उस पर क्या निर्णय हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पारसाल भेज दिये गये थे और उसके बाद उन पर फैसला हुआ है कि जो १९५८ के हैं नम्बर ३, ४, ५, व ६, ये सब के सब नाम भेजे गये और इसके साथ और भी हैं। नम्बर ७, ८, ९, १० और ११ इनके नाम भी गये और इसके बाद रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने अपनी लिस्ट भेजी है, उस पर दुबारा विचार हो रहा है।

## घाघरा पर दोहरीघाट का पुल निर्माण

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी पर पुल बनाने का कार्य कब से प्रारम्भ होगा तथा सम्बन्धित सड़क का निर्माण दोहरी घाट कस्बे में कब से शुरू होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

जब तक पुल तथा उसको मिलाने वाली सड़क के आगणन पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय, तब तक यह बताना सम्भव नहीं है कि इन पर कब कार्य आरम्भ होगा।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट कस्बे के कितने परिवारों के कितनी-कितनी लागत के मकान गिराये जायेंगे तथा उनको नये सिरे से बसाने का क्या और कब प्रारम्भ किया जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गिराये जाने वाले मकानों का पूर्ण विवरण संलग्न सूची में है। गृहविहीन व्यक्ति अगर चाहेंगे, तो उनको दोहरी घाट के निकटवर्ती ग्रामों में निहित उपलब्ध भूमि पर बसाने का प्रबन्ध किया जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११५४ पर)

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट कस्बे की कितनी खेती की भूमि उक्त सड़क के लिये ली जायेगी और किस दर से मुआवजा दिया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस कस्बे में ९.३७५ एकड़ स्थाई रूप से तथा २७.३८७ एकड़ अस्थाई रूप से खेती की भूमि ली जायगी। उसका मुआवजा नियमानुसार भूमि की स्थिति एवं दशा को ध्यान में रखते हुये उस समय के प्रचलित बाजार भाव के आधार पर निर्धारित किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दोहरीघाट पुल का आगणन सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कितनी बार भेजा है और अब तक स्वीकृति न आने का क्या कारण उनकी नजरों में है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पहले भी यह प्रश्न आया था और मैं उत्तर दे चुका हूं कि इसके सिलसिले में आगणन केन्द्रीय सरकार के पास दो बार गये और स्वयं भी बातचीत की। उनका कहना है जितनी जल्दी हो सकेगा आगणन को स्वीकार करके भेजेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी को याद है कि उन्होंने इस सदन में एक सवाल के उत्तर में कहा था कि पुल बनाने के पहले पीपों का पुल बना करके यातायात सुलभ करा देंगे। यदि हां, तो उसके संबंध में भारत सरकार का क्या उत्तर आया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

दोनों ही के बारे में भारत सरकार से प्रयत्न किया जा रहा है। पक्के पुल में चूंकि ३–४ साल का समय लग सकता है, इसलिये पीपे के पुल के लिये भी कहा जा रहा है और उसका आगणन शायद जल्दी स्वीकार हो जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिन घरों की कीमत इस तालिका में दी गयी है यह कीमत अधिकारियों ने अपने मन से रखी है या घर वालों से भी पूछताछ की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह कीमत अधिकारियों ने वहां की स्थिति को देखकर निर्धारित की है और यदि इसमें कोई एतराज होगा तो उसको सुनने के बाद इसमें परिवर्तन भी हो सकेगा।

श्री बृज बिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी प्रस्तावित सड़क को दोहरीघाट कस्बे के पूर्वी भाग से बाहर ही बाहर ले जाने की कृपा करेंगे, ताकि कस्बे का कोई मकान न गिराया जा सके?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह इस बात पर मुनहसिर होगा कि कहां होकर ले जाने में पुल का निर्माण हो सकता है और जहां पुल बनाना सम्भव होगा, उसी हिसाब से एलाइनमेंट होगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

इस दोहरीघाट पुल के सिलसिले में पिछली बार जब चर्चा हुई थी तो मंत्री जी ने कहा था कि इस पुल का प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है, उसके बाद आज तक मंत्री जी ने उस प्राक्कलन को स्वीकार कराने के लिये कौन-कौन सी कार्यवाही की?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सिलसिले में मैं केन्द्रीय अधिकारियों से दो बार मिला और अभी वहां के एक कन्सल्टिंग इंजीनियर आये थे, उनसे भी बातचीत हुई है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस पुल का मामला बहुत दिनों से अटका हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से अन्तिम रूप से इस बात का पता लगा लेंगे कि यह पुल बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इस पुल के बारे में लोगों के मन में बहुत अनिश्चितता है और पता लगाने के बाद विज्ञप्ति जारी करेंगे। यह मामला आधे में न लटका रहे, इसके लिये ऐसी कोई कार्यवाही मंत्री जी करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह बात तो निश्चित है कि पुल बनेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब उसमें समय की बात है। उसके लिये प्रयत्न हो रहा है। जितना कर सकते हैं कर रहे हैं और किया जायगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

पीपे के पुल के सिलसिले में पिछली बार माननीय नरसिंहनारायण जी ने एक सुझाव दिया कि गोरखपुर के मानेराम स्थान पर पीपे बेकार पड़े हुए हैं और इसी प्रकार से बर्डघाट में पीपे बेकार पड़े हुये हैं और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उन पीपों को वहां भिजवाया जायगा। उस सिलसिले में मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मानेराम से पीपे यहां लाने का आदेश दे दिया गया है और दूसरे स्थान से भी, अगर वहां खाली होंगे तो लाये जायेंगे।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, अकसर यह देखा गया है कि पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी पुलों और सड़कों के सिलसिले में अच्छी से अच्छी भूमि किसानों की ले लेते हैं और उनके मकानों को उजाड़ देते हैं; तो क्या माननीय मंत्री जी माननीय मिश्र जी के सुझाव को मान कर एक बाई-पास सड़क बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने निवेदन किया कि टेक्निकल दृष्टिकोण से जो चीज सही होगी, वही हो सकेगा। इसके अलावा दूसरी बात सम्भव नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह बात सही है कि टेक्निकल अधिकारी की बात आप मानेंगे लेकिन वहां के जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और जो देहात के लोग मौके पर बात कहते हैं उस को भी तो आप देख लें। एक तरफ ९ एकड़ और दूसरी तरफ २७ एकड़ जमीन निकली जा रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी मौके पर जाकर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि कस्बे की इतनी उपजाऊ जमीन न जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आप जो भी सुझाव देंगे उसके प्रकाश में जो इंजीनियर इस काम को करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जो भूमि एक्वायर की जाती है उसमें प्राइवेट सेक्टर में लोगों को अधिक मुआवजा मारकेट रेट से मिल जाता है; तो क्या इस केस में उन लोगों को मारकेट रेट से ही मुआवजा देंगे जिससे उनको नुकसान न हो, क्योंकि नियमों के अनुसार मुआवजा उनको बहुत कम मिलता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

नियम तो इस समय मेरे सामने नहीं हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी नियम काश्तकारों के ज्यादा अनुकूल होंगे, उनके अनुसार ही उनको मुआवजा मिले।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अभी तो आपने उत्तर में कहा था कि प्रचलित बाजार भाव पर मुआवजा दिया जायगा, आप उसी चीज को रखें।

## गाजीपुर जिले में निर्माण-कार्य

*७—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में पी० डब्लू० डी० का डिवीजन कायम होने के बाद जिले के कार्यों में क्या प्रगति हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस डिवीजन ने इस जिले में चालू कार्यों पर १९६४–६५ में लगभग २३ लाख रुपये व्यय किया। ४ भवनों का तथा २ सड़कों का निर्माण-कार्य पूरा कराया। इस समय ११ भवनों तथा ९ सड़कों का निर्माण-कार्य इस डिवीजन के अन्तर्गत हो रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट यह है कि मैंने पूछा था कि गाजीपुर जिले में पी० डब्ल्यू० डी० का डिवीजन कायम होने के बाद जिले के कार्यों में क्या प्रगति हुई है लेकिन इसका जवाब इतना गोल दिया गया है जिसकी कोई हद नहीं है। केवल कुछ रोड्स और भवन के नाम दे दिये गये हैं।

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ४ भवन और दो सड़कें जिनका निर्माण कार्य पूरा किया गया है, उनके लिये सरकार से सैंक्शन कब मिला, उन पर काम कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है, अब इनके सैंक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाकी तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा सवाल यह है कि इनके लिये गवर्नमेंट से कब सैंक्शन मिला, कब काम शुरू हुआ और कब खत्म हुआ।

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। तिथियों की सूचना उनके पास नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तालिका में बतलाये गये ११ भवनों और ६ सड़कों के निर्माण-कार्य के लिए सैंक्शन कब मिला और इन पर काम कब शुरू हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तफसील आप देख सकते हैं। अगर अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो मैं इसे पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय सदस्य को तफसील दिखला देंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ४ भवनों का उन्होंने जिक्र किया है वे डिप्टी कलेक्टरों के क्वार्टर्स हैं और सरकारी अधिकारियों के दबाव पड़ने पर ही विभागीय डिवीजन ने यह कार्य आरम्भ किया है, लेकिन पटेल कमीशन ने गाजीपुर जिले में जिन पुराने पुलों और सड़कों के निर्माण कार्य के लिये रिकमेंड किया था उनके लिये ३–४ साल पूर्व सैंक्शन मिलने के बाद भी किसी के ऊपर भी आज तक कार्य नहीं आरम्भ किया गया है ? यदि हां, तो उन पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिन ४ भवनों के लिये माननीय सदस्य ने ४ डिप्टी कलक्टरों के रेजिडेंस बनाने की बात कही है, उसके सम्बन्ध में मेरे पास जो सूचना है वह उससे भिन्न है। एक भवन तो है आयुर्वेदिक औषधालय, भीमापार का, दूसरा है राजकीय बीजा विद्यालय, गाजीपुर का, तीसरा है राजकीय अस्पताल गाजीपुर का १६ बिस्तरों का, चौथा है सिविल सर्जन का निवास स्थान। इनमें डिप्टी कलेक्टरों का कोई नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

नयी स्कीम में जो आये हैं उन पर अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

श्री कमलासिंह यादव—

भीमापार के जिस भवन का जिक्र किया गया, उसके लिये ८ साल पहले सैंक्शन मिला था जबकि अब जाकर काम पूरा हुआ है। इसका कारण यह है कि गाजीपुर में एक ऐसा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भेजा गया है जिसके नीचे ४ असिस्टेंट इंजीनियर्स और २२ ओवरसियर्स गलत तरीके से काम करते हैं, इसीलिये वहां कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता। वहां की जिला परिषद् ने एक प्रस्ताव भी पास करके इस सम्बन्ध में भेजा लेकिन उसके कोई खिलाफ कार्य वाही नहीं की गई है जिससे वहां कोई कार्य आरम्भ नहीं हो रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अगर जिला परिषद् से कोई प्रस्ताव पास होकर आयेगा तो उस पर गम्भीरता से जरूर विचार किया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि पी० डब्ल्यू० डी० का गाजीपुर में जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है वह बिलकुल कोई काम इस समय नहीं करता जिससे जनता में भी सरकार की स्थिति हास्यास्पद हो गयी है, और इस सम्बन्ध में जिला परिषद् ने भी प्रस्ताव पास किया है, क्या इसकी जांच अपने किसी उच्च अधिकारी को भेज कर कराने की कृपा करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अगर आप कोई लिखित सूचना देंगे तो मैं इसकी जांच करा लूंगा।

## गोरखपुर तथा लखनऊ क्षेत्र के नार्मल स्कूल

*८—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और गोरखपुर रीजन से कौन-कौन महिलायें एच० टी० सी० की ट्रेनिंग में सन् १९६४–६५के सेशन में जिला परिषदों में कार्य करने वाली अध्यापिकायें थीं जो भेजी गईं और उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता तथा सर्विस का पीरियड कितना-कितना था?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वांछित सूचना संलग्न †सूची, 'क' में दी गई है।

*९—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ और गोरखपुर रीजन में पुरुष और महिलाओं के दीक्षा विद्यालय (एच० टी० सी०) कहां-कहां हैं और प्रत्येक में कौन-कौन अध्यापिकायें और अध्यापक हैं जिनको एक ही स्थान पर काम करते ५ वर्ष या अधिक हो गये और उनके ट्रांसफर क्यों नहीं किये गये?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वांछित† सूचियां "ख" तथा "ग" संलग्न हैं।

इन अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण इसलिए नहीं किये गये क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ५ वर्ष से अधिक एक स्थान पर अध्यापक/अध्यापिकायें न रहें।

श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या मंत्री जी हमारे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति इन लोगों का भी तबादला ५ साल पूरे होने से पहले ही कर दिया जाय?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अध्यापकों के सम्बन्ध में इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती।

## सिकन्दराबाद तहसील में चकबन्दी खर्च की वसूली

*१०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, में किसानों से चकबन्दी का खर्चा, जो पहले वसूल हो चुका है, दुबारा वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

---

†छापी नहीं गई।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि किसानों से दोबारा चकबन्दी का खर्च वसूल हुआ है?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने कह दिया कि वसूल नहीं हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं चुनौती दे रहा हूं कि दोबारा वसूली हुई है, क्या मंत्री जी इसकी कोई निजी जांच करायेंगे?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिलाधीश द्वारा हमको तफसील में इत्तला मिली है कि कुछ जमाबन्दियां नुच गई थीं और वे पढ़ने योग्य नहीं थीं लेकिन यह माननीय सदस्य का भ्रम है कि दोबारा वसूली की जा रही है। ऐसी बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं मंत्री जी से भ्रम के निवारण के लिये ही निजी जांच के लिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

## बरेली जिला परिषद् के अध्यापकों का बकाया वेतन

*११—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिला परिषद् के अध्यापकों को सितम्बर, १९६४ से वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जिला परिषद्, बरेली के अध्यापकों को दिसम्बर, १९६४ तक का वेतन दिया जा चुका है। जनवरी तथा फरवरी, १९६५ का वेतन इसी मास (मार्च) में भुगतान किया जायेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर तक का वेतन कब दिया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

२४ मार्च के पहले ही दिया जा चुका है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जबसे यह विधान सभा बनी है ३ बार यह प्रश्न कर चुका हूं कि जिला परिषदों के अध्यापकों को ६–६ और ८–८ मास तक वेतन नहीं मिलता और परेशानी होती है, इससे पहले भी मंत्री जी बता चुके हैं कि रुपया नहीं है, ग्रेड नहीं दिया जा रहा है और ५ रुपया महंगाई भी नहीं दी जा रही है और इसकी जांच का आश्वासन भी मंत्री जी दे चुके हैं, वह २–३ मास का वेतन देकर बार-बार टाल देते हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आगे फिर प्रश्न की आवश्यकता न पड़े और दूसरे तीसरे मास उन लोगों को वेतन स्वयं ही मिल जाया करे?

श्री अध्यक्ष—

वह तो पहले भी आपको आश्वासन दे चुके हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, एक बार मंत्री जी कह दें कि उन्हें समय से वेतन अवश्य दिया जाया करे .....

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न तो रिकार्ड पर रहेगा।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

श्रीमन्, अनेक बार शिकायतें आती हैं कि न्यूनतम वेतन पाने वाले कई-कई मास तक वेतन नहीं पाते; तो क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि जब तक अध्यापकों को वेतन न दिया जाय तब तक कार्यालय में काम करने वाले किसी कर्मचारी को वेतन न दिया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माननीय सदस्य भी उस संस्था के सदस्य हैं और जैसे नियम लागू करना चाहें, वैसे लागू कर सकते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बरेली जिला परिषद् में भवन निर्माण पर अधिक रुपया खर्च किया जाता है और फिर उन्हें प्राइवेट लोगों को दे दिया जाता है, इसके कारण वहां के टीचर्स को वेतन नहीं दिया जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

## शाहजहांपुर में ओवर-ब्रिज मार्ग

*१२—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर शहर में ओवर-ब्रिज का रास्ता कब तक काबिले इस्तेमाल हो सकेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसका निर्माण कार्य नवम्बर १९६४ में प्रारम्भ किया गया था। इसको जल्दी ही पूरा कराने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री मुहम्मद रफी खां—

श्रीमन्, मेरा शहर जो है वह दो हिस्सों में बंटा हुआ है। तो माननीय मंत्री जी इसका वायदा कर लें कि वे कब तक इस ओवर-ब्रिज को बनवा देंगे।

श्री जगनप्रसाद रावत—

कोई तारीख तो निश्चित नहीं बता सकूंगा, लेकिन यह पुल शीघ्र ही बन जायगा।

श्री मुहम्मद रफी खां—

इसको पूरा करने के लिये कोई साल ही बता दीजिए।

श्री जगनप्रसाद रावत—

जैसा मैंने निवेदन किया, साल का सवाल नहीं है। जल्द इसलिए हो जायगा क्योंकि जो कठिनाइयां थीं वे अब दूर हो गयी हैं और अब जल्द ही काम आरम्भ हो जायगा।

## बहराइच जिले में जूनियर हाई स्कूल

*१३—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में कौन-कौन प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल जिला विद्यालय परीक्षक द्वारा स्वीकृत हैं; क्या सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११५५ पर)

*१४—श्री रामअधार कनौजिया—

शिक्षा को देश की प्रगति का आधार मानकर क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड क्षेत्र में एक-एक हाई स्कूल खोलने की कृपा करेगी या इसके लिये स्थानीय जनता को प्रोत्साहित करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

शासन द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के खोलने की या जनता द्वारा उन्हें खुलवाने की कोई योजना नहीं है। जनता इन स्कूलों को अधिक से अधिक संख्या में खोलने के लिये स्वयं ही प्रयास कर रही है।

इस प्रकार खोले गये स्कूलों को नियमानुसार मान्यता एवं सहायिक अनुदान दिया जाता है।

श्री रामअधार कनौजिया—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में इस समय जो १८ जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं, इनमें से अभी तक ४ को सहायता दी है शेष को सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

४ नहीं, ८ को दी गयी। ४ ने कोई सहायता के लिए प्रार्थना नहीं की है और बाकी जो हैं वे अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं, इसलिए नहीं दी गयी।

श्री रामअधार कनौजिया—

केवल १२ में से ४ को ही अनुदान दिया गया है और शेष को अनुदान नहीं दिया गया है; तो यह क्यों है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, ४ जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान १९६३–६४ में दिया गया। ४ को १९६४–६५ में दिया गया। ४ जिनमें जवाहर नेशनल जूनियर हाई स्कूल, श्रीराम जू० हा० स्कूल, चिलवरिया, जनकथा जू० हा० स्कूल बनकटा, बलभद्र जू० हा० स्कूल एरिया है, इन चारों ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिए। १३–१८ जो सूची में दिए हुए हैं जूनियर हाई स्कूल, कथरपुर, स्वामी विवेकानन्द जूनियर हाई स्कूल, महती, प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल, गडरा, चेतवन जूनियर हाई स्कूल, श्रीवसती, बुद्ध जूनियर हाई स्कूल, श्रीवसती, प्राइवेट जुनियर हाई स्कूल, कुरखहा; ये ६ अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं। इसलिए नियमानुसार अनुदान की सूची में नहीं लिए गए हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

इस सदन में नित्य प्रति इस बात पर विवाद होता है कि इन-इन विद्यालयों को अनुदान दिया और इन-इन को नहीं दिया गया; तो क्या सरकार कोई उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए कमीशन बनाने की सोच रही है ?

श्री रामनारायण पांडेय---

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

प्रश्न संख्या १४ में प्रश्न किया गया है कि क्या सरकार प्रत्येक विकास खंड क्षेत्र में एक-एक हाई स्कूल खोलने की कृपा करेगी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे भी कुछ ब्लाक्स हैं जिनमें कोई हाई स्कूल नहीं है, जैसे बनारस में नौगढ़ ब्लाक है, जो पिछड़ा हुआ ब्लाक है। उनमें हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो बहराइच का प्रश्न है। आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री ऊदल---

मेरा सवाल राज्य स्तर से सम्बन्धित है। प्रत्येक विकास खंड में जहां हाई स्कूल नहीं हैं उसके लिये सरकार आंकड़े इकट्ठा करेगी। बहुत से ब्लाक ऐसे हैं जहां हाई स्कूल आज भी नहीं हैं, वहां का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो वहां सरकार अपनी तरफ से हाई स्कूल खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जहां तक आंकड़े इकट्ठा करने की बात है, वह तो प्रयत्न किया जायगा और जहां तक खोलने की बात है, उस सम्बन्ध में तो मैं पहले ही पालिसी में निवेदन कर चुका हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

इस बात को देखते हुए कि जिन स्थानों पर ब्लाक हैं वे केन्द्रीय स्थान बन गये हैं, वहां बी० डी० ओज० तथा उनके दफ्तर के कर्मचारी रहते हैं, उनके बच्चों के लिये तालीम की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अगर सरकार यह निश्चित करे कि वह स्वयं स्कूल नहीं खोलेगी तो क्या वह स्कूल खोलने के लिये विशेष रियायत देने को तैयार है ताकि वहां लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा मिल जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

विशेष रियायत का प्रश्न नहीं उठता। अभी पहले ही पर्याप्त संख्या में जिन लोगों ने प्रयत्न किया है उनको ही सहायता दिया जाना बाकी है, इसलिये पहले जिन लोगों ने अब तक प्रयत्न कर लिया है और जहां की जनता जागरूक रही है जिसने प्रयत्न किया है, पहले उसी को सहायता देनी है और उसके बाद इस पर विचार होना चाहिये।

श्री रघुनाथसिंह--

१९५७ में सरकार ने देहाती क्षेत्र का सर्वे कराया था और उस सम्बन्ध में मोटी पुस्तिका भी छपी है और नक्शे भी बने हुए हैं, जिसमें देहात के पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं तथा इंटरमीडियेट कक्षाओं को खोलने की पूरी व्यवस्था की गयी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस एजूकेशनल सर्वे के अनुसार क्या पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा संस्थायें खोलने की वह व्यवस्था करेंगे।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जो लोग पिछड़े क्षेत्रों में संस्थायें खोल रहे हैं उनको मान्यता दी जा रही है और आर्थिक सहायता भी दी जा रही है....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि सन् ५७ में जो सर्वे हुआ था उसके अनुरूप कोई कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री दयाराम शाक्य—

मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि वह आर्थिक सहायता देंगे मान्यता प्राप्त स्कूलों को; लेकिन मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद कई वर्षों तक कई विद्यालयों को सहायता नहीं मिल पाती है और उसका कारण यह है कि स्थानीय जो इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स का आफिस होता है और मंडल आफिस होता है वहां रिश्वत नहीं दी जाती है, कुछ परसेंटेज नहीं दिया जाता है; तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि स्थायी मान्यता प्रदान जो संस्थायें हैं उनको अनिवार्य रूप से सहायता दी जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परसेंटेज की बात नहीं है । अभी तक लिस्ट पर चीजें आ रही हैं और ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सभी को सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

अभी माननीय मंत्री ने कहा कि जहां की जनता ज्यादा जागरूक है वहां पहले वह प्राथमिकता दे रहे हैं; तो यह जानते हुए कि शिक्षा की कमी है और कई क्षेत्र में जनता ज्यादा जागरूक नहीं है तो वहां भी माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि जो एडवांटेज ले पाते हैं उनको तो लेने दीजिये ।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—

अब जूनियर हाई स्कूल पास की कोई वकत नहीं रह गयी, उन लड़कों को मास्टरी तक नहीं मिलती; तो क्या माननीय मंत्री जी जिला परिषद् को इस तरह की इजाजत देंगे कि वे हाई स्कूल को चलाने का प्रयत्न करें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जिला परिषद् चाहती है हाई स्कूल चलाना, तो उसके लिये हम मना नहीं करते हैं ।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन, इसके पूर्व मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि देहात में जहां स्कूल खोले जाते हैं वहां उनको मान्यता देते हैं और अनुदान देते हैं । तो जब आपने सर्वे करा लिया है और जहां की जनता जागरूक नहीं है तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, जैसा कि माननीया रोहतगी जी ने भी पूछा है, वहां के लिये वे क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

केवल आर्थिक दृष्टि से जागरूकता का प्रश्न नहीं है लेकिन जागरूक विधायक जो वहां आते हैं वे जनता को प्रोत्साहित करके खड़ा करें, जिससे सहायता दी जा सके ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि सरकार की ओर से लड़के और लड़कियों, दोनों किस्म के, जूनियर हाई स्कूल खोले जाते हैं और मैं तालिका दे दूंगा कि हजारों स्कूल ऐसे हैं कि जहां गैर-सरकारी स्कूल हैं वहीं राजकीय स्कूल भी खोले गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर पहले से गैर-सरकारी स्कूल खुले हुये हैं वहां पर सरकारी स्कूल खोलने की क्या आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में सरकारी स्कूल क्यों नहीं खुलते हैं जहां गैर-सरकारी स्कूल नहीं हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, जहां पुराने राजकीय स्कूल हैं और वहां पर अगर नये प्राइवेट स्कूल खोले जाते हैं तो उसकी मुमानियत नहीं है।

## दुद्धी के प्राइमरी स्कूल टीचर्स का वेतन

*१५---श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी स्टेट (मिर्जापुर) में चल रहे राजकीय प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को पिछले फरवरी सन् १९६४ से अब तक वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक वेतन न मिलने के कौन-कौन से कारण हैं ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

इन अध्यापकों को फरवरी, १९६५, तक का वेतन दिया जा चुका है।

*१६---श्री रामप्यारे (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री उन समस्त सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिनके कारण उनको वेतन देने में लापरवाही हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वेतन वितरण में विलम्ब बजट में पर्याप्त धन न होने के कारण हुआ है, सम्बन्धित अधिकारियों को भविष्य में सचेत रहने के आदेश दे दिये गये हैं।

## वाराणसी जिला परिषद् के अध्यापकों को महंगाई भत्ता

*१७---श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिला परिषद् पिछले वर्ष अप्रैल, सन् १९६४, से ५ रुपये बढ़ी महंगाई को अपने कर्मचारियों तथा अध्यापकों को नहीं दे रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या सरकार ने जिला परिषद् वाराणसी को ५ रुपये बढ़ोत्तरी के हिसाब से रुपया अब तक दे दिया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जिला परिषद, वाराणसी, अपने अध्यापकों को १ अप्रैल, ६४, से बढ़े हुए पांच रुपये महंगाई भत्ते का भुगतान कर रही है। उक्त बढ़ोत्तरी अन्य कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने ५ रुपये बढ़ोत्तरी के हिसाब से एक अप्रैल, १९६४, से कब दिये हैं और जिला परिषद् वाराणसी ने कब से अध्यापकों को देना शुरू किया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, ३-१०-६४, २-१-६५ और २०-३-६५ को यह रुपया भेजा गया है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि अध्यापकों को यह देना शुरू किया है या नहीं ? यदि नहीं, तो कब से उनको मिलेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, उनकी सूचना के अनुसार वह दिया जा रहा है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५ रुपये महंगाई-भत्ता सभी जिला परिषद् के अध्यापकों को मिल रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो श्रीमन्, सब जगह है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

श्रीमन्, जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल खुले हुये हैं और दूसरे सरकार द्वारा अनुदान देकर राजकीय जूनियर हाई स्कूल खुले हुये हैं तो इनके अध्यापकों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इस समय सूचना हमारे पास जिला बोर्ड वाले स्कूलों की है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि जिला परिषद्, वाराणसी अध्यापकों को महंगाई भत्ता दे रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से सरकार ने दिया है तब से दे रहे हैं या पहले से दे रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि उक्त बढ़ोत्तरी अन्य कर्मचारियों के लिये लागू नहीं है, जब जिला परिषद् के अध्यापकों को यह महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो जो अन्य कर्मचारी हैं जैसे बाबू लोग उनको यह बढ़ोत्तरी महंगाई भत्ता ५ रुपये न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार विचार करेगी कि उनको भी यह भत्ता दे दिया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यों तो सभी बातों पर विचार हो रहा है, लेकिन अभी तक केवल अध्यापकों को महंगाई भत्ता ५ रुपया और देने का निर्णय हुआ है और वह दिया जा रहा है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन वाराणसी जिला परिषद् के अध्यापकों को कितना रुपया कितने महीने तक का दिया जा चुका है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जिस दिन से यह लागू हुआ है, तब से दिया जा रहा है । कब तक का दिया जा चुका है, वह तो मुझे यहां ज्ञात नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या सरकार इस बात के आदेश देगी कि जिला परिषद् के अध्यापकों को महंगाई भत्ता वेतन के साथ नियमित रूप से मिला करेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो इम्प्लायड है, श्रीमन्, महंगाई भत्ते में ।

## सहारनपुर जिले में सरकार द्वारा लिये गये ऋण की जांच

*१८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले में १९६२ के साल प्रान्तीय सरकार ने जो लोन फ्लोट किया था उसमें कितना धन संग्रह हुआ ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार १९६२ में प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी किये गये ऋण में सहारनपुर जिले में २२,७९,७०० रु० संग्रह हुआ था ।

*१९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस लोन के ओवर सब्सक्राइब हो जाने के बाद तहसीलदार रुड़की ने छः हजार रुपये जिला कलेक्टर सहारनपुर को और लाकर दिया ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जिला मैजिस्ट्रेट ने यह धन किसी मद में खर्च न करके अपने ही पास रख लिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सारे केस की उच्च स्तर पर जांच करा के मुनासिब कार्यवाही करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

इस सम्बन्ध में शासन ने जिलाधीश, सहारनपुर से सूचना मांगी थी, जिससे पता चलता है कि ऋण के ओवर सब्सक्राइब हो जाने के बाद नायब तहसीलदार, रुड़की ने ६,००० रु० सिटी मैजिस्ट्रेट सहारनपुर को वापस कर दिया था । सिटी मैजिस्ट्रेट ने वह रुपया तत्कालीन जिलाधीश को सौंप दिया था, जो उन्होंने अपनी गोपनीय अलमारी में रख लिया था । मामले की जांच अभी जारी है और पूर्ण विवरण प्राप्त होने पर शासन द्वारा उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह रुपया जो नायब तहसीलदार, रुड़की ने जिला मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर को पहली सितम्बर, १९६२ को लाकर दिया और मैजिस्ट्रेट का तबादला ४ सितम्बर को वहां से मुजफ्फरनगर के लिये हो गया है, तो वह रुपया कब से कब तक कलेक्टर साहब की अलमारी में पड़ा रहा और उसका क्या कारण था ?

श्री जयराम वर्मा—

इसके सम्बन्ध में इन्क्वायरी हो रही है, लेकिन जिलाधीश का कहना यही है कि उन्होंने अलमारी में रुपया रख दिया था और वह भूल गये थे और जब उनसे इसके बारे में पूछताछ की गयी तो उन्होंने वह रुपया उसी अलमारी से निकाल कर दिया और जो अब खजाने के डबल लाक में जमा कर दिया गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

वह रुपया सहारनपुर में ही पड़ा रहा था या जब कलेक्टर साहब का तबादला हुआ तो वह रुपया वहां लेकर चले गये थे—क्या यह सही है ? ऐसा तो नहीं हुआ कि वह रुपया वहां न रहा हो और जब जांच शुरू हुई तो कहीं से दे दिया हो ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, इसके बारे में सारे मामले में जांच हो रही है, लेकिन अभी जो सूचना है उसके अनुसार जिलाधीश सहारनपुर गये थे और कुंजी लेकर उसी अलमारी से रुपया निकाल कर दिया। इसके सम्बन्ध में अभी और आगे जांच की जा रही है। जब परी जांच हो जायेगी तो निर्णय होगा कि सही बात क्या थी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस इंक्वायरी के दौरान रुड़की के नायब तहसीलदार का सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान हुआ और जिसकी प्रतिलिपि शायद सरकार के पास आयी है, क्या मंत्री जी उसे पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, जब तक कि उसकी पूरी जांच न हो जाये, तब तक किसी एक का पूरा बयान सुना देना उचित नहीं होगा और न उससे कोई नतीजा निकलेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोन व कर्जा सबस्क्राइब हुआ था उसको रखने का जिलाधीश को कोई अधिकार है ? किस नियम के अन्तर्गत जिलाधीश ने वह रुपया अलमारी में रखा था ?

श्री जयराम वर्मा—

इन्क्वायरी हो रही है। उन्हें अपने पास रुपया रखने का अधिकार नहीं था।

श्री उग्रसेन—

लिखित उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने गोपनीय अलमारी में रखा था। तो क्या उन्होंने अपनी गोपनीय अलमारी में रखा या सरकारी गोपनीय अलमारी में वह धन रखा था ?

श्री जयराम वर्मा—

जिलाधीश के निवास-स्थान पर गोपनीय अलमारी हुआ करती है, उसी में वह कहते हैं कि रख कर छोड़ कर चले गये थे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जिसने रुपया लोन में सबस्क्राइब किया था उसकी क्या स्थिति है ? उसको रसीद अभी तक मिली या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

पूरी जांच हो जाय तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

लोन ओवरसबस्क्राइब हो जाने के बाद वह कहां रखा जावे, इसके बारे में नियम क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

ओवर-सब्सक्राइब हो जाने के बाद रुपया वापस कर दिया जाता है। जो देने वाला होता है उसको वापस मिलता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न करने के बाद ५ हजार रुपया जमा कर दिया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो मैंने बता दिया। तारीख तो नहीं मालूम लेकिन जांच के समय जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वह भूल गये और रुपया अलमारी में रख कर चले गये सहारनपुर से आकर उन्होंने उसी अलमारी से रुपया दिया था। यह सूचना हमारे पास है।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

जब नये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने चार्ज लिया तब उनको उस कान्फीडेंशल अलमारी की चाबी मिली होगी और क्या उन्होंने उसमें रुपया पाया था ? और अगर पाया था, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं जमा किया ?

श्री जयराम वर्मा—

मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उस अलमारी की कोई जांच नहीं की क्योंकि उनके पास कोई रिकार्ड नहीं था। इसलिये उस वक्त के जो जिला मैजिस्ट्रेट थे और सिटी मैजिस्ट्रेट, उनसे वह पूछताछ कर रहे थे कि उस रुपये का क्या हुआ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या इसी महीने की ८ तारीख को वहां के एस० पी० जो आजकल छुट्टी पर हैं वह सहारनपुर तशरीफ लाये थे और एम० एन० ए० साहब कानपुर जो सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे दोनों साहब तशरीफ ले गये और ३ दिन रहने के बाद और अच्छी तरह से जानने के बाद वह रुपया देने में कामयाब हुये, इसका क्या पूर्ण विवरण है ?

श्री जयराम वर्मा—

एम० एन० ए० साहब जरूर तशरीफ लाये थे, लेकिन एस० पी० आये या नहीं इसकी सूचना नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय मुख्य मंत्री जी की नीति इस सदन में स्पष्ट है, उन्होंने इस प्रकार की कई बार घोषणा की है कि अगर इस किस्म के कोई मामले हुये हैं तो वह उनके सामने प्रस्तुत किये जायं। तो क्या मंत्री जी मेरी इस राय को मानने के लिये तैयार हैं कि यह सारी फाइल माननीय मुख्य मंत्री जी के डिस्पोजल के लिये दे दें ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

वह क्यों, मैं ही जवाब दे दूं। यह मामला जब सरकार के सामने आया और जो भी इन्फार्मेशन आयी है उससे मेरे मन में भी कोई खुशी नहीं है। मेरे मन में भी बड़ी शंकायें हैं। इसलिये हम पूरी छानबीन करेंगे और जो भी कसूरवार होगा उसके ऊपर पूरी कार्यवाही करेंगे।

## गोरखपुर जिले में लेखपालों की नियुक्तियां

*२०—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया २१ अगस्त, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या २ के संदर्भ में बतायेगी कि १९६२ मार्च से अब तक किन लोगों की नियुक्ति हुई और क्या इसमें से किसी को बगैर वेटिंग लिस्ट का नम्बर आये ही रख लिया गया है ? यदि हां, तो ये कौन लोग हैं और इन्हें क्यों रखा गया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

लिस्ट से कुछ लोग एवजी पर रखे गये हैं। एक आदमी लिस्ट के बाहर का भी है। मुकम्मिल सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि मुकम्मिल सूचना प्राप्त करने के बाद क्या सरकार इसकी जानकारी हमें करा देने का कष्ट करेगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

जी हां।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अप्रशिक्षित अध्यापक

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, आजमगढ़ के अधीन कितने वर्षों से काम करने वाले कितने अप्रशिक्षित अध्यापक हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता, उम्र तथा श्रेणी क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पूर्ण सूचना अभी तक एकत्र नहीं हो पाई। कारण यह है कि जिला परिषद्, आजमगढ़ के अन्तर्गत लगभग १,१०० अप्रशिक्षित अध्यापक कार्य कर रहे हैं। इन सब की अवस्था, शैक्षिक योग्यता एवं श्रेणी के बारे में सूचना संकलित होनी है। इस कार्य में पर्याप्त समय एवं परिश्रम लगेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ ने तार द्वारा प्रार्थना की है कि उन्हें इसके लिए और कुछ समय दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कृपया आप देखें कि एक महीना २३ दिन आप के कार्यालय से गये सवाल को हो गया। वहां आफिस में यह सब सूचना होगी। परन्तु क्या कारण है कि सूचना नहीं दी जा रही है ? हमारी जानकारी यह है कि जो अध्यापकों की नियुक्ति योग्यता और अवस्था आदि की सूचनायें हैं वह सब जिला परिषद् के आफिस में हैं लेकिन इस की आड़ में यह सरकार बचना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार निश्चित तारीख बताये कि किस तारीख को इस की सूचना उपलब्ध हो सकेगी और सदन में दे सकेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

एक महीने का समय मैं और चाहता हूं।

बहराइच जिला परिषद् के अवकाश प्राप्त अध्यापकों का अवशेष धन

*२२—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बहराइच से सम्बन्धित ऐसे कौन-कौन कर्मचारी व अध्यापक हैं जो रिटायर्ड हो गये परन्तु उनका प्राविडेंट फन्ड व बकाया वेतन वृद्धि अभी तक नहीं दी गयी तथा वह धन कितना-कितना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

परिषद् से प्राप्त सूचना केवल उन्हीं रिटायर्ड कर्मचारियों के बारे में है जिन्होंने अपने धन के भुगतान के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं। परिषद् से प्राप्त तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११५६ पर)

*२३—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या यह सही है कि पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार परिषद् के अध्यापकों को जो वेतन में वृद्धि स्वीकृत हुई थी वह सन् १९६० से अब तक की बकाया है? यदि हां, तो कितना-कितना धन तथा किस-किस को परिषद् से पाना है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

परिषद् ने सूचित किया है कि कोई वृद्धि देना शेष नहीं है।

श्री रामअधार कनौजिया—

श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि जिला परिषद् बहराइच से सम्बन्धित ऐसे कौन-कौन कर्मचारी व अध्यापक हैं जो रिटायर्ड हो गये परन्तु उनका प्रावीडेंट फंड व बकाया वेतन वृद्धि अभी तक नहीं दी गई और उत्तर में केवल यह है कि जिन्होंने अपने धन के भुगतान के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं उनकी सूचना ही उनके पास है। तो क्या सरकार पुनः इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण जिला परिषद्, बहराइच से मंगाकर सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, जो आप की आज्ञा होगी वही करूंगा लेकिन अध्यक्ष, जिला परिषद् का जो आवेदन-पत्र है वह मैं पढ़ देता हूं। विधान सभा के सदस्य माननीय कनौजिया, परिषद् के सदस्य हैं। उपरोक्त विषय की जानकारी के लिये उन्होंने परिषद् में प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर विस्तार से परिषद् में दिया जा चुका है। यदि फिर भी कोई जानकारी करना आवश्यक है तो वे परिषद् के आफिस में आने का कष्ट करें यहां सारा रिकर्ड मौजूद है। कृपया यहां देख लें तो अच्छा हो।

श्री रामअधार कनौजिया—

यह सूचना मन्त्री जी ने अध्यक्ष, जिला परिषद् को सूचना के आधार पर दी है लेकिन अभी जिला परिषद् में १० हजार रुपया प्राविडेंट फंड में मुक्त अध्यापकों को देने के लिये १९४९-५० से बकाया है जो उनको अभी तक आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नहीं दिया जा सका है। यह स्पष्ट है कि १९४९-५० का धन अभी तक उन अध्यापकों और कर्मचारियों का पड़ा हुआ है। जब कि इस समय उनका संकट चल रहा है और उनके वेतन को भी बढ़ाने का प्रश्न है लेकिन उनका रुपया १९४९-५० से अभी तक उन को नहीं दिया गया है हालांकि उनको सेवा किये इतने दिन हो गये। तो क्या माननीय मन्त्री जी विशेष ध्यान देकर और इस मेरी जानकारी को सही मान कर मुक्त अध्यापकों के इस सारे धन को शीघ्र दिलाने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, स्थिति यह है कि यहां पर जिला बोर्ड में जब १९४९ में बढ़ोत्तरी हुई उससे १९५२ तक—१९५० तक नहीं—उन्होंने इसकी बढ़ोत्तरी वहां पर कार्यान्वित नहीं की। उसके बाद जो बढ़ोत्तरी हुई थी तो ज्यों-ज्यों आदमी रिटायर होते जा रहे हैं उनके प्रावीडेंट फंड के साथ वह रकमें वे एरियर मानकर उसका भुगतान करते जा रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय कनौजिया के प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में मंत्री जी ने बताया कि जिला परिषद् के अध्यक्ष ने इस प्रकार का एक पत्र लिखा है जिसमें कनौजिया जी के लिए निर्देश दिये गये हैं कि मंत्री जी उन को कहें कि अगर उन्हें कुछ देखना है तो परिषद् में आकर उन कागजात को देख लें। मैं आप की स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई इस प्रकार की बात एक जिला परिषद् के अध्यक्ष सुझाव के रूप में मंत्री जी को और कनौजिया जी के लिए कह सकते हैं कि वह प्रश्न भेजें और जवाब अध्यक्ष, जिला परिषद् दें और

यह कहें कि उत्तर जिला परिषद् में दिये जा चुके हैं और अगर नहीं देखे हैं तो आकर पूछ लें ? मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम २९, खंड (१२) कृपा करके देखें, "उसका स्थानीय निकायों अथवा अन्य अर्द्ध स्वायत्त निकायों के दैनिक प्रशासन से कोई संबंध नहीं होगा । किन्तु अध्यक्ष ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत कर सकेंगे जो उनके सरकार के साथ सम्बन्ध से उत्पन्न होते हों या जो विधि या नियमों के भंग होने से सम्बद्ध हों . . ."

अब यहां पर रिपोर्ट उन्होंने लिख कर दी है कि सारी बातें माननीय सदस्य ने पूछी और बता दी गयी थीं और यदि अब भी संदेह हो तो आ कर देख लें । तो मैं समझता हूं कि यही उचित उत्तर था ।

## सैदपुर-सादात मार्ग

*२४—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की भीतरी सादियाबाद रोड, सैदपुर, बहरियाबाद रोड, बिहारीगंज—मैहनादपुर तथा सैदपुर—चौचकपुर रोड, पटेल योजना के अन्तर्गत तथा अन्य मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत लेने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न में दी हुई सड़कों में से कोई भी सड़क किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हुई हैं ।

*२५—कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर-सादात रोड पर कब से काम लगाया गया है और अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है और इस रोड के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सैदपुर-सादात रोड का निर्माण सैदपुर एवं सादात ब्लाकों में क्रमशः ३ मील १.८० लाख रुपये की लागत तथा ७ मील ५ फर्लांग ४.५० लाख रुपये की लागत पर ग्रामीण जन-शक्ति योजना की द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में स्वीकृत है ।

इस सड़क का निर्माण-कार्य १९६३ में प्रारम्भ हुआ था, काम की प्रगति जनवरी, १९६५ तक नीचे दी हुई है :

सैदपुर-सादात रोड

(क) सैदपुर ब्लाक में

| | | | मील | फर्लांग |
|---|---|---|---|---|
| अर्थ वर्क | . . | . . . . | २ | ६ |
| बी० एन्ड सी० | . . | . . . . | २ | ४ |
| सोलिंग कोट क्लेक्शन | . . | . . . . | १ | ६ |
| इन्टर कोट क्लेक्शन | . . | . . . . | ० | २ |
| खर्चा | . . | . . ७४,८२० रु० | | |

(ख) सादात ब्लाक में

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अर्थ वर्क .. | .. | .. | ४ | २ |
| सोलिंग कोट कलेक्शन | .. | .. | १ | ४ |
| इन्टर कोट कलेक्शन .. | .. | .. | १ | ० |
| खर्चा .. | .. | ५०,५२६ रु० | | |

पूरा कार्य १९६६ तक समाप्त होने की सम्भावना है ।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि भीतरी-सादियाबाद रोड दो नेशनल हाई वे वाराणसी-बलिया और वाराणसी-आजमगढ़ को मिलाती हैं और केवल ५ मील बननी बाकी है, तो क्या इस बकिया हिस्से का निरीक्षण करके उनको अपनी किसी योजना में शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

आप सुझाव दीजियेगा तो उस पर जरूर विचार करेंगे और जो सम्भव हो सकेगा वह करने की कोशिश करेंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें कच्ची सड़कों के रूप में इस विभाग के पास वर्षों से हैं, क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उनको पक्का बनवाने में उनको उच्चतम प्राथमिकता देंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

सब की बाबत तो नहीं कह सकता, जितने को ले सकेंगे, उनको जरूर लेंगे ।

श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)---

जो नयी सड़कों का निर्माण सरकार ने लिया है उन पर मकान और खेत गरीब किसानों के पड़ते हैं, क्या उन मकानों के बजाय मकान बनाने का कष्ट करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इस सम्बन्ध में जो भी नियम हैं वे बरते जायेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव---

दो सड़कें हैं, एक भितरी--शादियाबाद तथा दूसरी बिहारीगंज-नेदनाइपुर । यह रजवारीपुर रोड से शुरू होती है । यह दोनों दो नेशनल हाईवे को मिलाती हैं । पहली सड़क का कुछ हिस्सा बना है और दूसरी का भी कुछ हिस्सा बना है । कुछ बाकी है । तारकोल रोड है । आजमगढ़ का पूरा हिस्सा बन चुका है, गाजीपुर का ६ मील का हिस्सा बाकी है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इन दोनों सड़कों को किसी योजना में शामिल करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इसके लिये जो आप के सुझाव आयेंगे उन पर विचार किया जायेगा ।

---

नोट---तारांकित प्रश्न २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

## सितारगंज के निकट कैलाश नदी पर बांध निर्माण योजना

*२६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैलाश नदी (जो कि आगे जाकर दौहा नदी में मिल जाती है) में पिछले बाढ़ के कारण जिला नैनीताल, पीलीभीत और बरेली का कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान हेतु काश्तकारों को क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पिछली बाढ़ में कैलाश नदी से इन जिलों में कोई हानि नहीं हुई। अतः बाकी प्रश्न नहीं उठता।

*२७—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार उस नदी को रोकने के लिये बांध बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह बांध का कार्य कहां और कब शुरू किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नैनीताल जिले की खटीमा तहसील में सितारगंज से १० मील दूरी पर बांध बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव को अस्थायी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

## खलीलाबाद तहसील से चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*२८—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में तहसील खलीलाबाद में इन दिनों कुल कितने सी० ओ० और ए० सी० ओ० हैं और उनके खिलाफ गत ६ महीनों के भीतर कई एक शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो कितनी और किस-किस के खिलाफ और सरकार ने उस पर कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद में ५ सी० ओ० तथा २६ ए० सी० ओ० हैं। कुल १३ शिकायतें आई। वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११५७–११५८ पर)

## बड़हलगंज का डाक बंगला

*२९—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में बड़हलगंज अफीम की कोठी, डाक बंगला और उसके साथ की भूमि सरकार ने अफीम विभाग से खरीद ली है ? यदि हां, तो सरकार ने डाक बंगले के रख-रखाव तथा उसके साज-सज्जा का क्या प्रबन्ध किया है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस डाक बंगले में साज-सज्जा को ठीक करने का इरादा है ? यदि हां, तो वह कब तक हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। भवन को खरीद लिया गया है और वह विभाग की देखभाल में है। इसकी साज-सज्जा में किसी प्रकार का अभी कोई परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

## गोरखपुर जिले में चकबन्दी के बाद लगान वसूली

*३०—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील में बृजमनगंज सी० ओ० सर्किल, पीपीगंज तथा फरेंदा सी० ओ० सर्किल में चकबन्दी के बाद मतरूक लगान किसानों से कुल कितना रुपया वसूल किया गया तथा १३७२ खरीफ फसली में किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी क्रियाओं के फलस्वरूप १३७२ फसली से पहले इस प्रकार के लगान की वसूली नहीं की गई।

अब तक की गई कार्यवाही के फलस्वरूप कुल ३,९२७ रुपये ८६ पैसे की धनराशि १३७२ फसली में वसूल की जानी है जो कि की जा रही है।

*३१—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि इस वसूली से कितने गांव ग्रसित हैं, उनके क्या नाम हैं और पहले वसूली न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१८ गांव ग्रसित हैं जिनके नाम क्रमशः इलाहाबास, कवलपुर, महुलानी, बैसार, बरजी, करखी, महदेवा, खरखोड़ा, जंगल, अगही, बन्हैता, झांगपार, गुलरिहा, लौकही, नवापार, मुहम्मदपुर, शिवलहिया, लक्ष्मीपुर तथा भरवरिया है।

१३७२ फसली से पूर्व इसकी वसूली सम्भव नहीं थी क्योंकि १९६२–६३ में चकबन्दी के दौरान में दुरुस्ती कागजात के कारण यह लगान कायम हुआ है।

## बुलन्दशहर में आनरेरी कोर्ट कर्मचारी, श्री अब्दुल कयूम खां का वेतन

*३२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में आनरेरी कोर्ट स्टाफ के जिन कर्मचारियों को गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार जिलाधीश बुलन्दशहर के आदेश से गवर्नमेंट के फायदे के लिये १ अप्रैल, १९४७ को कलेक्ट्री में मुस्तकिल जगह पर कुछ अरसे के लिये आरजी तौर से रखा गया था उनकी इस आरजी मुलाजमत को शुमार में लेकर उनका जी० ओ० नं० एच ११० (३) ६–२१०८–४९, ता० ७ जून, १९५० के अधीन वेतन वृद्धि की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो बावजूद गवर्नमेंट एडवोकेट की कानूनी राय ताईदी के रुकावट का सबब कानूनी क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बुलन्दशहर जिले में आनरेरी कोर्ट स्टाफ के केवल एक ऐसे कर्मचारी श्री अब्दुल कयूम खां थे जिन्होंने ७–२–१९४७ से २४–१२–१९४९ तक कलेक्टरी में अस्थायी रूप से काम किया। चूंकि श्री अब्दुल कयूम खां १–४–१९४७ को कलक्टरी में कार्य कर रहे थे अतः प्रश्न में उल्लिखित जी० ओ० जो आनरेरी कोर्ट स्टाफ के वेतन नियत करने के विषय में था, के अन्तर्गत उस तिथि को उनका कलेक्टरी के पद पर वेतन नियत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिला सरकारी वकील ने उक्त कर्मचारी वेतन वृद्धि के समर्थन में कोई राय नहीं दी थी।

## फर्रुखाबाद जिले में लड़कियों के स्कूलों को शिक्षा शुल्क क्षति-पूर्ति

*३३—श्री होरीलाल यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् तथा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा ७ व ८ की बालिकाओं की शिक्षा शुल्क की क्षति पूर्ति सरकार द्वारा १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में की गई है? यदि हां, तो फर्रुखाबाद जिले के कौन-कौन प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनको शिक्षा शुल्क की क्षति-पूर्ति का रुपया अभी तक नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## एटा जिले में वारंट गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जांच

*३४—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २९ सितम्बर, १९६४ को एटा जिलाधीश को जारी वारन्ट प्राप्त हुये जिनसे अमीनों ने किसानों से हजारों रुपया जाली वारन्ट दिखाकर लूटा? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। माननीय सदस्य से जिलाधीश को इन आरोपों के साथ ३ वारेन्ट गिरफ्तारी प्राप्त हुये थे। इसमें मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जा रही है।

## सिंकिया गांव सभा की भूमि

*३५—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सिंकिया, खण्ड विकास नवानगर, जिला बलिया ने १५ अप्रैल, १९६२ को एक प्रस्ताव पारित करके उस ग्राम की जंगल भूमि को वहां के भूमिहीन हरिजनों को देने का निर्णय किया है? यदि हां, तो क्या यह सच है कि वह भूमि उन्हें इसलिये नहीं दी जा रही है कि ग्राम के कुछ भूतपूर्व जमींदार बाधा पहुंचा रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*३६—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री रघुनाथ—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भूमि के निरीक्षण करने के लिये बलिया के जिलाधीश और कुछ अन्य जिलाधिकारी भी गये थे? यदि हां, तो उन्होंने उस निरीक्षण के बाद क्या कदम उठाये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिलाधीश व अन्य अधिकारी सिंकिया गांव सभा की कतिपय भूमि का निरीक्षण करने गए थे। उस भूमि को धारा १४५ के अन्तर्गत कुर्क कर लिया गया है तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

## मोतीलाल मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बासूपुर के प्रधानाचार्य का निलम्बन

*३७—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री उग्रसेन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के कौन-कौन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य निलम्बित हैं और इस काल में उन्हें कितना निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस एलाउन्स) दिया जा रहा है? क्या इसकी जानकारी डी० आई० ओ० एस० को है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—

केवल मोतीलाल मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बासूपुर (गाजीपुर) के प्रधानाचार्य निलम्बित हैं तथा उन्हें निलम्बन भत्ता (सब्सिस्टेन्स एलाउन्स) नहीं दिया जा रहा है। इसकी जानकारी डी० आई० ओ० एस० गाजीपुर को है।

*३८—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि गाजीपुर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति के बगैर की जाती है? यदि हां, तो क्यों और, इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री कैलाशप्रकाश—

गाजीपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति के पश्चात् की जाती है।

## विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ में अध्यापकों का महंगाई भत्ता

*३९—श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार दिनांक ४ सितम्बर, सन् १९६४ के प्रश्न सं० ६७ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि जब विद्यान्त हिन्दू डिगरी कालेज, लखनऊ में गिरानी भत्ता अध्यापकों को नहीं दिया जाता है, तब गत ५ वर्षों में विद्यालय में विद्यार्थियों से कितना गिरानी भत्ता लिया गया, वह रुपया कहां है तथा वह अध्यापकों में क्यों नहीं बांटा गया?

श्री कैलाशप्रकाश—

१९६३-६४ के अन्त तक २२,७५१ रु० गिरानी भत्ता लिया गया जिसमें से ७,८८४.१२ रु० लिपिक वर्ग तथा निम्न कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के रूप में व्यय किया गया। शेष धनराशि का व्यय अन्य मदों में हुआ है।

*४०—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस गिरानी के युग में उपरोक्त विद्यालय के अध्यापकों से प्राविडेंट फंड प्रतिवर्ष लिया जाता है या नहीं और प्राविडेंट फंड में प्रबन्ध समिति ने अपने हिस्से का ५ साल में कितना धन जमा किया है तथा प्रत्येक अध्यापक का प्राविडेंट फंड कितना-कितना है?

श्री कैलाशप्रकाश—

अगस्त, १९५८ से प्राविडेंट फंड की कटौती की जा रही है। प्रबन्ध समिति ने अपने भाग का कुछ नहीं जमा किया है। अलग-अलग लेखा न रखने के कारण प्रत्येक अध्यापक की अलग-अलग धनराशि ज्ञात नहीं हो सकी है।

*४१—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विद्यालय को तीन साल में सरकार से १० हजार रुपया वेस्ट बंगाल से आये हुये शरणार्थी विद्यार्थियों के लिये होस्टल बनाने के लिये दिया गया था ? वह होस्टल बना या नहीं ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शासन ने डिग्री कालेज को इसके निमित्त कोई अनुदान नहीं दिया है ।

*४२–४४—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

[सातवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १–३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

## गाजीपुर जिले में पी० डब्लू० डी० कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता

*४५—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी०डब्ल्यू०डी० वर्क चार्ज में काम करने वाले मेट और बेलदारों को ५½ रु० प्रतिमाह वेतन बढ़ोत्तरी देने का आदेश हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां ।

*४६—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

यदि हां, तो यह बढ़ोत्तरी टेम्पोरेरी डिवीजन, गाजीपुर के इस श्रेणी के कर्मचारियों को अब तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

टेम्पोरेरी डिवीजन, गाजीपुर के इन कर्मचारियों को भी यह बढ़ोत्तरी १–४–६४ से दी जा रही है ।

## बरेली क्षेत्र में बिक्री-कर कर्मचारियों पर मुकदमे

*४७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि असिस्टेंट कमिश्नर (जुडीशियल) बिक्री-कर (२), बरेली श्री विद्या सागर ने १९६२–६३ व १९६३-६४ वर्षों में अपीलों का फैसला देते हुये नीचे के बिक्री-कर अधिकारियों तथा सहायक बिक्री-कर अधिकारियों पर पक्षपात करके रिश्वत लेकर काम करने, लापरवाही से काम करने आदि के गंभीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

असिस्टेंट कमिश्नर (जूडीशियल) बिक्री-कर (२) बरेली श्री विद्यासागर ने १९६२–६३ वर्ष में अपीलों का फैसला देते हुए केवल ८ फैसलों में संबंधित बिक्री-कर अधिकारियों तथा सहायक बिक्री कर अधिकारियों के विरुद्ध पक्षपात करने तथा लापरवाही से कार्य करने के बारे में आलोचनात्मक वाक्य प्रयोग किये है । रिश्वत का किसी फैसले में आरोप नहीं है । इनमें से ५ मुकदमे न्यायाधीश (पुनरीक्षण) के समक्ष विचाराधीन है और अंतिम फैसला होने के पश्चात् ही कोई विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न उठता है । शेष तीन फैसलों से संबंधित मामलों में बिक्री-कर आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है ।

[२६ मार्च, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[आठवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४-६—श्री रियासत हुसैन—

[सातवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ११-१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गोमती नदी के नैपुरा घाट पर टोल-टैक्स की वसूली

*७—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में भेटरिया से टिकैतनगर तक जाने वाली सड़क को सरकार नये सिरे से बनाने का इरादा चौथी पंचवर्षीय योजना में कर रही है ? यदि हां, तो किस सन् तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह सड़क जिला परिषद् की है और इसके पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व परिषद् पर है ।

*८—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सैदरवानपुर स्टेशन से हथौधा जाने वाली सड़क पर कल्यानी नदी का पुल सरकार अगली पंचवर्षीय योजना में बनाने का प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब तक चौथी पंचवर्षीय योजना का आकार तथा उसके अन्तर्गत पुलों के निर्माण के लिए कितना धन उपलब्ध होगा निश्चित नहीं होता तब तक यह बताना संभव नहीं है कि कथित पुल उस योजना में सम्मिलित हो सकेगा ।

*९—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिले में गोमती नदी पर नैपुरा घाट पर जो पुल बना है उससे दिसम्बर, १९६४ तक कितना धन टैक्स के रूप में वसूल हुआ और कितना अभी शेष है ? इस समय नैपुरा घाट के स्टाफ में टैक्स वसूल करने वाले कौन-कौन हैं ? उनके वेतन क्या-क्या हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक इस पुल पर २,६२,२७७.६७ रुपये टौल द्वारा वसूल हुआ था तथा ५,६१,७२२.३३ रुपये की वसूली शेष है । टौल वसूली के लिये निम्नांकित कर्मचारी नियुक्त हैं:—

| | | महंगाई भत्ता समेत वेतन |
|---|---|---|
| | | रु० |
| एक खजांची एवं एकाउन्टेंट .. .. .. | | १७५ |
| एक बुकिंग लिपिक .. .. .. | | ११७ |
| एक बुकिंग लिपिक .. .. .. | | १०८ |
| दो रक्षक .. .. .. .. | प्रत्येक | ६७ |
| एक रक्षक .. .. .. .. | | ६५ |

## गोरखपुर जिले में सड़कों तथा राज्य में पुलों का निर्माण

*१०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टार ग्रिड फार्मूले के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में कितनी कच्ची तथा पक्की सड़कें बनाने की योजना थी ? उसमें से अभी तक कुल कितनी बन गई और कितनी नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

स्टार एन्ड ग्रिड फार्मूले के अन्तर्गत इस जिले में ४५२ मील पक्की सड़कें तथा १६०४ मील कच्ची सड़कों की आवश्यकता है । इसमें से ४०० मील पक्की सड़कों का निर्माण-कार्य पूर्ण हो चुका है, इसके अतिरिक्त ८० मील सड़कों का निर्माण कार्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । इन का निर्माण यथासमय पूर्ण किया जायेगा ।

कच्ची सड़कों के बारे में सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

*११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न पिछली योजनाओं के अन्तर्गत जो सड़कें तथा पुल बनने वाले थे वहां सड़कें तो बन गई परन्तु पुल के न बनने से सड़कें बेकार हो गई हैं ? उनके क्या कारण हैं तथा उस ओर सुधार हेतु अभी तक क्या-क्या कदम उठाये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पिछली योजनाओं के अन्तर्गत तथा योजनाओं के बाहर लगभग ३२० छोटे व बड़े पुलों का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ । उनमें से लगभग १८० पुलों का निर्माण-कार्य पूर्ण हो चुका है और वे पुल यातायात के लिये खोल दिये हैं, शेष पुलों का निर्माण कार्य प्रगति में है ।

पुलों के निर्माण के पूर्व उनके नक्शे तथा आगणन बनाने में काफी समय लगता है । इस समय को कम करने के लिये १० ब्रिज डिजाइन डिवीजन स्थापित किये गये हैं । सीमेंट की कमी के कारण भी पुलों के निर्माण में कुछ विलम्ब हो रहा है ।

## मथुरा जिले में वसूली अमीनों को स्थायी करना

*१२—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में वसूली अमीनों को सन् १९६३-६४ में स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो इनमें कितने अमीन ऐसे हैं जिनको जिले में इस प्राथमिकता का लाभ मिला और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । १० अमीन ऐसे हैं जिनको निम्नलिखित कारणों से प्राथमिकता का लाभ नहीं मिला:—

(१) डाक्टर द्वारा स्वस्थ न घोषित किया जाना ।

(२) कार्य असंतोषजनक होना या चरित्र-पंजी में ३ या इससे अधिक प्रतिकूल प्रविष्टियां होना ।

(३) वैभागिक कार्यवाही में निलम्बित रहना ।

(४) विभागीय सेवा नियमों का पालन न करना ।

*१३—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अमीनों ने कितने प्रार्थना-पत्र द्वारा जिला अधिकारियों से स्थायी होने की मांगें की हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सर्वश्री डूंगर सिंह तथा सूरज सिंह अमीनों ने एक-एक प्रार्थना-पत्र द्वारा जिला अधिकारियों से स्थायी होने की मांग की है । इनके प्रार्थना-पत्र पर जिला अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

## विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ के लेखे का आडिट करने का आदेश

*१४—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार दिनांक ४ सितम्बर, सन् १९६४ के प्रश्न संख्या ६६ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि जब विद्यांत हिन्दू डिगरी कालेज, लखनऊ को सरकार से इतनी अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है तब इस विद्यालय की कितनी शिकायतें मंत्री महोदय के पास सन् १९६४ में जनता तथा एम० एल०ए० के द्वारा भेजी गईं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विद्यालय में पैनल इन्स्पेक्शन कब से नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

तीन शिकायतें प्राप्त हुईं । शासन ने कालेज के लेखे का स्पेशल आडिट करने के आदेश शिक्षा निदेशक को दिये हैं । लखनऊ विश्वविद्यालय के परिनियम की धारा १९३ के अनुसार कालेजों का मुआयना हर तीन वर्ष के अन्दर होना चाहिये । पिछला मुआयना सन् १९६२ में हुआ था ।

*१५—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विद्यालय में कौन-कौन स्थायी, कौन कौन अस्थायी, और कौन-कौन पार्ट-टाइम टीचर्स (अध्यापक) कार्य कर रहे हैं और उनको मासिक वेतन क्या मिलता है जिस तनख्वाह के आधार पर ही एड दी जाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१६—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार दिनांक ४ सितम्बर, सन् १९६४ के प्रश्न संख्या ६७ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि विद्यांत हिन्दू डिगरी कालेज, लखनऊ की सन् १९६४ की शिकायतों पर (डी०डी० आर०) डिप्टी डायरेक्टर ने जांच की ? यदि हां, तो डी० डी० आर० की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । सरकार ने कालेज के लेखे का स्पेशल आडिट करने के आदेश शिक्षा निदेशक को दे दिये हैं ।

*१७-१८—[हटा दिये गये ।]

## कलेक्ट्रेट फतेहपुर में लिपिकों की प्रतियोगिता परीक्षा

*१९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

२८ अगस्त, १९६४ के तारांकित प्रश्न ३५ के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन डिप्टी कलेक्टरों ने परीक्षा ली और जब (क) सूची की परीक्षा सितम्बर, १९६१ में तथा (ख) सूची की परीक्षा दिसम्बर, १९६१ में ली गई तो दिनांक २९ सितम्बर, १९६३ को सूची तैयार करने का आधार क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

परीक्षा का कार्य निम्नलिखित डिप्टी कलेक्टरों द्वारा सम्पन्न हुआ था—

१—श्री बी० एल० जाटव

२—श्री एहसानुज्जमा खां

३—श्री राम सहाय

४—श्री के० पी० त्रिवेदी

सितम्बर, सन् ६१ व दिसम्बर, सन् ६१ में ली गई परीक्षा के आधार पर ही (क) एवं (ख) सूचियां तैयार की गई। इन सूचियों से संबंधित कई मामलों को तय करने के विषय में राजस्व परिषद् व आयुक्त से पत्र-व्यवहार आदि करने में काफी समय लगा और इस कारण २९-९-६३ को उन्हें अंतिम रूप दिया जा सका।

*२०—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक २८ अगस्त, १९६४ के प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री शंकर लाल दीक्षित, श्री शंकर सिंह, श्री हौसला प्रसाद, श्री गिरजा प्रसाद क्रमशः ६३,७०,८० व ८२ अंक पाने वाले (ए) सूची में स्थायी किये गये हैं तो फिर श्री राम प्यारे सिंह, श्री कालका प्रसाद, श्री निहाल अहमद व श्री रामकुमार क्रमशः ७१,७७,८१ व ९३ अंक पाने वालों को (ए) या (बी) दोनों सूचियों में न रखने का क्या मकसद था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११५९ पर)

## मुढ़ेली के किसानों को खलियान की असुविधा

*२१—श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

क्या यह सत्य है कि ग्राम रुदेली मुढेली, तहसील दातागंज जिला बदायूं, की भूमि नं० २८४ व २८५ सदा से खलिहान के काम में आती थी, किन्तु चकबन्दी में मुढ़ेली के किसानों के लिये नाम मात्र को भी कोई स्थान खलिहान के लिये नहीं छोड़ा गया है जिससे सैकड़ों किसानों को खलिहान रखने की भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस असुविधा को दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गाटा संख्या २८४, २८५ चकबन्दी के पहले से जोत की आराजी रही है। दौरान चकबन्दी ४ बीघा २ बिस्वा जमीन खलिहान के लिये छोड़ी गई है। अब और जमीन छोड़ना मुमकिन नहीं है।

## फैजाबाद जिले में लगान वसूली में हरिजन कर्मचारी

*२२—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की प्रत्येक तहसील में कलेक्शन विभाग में १९६५ में कुल कितने कुर्क अमीन और चपरासी हैं और इनमें कितने हरिजन कुर्क अमीन तथा चपरासी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ११६० पर)

*२३—श्री सुखरामदास—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हरिजनों को १८ फीसदी कोटा के हिसाब से उक्त स्थानों पर नहीं रक्खा गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं रक्खा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपर्युक्त व्यक्तियों के न मिलने से १८ प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं किया जा सका है ।

## महराजगंज तराई क्षेत्र में नये स्कूल न खुलना

*२४—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह महराजगंज तराई क्षेत्र, जिला गोंडा में कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शिवपुरा जो उक्त तराई क्षेत्र के बीच में है वहां पर भी कोई जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल खोलने का प्रबन्ध करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में नये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा बालकों के लिये राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोलने का कोई प्राविधान नहीं है ।

## कन्नौज तहसील में कलेक्शन विभाग के चपरासियों का स्थायित्व

*२५—श्री होरीलाल यादव—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्नौज तहसील, जिला फर्रुखाबाद के अन्दर कलेक्शन विभाग के सीजनल चपरासियों को किस आधार पर १९६४–६५ के बीच स्थायी किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कन्नौज तहसील में कोई भी सीजनल चपरासी १९६४–६५ के बीच स्थायी नहीं किया गया ।

*२६—श्री होरीलाल यादव—

क्या यह सच है कि उपरोक्त तहसील में ऐसे कौन-कौन कलेक्शन सीजनल चपरासी हैं जो १० वर्ष से लगातार सीजनल चपरासी का काम कर रहे हैं पर अभी तक स्थायी नहीं किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपरोक्त तहसील में ऐसे तीन सीजनल कलेक्शन चपरासी हैं जो १० वर्ष से लगातार सीजनल चपरासी के पद पर कार्य कर रहे हैं परन्तु स्थाई नहीं किये गये। उक्त तीन चपरासियों के नाम निम्नलिखित है—

सर्वश्री (१) महेश प्रताप सिंह,
(२) धर्मजीत,
(३) पंचम ।

*२७-२८—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[हटा दिये गये ।]

## ज्ञानपुर तहसील के चकबन्दी विभाग में हरिजन कर्मचारी

*२९—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील में अब तक चकबन्दी विभाग में विभिन्न पदों पर कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये जा चुके है तथा उनमें विभिन्न पदों पर कुल कितने हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वाराणसी जिले के ज्ञानपुर तहसील के चकबन्दी विभाग में कुल २७२ कर्मचारी विभिन्न पदों पर नियुक्त किये गये। इनमें से कुल ४१ हरिजन थे, जिनमें १३ हरिजनों ने अभी कार्यभार नहीं संभाला है ।

*३०—श्री हरिगैनराम—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नई नियुक्ति होते समय परिगणित जातियों के संरक्षण पर ध्यान रक्खा जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

## जमुना पर कालपी पुल तथा वराठाघाट सड़क बनाने की प्रार्थना

*३१—श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी-कानपुर रोड पर कालपी में जमुनापार करने के लिये बरसात के समय यातायात में जनता को जो असुविधा होती है उसको अनुभव करते हुए रेलवे पुल के बगल में ही रोड ट्रैफिक के लिये जो पुल बनाने की योजना है उसको कार्यान्वित करने का काम कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल के आगणन पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा।

*३२—श्री कृष्णचन्द—

क्या सरकार को पता है कि गरोठा तहसील की जनता को वराठाघाट, झांसी से बरसात में नदी के बढ़ जाने और गर्मियों में हवा के कारण नाव का आना-जाना असम्भव हो जाने से दिन-दिन भर घाटों पर रुकना पड़ता है तथा अकस्मात् हवा चलने के परिणामस्वरूप नाव के बह जाने से यात्रियों के जान माल खतरे में पड़ जाते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी हां। पक्के पुल के अभाव में ऐसी कठिनाईयों का होना स्वाभाविक है।

*३३---श्री कृष्णचन्द---

क्या वहां की जनता को उक्त परेशानी व संकट से बचाने के लिये नोहट घाट के नये पुल के निर्माण के साथ ही पुल से घमना ग्राम तक सड़क बनवा देने के लिये उस क्षेत्र के भूतपूर्व एम० एल० ए० ने सरकार से अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या वह बराठा घाट से यातायात की स्थिति का विचार करते हुए उक्त सड़क को शीघ्र बनवा देने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी हां। चालू योजना काल में धनाभाव के कारण इस सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है।

## दाखिल खारिज का नियम

*३४---श्री दयाराम शाक्य---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने इस प्रकार का कोई विशेष आदेश प्रसारित किया है कि प्रदेश में खेती के सम्बन्ध में खातेदार की मृत्यु पर दाखिल खारिज के मामले में तहसीलदार का आदेश अन्तिम होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस प्रकार का आदेश प्रसारित करने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं। इस विषय में आवश्यक प्राविधान यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३५ (१) और ४० में है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

## फर्रुखाबाद जिले में जूनियर हाई स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा

*३५---श्री महरारसिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या शिक्षा मंत्री जी को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में ऐसे कितने और कौन-कौन जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें विज्ञान की शिक्षा देने के लिये व्यवस्था है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

ऐसे ५२ जूनियर हाई स्कूल हैं जिनके नाम संलग्न सूची (क) में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ११६१-११६२ पर)

*३६---श्री महरारसिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा के लिये फर्रुखाबाद जिले की विभिन्न संस्थाओं को पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कितना.कितना रुपया सरकार ने अनुदान का दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

विवरण संलग्न सूची (ख) में दिया है।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ११६१-११६२ पर)

## कानपुर जिले में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा

*३७—श्री नित्यानन्द पाण्डेय (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा जो ली जाती है उसमें संस्थागत प्रति परीक्षार्थी से ४-५० रुपया और प्राइवेट प्रति परीक्षार्थी से ५-५० रुपया परीक्षा शुल्क लिया जाता है और इस धन में से ४-२५ रुपया तथा ५-२५ रुपया प्रति परीक्षार्थी की दर से जिला विद्यालय निरीक्षक के परसनल लेजर में तथा शेष २५ पैसा प्रति परीक्षार्थी उप-विद्यालय निरीक्षक के पास क्रमशः जमा होता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। किन्तु परीक्षा शुल्क संस्थागत प्रति परीक्षार्थी तथा प्राइवेट प्रति परीक्षार्थी से क्रमशः ४ व ५ रुपया ही लिया जाता है।

५० पैसा शुल्क प्राप्तांकों के लिये प्रति इच्छुक परीक्षार्थी से लिया जाता है, जिसमें से २५ पैसे प्रति परीक्षार्थी परीक्षा कोष में जमा किया जाता है और शेष २५ पैसे उप-विद्यालय निरीक्षक के पास जमा होता है।

*३८—श्री नित्यानन्द पांडेय—

यह किस नियम के अन्तर्गत हो रहा है और क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मद में गत तीन वर्षों में कितना धन जमा हुआ है और कितना खर्च और इस विषय का लेखा किस कैश बुक तथा लेजर में रक्खा जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके लिए विभागीय आदेश हैं। प्रश्न में वांछित अन्य सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३९—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल परीक्षकों का पारिश्रमिक कितने लोगों का बाकी है और उसके न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वर्ष १९६४ के केवल ११ परीक्षकों का पारिश्रमिक मिलना बाकी है। कारण यह है कि इनमें से ६ परीक्षकों ने अपने बिल बनाकर प्रस्तुत नहीं किये हैं और शेष ५ परीक्षकों ने बिलों में लगाई गई आपत्तियों को ठीक करके पुनः बिल प्रस्तुत नहीं किये हैं।

## घाटमपुर तहसील में लेखपालों की बर्खास्तगी

*४०—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सत्य है कि कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के लेखपाल पर्याप्त संख्या में बिना किसी आरोप के वर्ष १९६४-६५ में सेवाओं से पृथक कर दिये गये ? यदि हां, तो पृथक किये गये लेखपालों के नाम क्या हैं, और वह कब से लेखपाल पदों पर कार्य कर रहे थे, तथा सेवाओं से पृथक करने के प्रत्येक के कारण क्या हैं ?

*४१—क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सेवाओं से पृथक किये गये लेखपाल काफी सीनियर हैं और इस समय भी उनसे जूनियर लेखपाल अपने पदों पर पूर्व की भांति ही कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

## नानकचन्द आदर्श इंटर कालेज, चन्दौसी का आडिट

*४२--श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नानक चन्द आदर्श इन्टर कालेज, चन्दौसी, जिला मुरादाबाद का १९५८ ई० में आडिट हुआ था वे कागजात अभी सील बन्द जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद के दफ्तर में पड़े हुये हैं ?

*४३--क्या सरकार को पता है कि नानक चन्द आदर्श इन्टर कालेज, चन्दौसी (जिला मुरादाबाद) के कितने अध्यापकों को अभी तक नवीन वेतन-क्रम १९५९ का नहीं दिया गया ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उनको यह वेतन-क्रम दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

## मुहम्मदाबाद गोहना ताहसील में चकबन्दी की अपीलें

*४४--श्री सूरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर सन् १९६४ में ए० सी० ओ०, गोपालपुर, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ ने ग्राम गोपाल के सरजू, सुकालू, मुकारम इत्यादि हरिजनों के खेतों से सामूहिक इस्तीफा भूतपूर्व जमींदारों के पक्ष में ले लिया है और उनके साथ अमानुषिक दुर्व्यवहार किया है जिस सम्बन्ध में उक्त गांव के हरिजनों ने जिला बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी को दिसम्बर, सन् १९६४ में आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं ।

प्रश्न में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों के समझौते सहायक चकबन्दी अधिकारी के यहां हुये थे जिनके बारे में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के यहां अपीलें दायर की गई हैं । मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतएव आवेदन पत्र पर विभागीय जांच या कार्यवाही नहीं की गई ।

## लखनऊ-कुर्सी सड़क

*४५--श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से कुर्सी रोड जो कि अलीगंज होती हुई जाती है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हो गई है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस सड़क का प्रारम्भ का केवल १/२ मील का टुकड़ा निर्माण विभाग के अन्तर्गत है और उसकी दशा ठीक है । सड़क का शेष भाग नगर महापालिका तथा जिला परिषद् के अन्तर्गत है और उसको ठीक कराने का उत्तरदायित्व उनका है ।

## नौगढ़ तहसील में लगान की दर

*४६—श्री चन्द्रपाल रावत (जिला बस्ती)—

क्या यह सत्य है कि बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ में भूमि पर वसूल किये जाने वाले लगान के सरकिल रेट एक से अधिक है ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में क्या दर है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

(१) जी हां ।

(२) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ११६३ पर)

*४७—श्री चन्द्रपाल—

क्या सरकार नौगढ़ तहसील में लगान की दरों में व्याप्त विषमता को समाप्त कर एक दर स्थापित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

(१) जी नहीं ।

(२) सभी भूमि एक तरह की नहीं है । इसलिये दर भी अलग-अलग है । कानून अभी नया बन्दोबस्त करने की इजाजत नहीं देता ।

## बहरामघाट 'सा मिल्स' तथा नव बरार की भूमि

*४८—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला के अन्तर्गत परगना रामनगर के ग्राम बड़नपुर में बहरामघाट 'सा मिल्स' द्वारा छोड़ी गई भूमि का उपयोग किस भांति करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम, १९५० की धारा १८६ के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा परित्यक्त घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा १९४ के अनुसार गांव सभा के अधिकार में आ गई है । भूमि प्रबन्धक समिति को धारा १९५ के अधीन इसे खेती के लिये नियमानुसार उठाने का अधिकार है ।

*४९—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत परगना रामनगर में घाघरा नदी द्वारा छोड़ी गई नव बरार भूमि को भूमिहीन किसानों में खेती करने के लिये वितरणार्थ कौन-सी व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी भूमि की व्यवस्था भूमि प्रबन्धक समिति करती है जो इसका वितरण कर चुकी है ।

*५०—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जनपद के परगना रामनगर के ग्राम गणेशपुर में कितनी कितनी भूमि पर किन-किन लोगों ने अनधिकार कब्जा कर लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५१-५२--श्री डूंगरसिंह तथा श्री मोहनलाल अहिरवार--

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५३-५४--श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बझेड़ी ग्राम के निकट अरिन्द नदी का पुल

*५५--श्री होरीलाल यादव--

अरिन्द नदी, ग्राम बझेड़ी, जिला फर्रुखाबाद के पास जो पुल टूटा पड़ा है क्या सरकार उसका पुर्ननिर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं । यह पुल विभाग की किसी सड़क पर स्थित नहीं है ।

*५६--श्री रघुनाथसिंह--

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५७-५९--श्री रामकिशोर वर्मा--

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६४-६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

स्वामी सच्चिदानन्द इंटर कालेज, रुद्रप्रयाग

*६०--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री १०८ स्वामी सच्चिदानन्द इन्टर-मीडियेट कालेज, रुद्रप्रयाग, गढ़वाल के प्रान्तीयकरण के समय हस्तान्तरण किये जाने के अवसर पर व उसके पूर्व से कालेज की संचालन कमेटी के द्वारा जो अध्यापक नियुक्त थे तथा शिक्षा, योग्यता आदि की शर्तें भी पूरी करते थे और इन्टर की कक्षाओं में हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, अंग्रेजी एवं कला के विषयों का अध्यापन कार्य करते आ रहे थे, उनके स्थानों का भी प्रान्तीयकरण उन्हीं स्थानों पर क्यों नहीं किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इन अध्यापकों के पद लोक-सेवा-आयोग के विचार क्षेत्र में होने के कारण, केवल उन्हीं अध्यापकों को उनके पूर्व स्थानों पर विलीनीकृत किया जा सका जिन्हें आयोग ने उपयुक्त समझा ।

*६१--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने और कौन-कौन अध्यापक थे जिनकी नियुक्ति कालेज कमेटी ने की थी और शासन को हस्तान्तरण किये जाने के समय जिनकी नियुक्ति लेक्चरर ग्रेड पर किये जाने हेतु कालेज कमेटी ने संस्तुति की थी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

ऐसे कुल ७ निम्नांकित अध्यापक थे:

१--श्री एस० एल० बहुगुना,

२--श्री के० सी० भारद्वाज,

३—श्री एच० के० चौकियाल,
४—श्री एम० डी० डिमरी,
५—श्री सी० एस० विष्ट,
६—श्री पी० नौटियाल,
७—श्री एस० एस० नेगी ।

*६२—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या शिक्षा मंत्री सहानुभूतिपूर्वक उन ऐसे अध्यापकों के लेक्चरर ग्रेड पर नियुक्ति के विषय में पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे जो शिक्षा, योग्यता आदि की आवश्यक व नियमानुकूल निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न ६० के उत्तर की पृष्ठभूमि में प्रश्न नहीं उठता ।

*६३–६५—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

[आठवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६६—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

[आठवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६७—६८—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[आठवें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये ।]

## लखनऊ विश्वविद्यालय के गैर अध्यापक कर्मचारियों का वेतन

*६९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने १९६२–६३ के वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय के केवल ३०० अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि के लिये डेढ़ लाख रुपया अनुदान दिया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं ।

केवल २८,२३४ रु० का अनुदान सरकार द्वारा दिया गया था ।

*७०—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के साढ़े तीन हजार गैर अध्यापक कर्मचारियों के वेतनक्रमों के अभिनवीकरण के हेतु सरकार फरवरी, १९६४ में की गई केवल ९०,००० रुपये के अनुदानों की मांग को सरकार ने अभी तक अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

*७१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

अगर उपर्युक्त कथन सत्य है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सरकार अधिक वेतन भोगी केवल ३०० अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि के लिए डेढ़ लाख रुपये का अनुदान तीन वर्ष पूर्व ही दे चुकी है वह सरकार उसी विश्वविद्यालय के अल्प वेतन भोगी गैर अध्यापक

कर्मचारियों के वेतनों के अभिनवीकरण के लिये केवल ९० हजार रुपये की धनराशि की जिससे साढ़े तीन हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, स्वीकृति प्रदान करने में इतना विलम्ब क्यों लग रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

प्रश्न विचाराधीन है।

*७२-७४---श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) तथा श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---

[आठवें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*७५---श्री ऊदल---

[आठवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

## कोंच तहसील में लगान की दर

*७६---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में कोंच तहसील में जो दतिया स्टेट का इलाका मिलाया गया है, उसकी भूमि की किस्मवार मिलने से पूर्व लगान की दरें क्या थीं और अब क्या हैं उस की तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

भूतपूर्व दतिया राज्य द्वारा स्वीकृत लगान की दरों की सूची सदन की मेज पर रक्खी है। ये ही दरें अब भी मान्य हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ११६४-११६५ पर)

*७७---श्री विजयसिंह---

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दतिया इलाके के जालौन जिले में मिलने वाले गांवों की संख्या क्या है और कितने प्रकार की भूमि उन ग्रामों में है और उन पर लगान लगाये जाने का आधार क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

भूतपूर्व दतिया राज्य के ७८ गांव कोंच तहसील में मिले थे। उनमें पाई जाने वाली भूमि की किस्में पूर्व प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित सूची में दी हुई हैं। लगान १९४३-४४ में बन्दोबस्त के दौरान में दतिया राज्य में प्रचलित कानून के आधार पर लगा था।

*७८---श्री विजयसिंह---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि दतिया इलाके का जालौन जिले में मिला हुआ भाग ज्यादा लगान देता है, उन लोगों के मुकाबले में जो उस जिले के पहले से नागरिक हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सरकार अब मालगुजारी वसूल करती है। काश्तकार सरकार को वही मालगुजारी देते हैं जो लगान के रूप में भूतपूर्व जमींदार को दिया करते थे। भिन्न भिन्न काश्तकारों द्वारा भिन्न-भिन्न मालगुजारी दी जाती है और उन सबके तुलनात्मक परिणाम देना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

## अस्थायी प्रसार अध्यापक

*७९—रघुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९५४ से आरम्भ शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्रसार अध्यापकों का स्थायीकरण इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी न करने का कारण क्या है? क्या निकट भविष्य में इनके स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना प्रयोगात्मक रूप से चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत सृजित पदों के स्थायीकरण का विषय शासन के विचाराधीन है।

## चकबन्दी कर्मचारी

*८०—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि समस्त चकबन्दी कर्मचारियों के स्थायी करने तथा चकबन्दी समाप्त होने पर उन्हें स्थायी नौकरी दिये जाने के लिये क्या विचार किया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी विभाग अस्थायी है। इसमें कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जा सकता। चकबन्दी समाप्त होने में अभी कई साल लगेंगे। तब के लिए गौर हो रहा है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*८१–८३—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

[नवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या १३–१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*८४—श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)—

[आठवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

## अतिरिक्त महंगाई भत्ता

*८५—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार अक्तूबर की १६३ प्रतिशत मंहगाई को देखते हुए बताने की कृपा करेगी कि निम्न श्रेणी के जो ५०० रु० वेतन या इससे नीचे के कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है और उन को कब तक बढ़ोतरी भत्ता मिल सकेगा?

श्री कैलाशप्रकाश—

वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अवर श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित अन्तरिम सहायता देने का निश्चय किया है:

(क) ५० रु० तक प्रतिमास वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ५ रु० प्रतिमास।

(ख) ५१ रु० से लेकर १५० रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को १० रु० प्रतिमास।

(ग) १५१ रु० से लेकर ४५० रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को १२ रु० ५० पैसा प्रतिमास।

जहां कहीं आवश्यक होगा सीमान्त समायोजन (Marginal adjustment) किया जायगा। उक्त अंतरिम सहायता १ जनवरी, १९६५ से दी गई है।

*८६—श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में कमेटी की रिपोर्ट जो उत्तर प्रदेश कमेटी के बाद बैठी थी उसका निर्णय जनवरी, १९६५ के प्रथम सप्ताह से कार्यान्वित हो गया और उन्हें अक्तूबर, १९६४ से भत्ता दिया गया है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में देर करने का कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, केन्द्रीय सरकार ने जिस मंहगाई भत्ता जांच संगठन (Dearness Allowance Enquiry Body) की स्थापना २७ अगस्त, १९६४ को की थी उसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश ६ जनवरी, १९६५ को प्रसारित किये और उन्हें यह बढ़ोत्तरी १—१०—१९६४ से दी गई। उक्त संगठन का सम्बन्ध केवल महंगाई भत्ते से था जब कि यू० पी० वेतन-अभिनवीकरण समिति सभी पहलुओं से वेतन क्रमों की छानबीन कर रही है। इसीलिए उसकी रिपोर्ट आने में समय लग रहा है।

*८७—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार अन्तरिम सहायता के तौर पर ५०० रुपये या इससे नीचे वेतन पाने वाले अधिकारियों को देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जैसा प्रश्न ८५ के उत्तर में बता दिया गया है ४५० रुपये तक प्रतिमास वेतन पाने वाले को अंतरिम सहायता १ जनवरी, १९६५ से देने की व्यवस्था है।

*८८—श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)—

[आठवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

## देकली विकास खंड में अस्पताल की इमारत का ठेका

*८९—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले के देकली विकास खंड में जो अस्पताल की इमारत बनाई गई है उसका काम मार्च, सन् १९६४ में जब फाइनल पेमेंट के लिये भी वहां के ओवरसियर तथा इंजीनियर ने रिपोर्ट दाखिल की उसके बावजूद २४ नवम्बर, सन १९६४ तक ठेकेदार का पेमेंट नहीं किया गया और उसे भविष्य में ठेका न देने की धमकी दी गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। ठेकेदार को अन्तिम भुगतान जुलाई, १९६४ में किया गया और काम न देने की कोई धमकी नहीं दी गई।

*९०—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

[आठवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

# अतारांकित प्रश्न

## किंडर गार्टन तथा मांटेसरी स्कूलों की मान्यता

१—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के प्रत्येक शहर में खुलने वाले किंडर गार्टन तथा मांटेसरी टाइप स्कूलों की मान्यता सरकार से प्राप्त होती है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है तथा कौन सा अधिकारी मान्यता प्रदान करता है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

१--जी हां। मान्यता मुख्यतः निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:--

१--संस्था जो स्कूल चलाती हो रजिस्टर्ड हो।

२--यदि स्कूल शहर में स्थित है तो उसका इन्डाउमेंट फंड ५००० रु० होना चाहिये और यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तो २००० रु० होना चाहिये।

३--विद्यालय का अपना भवन हो तथा कम से कम २५ वर्गफीट प्रति छात्र की दर से भूमि उपलब्ध हो।

४--विद्यालय में फर्नीचर तथा खेल आदि का आवश्यक सामान हो।

५--विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित योग्यता का स्टाफ हो तथा उसमें शासन द्वारा निर्धारित दर से शुल्क लिया जाता हो।

६--विद्यालय समय-समय पर शासन द्वारा निरीक्षण कराये तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमों तथा आदेशों को माने।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता दी जाती है।

२--श्री रामलखन वकील--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्कूलों में अध्यापन कार्य करने वाली अध्यापिकाओं की सरकार ने न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की है? क्या उनके प्रशिक्षण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री कैलाशप्रकाश--

अध्यापिकाओं की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल नर्सरी ट्रेन्ड है। इनके प्रशिक्षण के लिए गवर्नमेंट नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक अन्य शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने का मामला शासन के विचाराधीन है।

३--श्री रामलखन वकील--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन स्कूलों में फीस किस रेट से चार्ज होती है तथा उनके पाठ्यक्रम आदि किस आधार पर बनाये जाते हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--

ऐसे मान्यता प्राप्त स्कूलों हेतु निम्नलिखित शुल्क निर्धारित है:--

| | | | |
|---|---|---|---|
| शिक्षा शुल्क | ५.०० | प्रतिमास | प्रति छात्र |
| मैटेरियल शुल्क | ०.५० | ,, | ,, |
| चिकित्सा शुल्क | ०.५० | ,, | ,, |
| जलपान शुल्क | ०.५० से ४.०० तक | ,, | ,, |

वाहन शुल्क स्थानीय दरों तथा स्थिति के अनुसार चार्ज की जाती है।

पाठ्यक्रम शिशुओं की अवस्था, अभिरुचि और योग्यता के आधार पर उनके सर्वांगीण विकास को लक्षित करके निर्धारित किया जाता है।

## ज्ञानपुर तहसील में सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

४--श्री हरिगैनराम--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के ज्ञानपुर तहसील में कुल कितनी जमीनें और कहां-कहां से सीलिंग ऐक्ट के अनुसार सरकार को अब तक मिलीं और सीलिंग ऐक्ट लागू होने के पहले वह जमीन किसके नाम थीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित ब्योरा सदन की मेज पर रक्खा है।

(देखिये नथी 'ठ' आगे पृष्ठ ११६६–११६८ पर)

५—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

[आठवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

६–८—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

[आठवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

९—११—श्री राजनाथसिंह—

[आठवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

## घोसी तहसील में दरगाह-लादघाट सड़क पक्की करने की प्रार्थना

१२—श्री झारखण्डेराय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में (घोसी और सगड़ी के दोनों घाघरा के देवारों को सीधे जोड़ने वाली कच्ची सड़कों) दरगाह से अमिला होते हुए लाद घाट तक जाने वाली कच्ची खोर के महत्व को देखते हुये उसे चतुर्थ योजना में पक्की कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के निर्माण के संबंध में चतुर्थ योजना बनाते समय विचार किया जायगा।

## विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ का प्रबन्ध

१३—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार दिनांक ४ सितम्बर, १९६४ के प्रश्न संख्या ६६ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि जब विद्यांत हिन्दू डिगरी कालेज, लखनऊ को सरकार से इतनी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, तो क्या सरकार को मालूम है कि विद्यालय को चलाने वाला ट्रस्ट या मैनेजिंग कमेटी की माली हालत (वल्युयेशन) क्या है, उस पर विद्यालय का कितना रुपया कर्ज है ? विद्यालय का एन्डाउमेंट क्या है और उस एन्डाउमेंट से सालाना आमदनी क्या है तथा विद्यालय जिस इमारत (भवन) में चल रहा है वह इमारत विद्यालय की निजी है या नहीं ? यदि नहीं, तो किसकी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विद्यालय के प्रारम्भिक काल में ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति ४०,००० रुपये की थी। प्रबंधक के कथनानुसार इसमें १,७१,९०० रुपये की अचल सम्पत्ति का और विस्तार हुआ है। ट्रस्ट पर विद्यालय का १,६५,००० रुपये ऋण है।

एन्डाउमेंट शून्य है अतः आय का प्रश्न नहीं उठता। भवन विद्यांत एजूकेशन ट्रस्ट का है।

## इलाहाबाद में एक ही नाम की दुकानों का रजिस्ट्रेशन

१४—श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में रिफ्यूजी शाप कीपर एसोसियेशन, मोहम्मद अली पार्क, इलाहाबाद नाम की दो संस्थायें हैं और दोनों रजिस्टर्ड हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां ।

१५--श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सालिग्राम जैसवाल--

यदि हां, तो दोनों संस्थायें एक ही नाम से क्यों रजिस्टर्ड हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६०, जिसके अन्तर्गत संस्थाओं का निबन्धन होता है, में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जिसके आधार पर एक ही नाम से एक ही स्थान पर एक से अधिक संस्थाओं का निबंधन न किया जा सके ।

## प्रदेश के अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस समय उपस्थित हैं जो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री छागला साहब से बात करके आये हैं । तो मैं आपके द्वारा उनसे अनुरोध करूंगा कि वे शिक्षकों के संबंध में, जो आज समस्या उलझी हुई है, कोई स्टेटमेंट देने की कृपा करें । आपको भी सूचना मिली होगी कि केंद्र कुछ सहायता करने को तैयार है । तो क्या माननीय शिक्षा मंत्री ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा करेंगे आज जिससे यह समस्या सुलझ जाय और टीचर्स को यह ज्ञान हो जाय कि मामला सुलझ रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर वे देना चाहते हों तो दे दें ।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

विशेष तो क्या बताना है । केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का बयान तो सभी ने अखबारों में पढ़ा ही होगा । इस समय इतना ही कह सकता हूं कि केंद्र में भी अपने प्रदेश के शिक्षकों के प्रति, क्योंकि इनका वेतन-क्रम कम है, काफी सहानुभूति है और वे सहानुभूति के साथ इस समस्या पर विचार कर भी रहे हैं । यहां पर कल माननीया मुख्य मंत्री भी कह चुकी हैं । मैं भी इसके पूर्व काफी निवेदन कर चुका हूं कि शिक्षकों की और शिक्षकों के परिवार की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं । किन्तु उन सब मांगों को पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार की सहायता की जरूरत होगी । केंद्र, जैसा कि मैं पूर्व निवेदन कर चुका हूं, प्लान के अन्दर तो ५० फीसदी सहायता देने के लिये तैयार हैं, प्लान के बाहर के लिये अभी कुछ नहीं हो पाया है । प्लान के बाहर जो काम करने की आवश्यकता होती है उसके लिये कई मंत्रालयों से विचार विमर्श करना होता है । उसमें शिक्षा मंत्रालय से बात करनी होती है, वित्त विभाग से बात करनी होती है, योजना आयोग से बात करनी होती है, और इन सब से बातें करके कोई निश्चित हल निकालने में समय लगता ही है । इसलिये इसमें समय लग रहा है । इस समय निश्चित रूप से कुछ कहना तो संभव नहीं होगा, किन्तु इतना निवेदन किया जा सकता है, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप लोग शिक्षकों को यह परामर्श दें कि जब चारों तरफ उनके प्रति सहानुभूति है तो कुछ न कुछ तो होगा ही । केंद्र की सहानुभूति है, हमारी है, सभी मेम्बरों की है, एम०पीज की भी है तो अवश्य कुछ न कुछ होगा । अब इसको व्यवहारिक रूप देने के लिये, आंकड़े देने में कुछ समय तो लग सकता है । इसलिये मैं फिर निवेदन करता हूं कि शिक्षकों ने बहिष्कार का जो निर्णय कर रखा है आज इन सारी चीजों को देखते हुए उन्हें उसे वापस ले लेना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी शिक्षकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर यह समझाने की कृपा करेंगे जो आज यहां कहा है ताकि समस्या जल्द सुलझ सके ?

श्री अध्यक्ष—

जो घोषणा आज आपके सामने हो चुकी है उससे अधिक और हो नहीं सकती । आपके द्वारा तो सारे प्रदेश में घोषणा हो जाती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, एक जानकारी चाहता था कि क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो कुछ जानकार हैं और वे तो विज्ञान के स्नातक हैं, जरा सा हिसाब लगाकर बता सकेंगे कि शिक्षकों के जो वेतन-क्रम हैं या महंगाई हैं, उसमें इजाफा होने वाला है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

सहानुभूति आंकड़ों में कब तक व्यक्त होगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप ही कुछ मत व्यक्त कर दीजिये ।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों को यह तो ज्ञात है कि यदि केंद्र से भी सहायता न मिले तब भी अपने बजट में तो कुछ रुपया रक्खा ही हुआ है जिससे एजुकेशन परिवार को फायदा होने वाला ही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा उसमें एक बात तो यह स्पष्ट थी कि केंद्र ५० प्रतिशत प्लान के अन्तर्गत देने को तैयार है । जब प्लान के बाहर से रुपये की व्यवस्था नहीं होती तो उसके लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि प्लान के बाहर रुपया उपलब्ध कराया जाय इसके लिये क्या सिद्धांत रूप से शिक्षा विभाग, फाईनेंस डिपार्टमेंट तथा दूसरे जो विभाग हैं, किसी ने मूव किया है कि परामर्श होना हो तो इसको सिद्धांत रूप से स्वीकार करके बैठकर साधन इकट्ठे किये जायं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य का सिद्धांत से क्या मतलब है यह मैं नहीं समझ पाया । लेकिन जो समस्या है उसको केंद्र में रक्खा है । शिक्षा मंत्रालय के सामने रक्खा है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्रालय में भी बातचीत की है । मैंने एक पत्र योजना आयोग के शिक्षा से संबंधित सदस्य डा० बी०के० आर०बी० राव को भी लिखा है । अभी हम फाइनेंस कमीशन में गये । हमने अपने प्रदेश की चीजें रक्खी हैं । जहां तक उन चीजों के टेक अप करने का सवाल है, वह हमने कर रक्खा है ।

श्री उग्रसेन—

हमारा तो कामरोको प्रस्ताव है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो कामरोको प्रस्ताव नहीं है ।

अनेक सदस्य—

एक प्रश्न है ।

श्री उग्रसेन—

अपना हिस्सा देने को तैयार हैं तो क्यों नहीं घोषणा कर देते ?

(श्रीमती किश्वर आरा बेगम का नाम पुकारा गया ।)

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं, बहुत हो गया ।

माननीय शिक्षा मंत्री ने सारी परिस्थिति सामने रख दी अब मेरी समझ में यह तरीका नहीं है कि आप उसमें प्रश्न करें । आप कृपा करके बैठ जाइये । माननीया किश्वर आरा को बुलवा लिया है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, अपने हिस्से के लिये क्यों नहीं.....

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके लिये मैं कई मर्तबा कह चुका हूं ।

## रामपुर राज्य के सेवा निवृत्त सैनिकों तथा अन्य प्रतिरक्षा सम्बन्धी कर्मचारियों को केन्द्रीय महंगाई भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह याचिका उपस्थित करती हूं:—

सेवा में,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

सविनय प्रार्थना है कि विलीन रामपुर राज्य के सेवा निवृत्त सैनिक तथा अन्य प्रतिरक्षा संबंधी कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती है उसके साथ महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को देय दरों से दिया जाता है । प्रतिरक्षा संबंधी अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति दिया जाता है। विलीन रामपुर राज्य के प्रतिरक्षा संबंधी कर्मचारियों के कर्त्तव्य वही हैं जो अन्य प्रतिरक्षा कर्मचारियों के हैं । संघ सरकार का ध्यान जब इस ओर आकृष्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि विलीन रामपुर राज्य के प्रतिरक्षा कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर बढ़ाया जा सकता है । अतः आदरणीय सदन से प्रार्थना है कि राज्य सरकार को आदेश दिया जाय कि उक्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को अन्य प्रतिरक्षा संबंधी कर्मचारियों की भांति दिलाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्य करने का कष्ट करें । प्रार्थीगण, करनल इम्तयाज अली खां, प्रैजीडेंट ....”

श्री अध्यक्ष—

बस, यह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है । यह याचिका समिति को भेजा जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

## कानपुर की कपड़ा मिलों में रविवार को काम करने की सरकारी आज्ञा के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

कामरोको प्रस्ताव, में अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है तो वह श्री संतसिंह यूसुफ और और श्री चन्द्रजीत यादव का है । उनका कहना यह है कि कानपुर में फैक्ट्री ऐक्ट के खिलाफ आगामी २८ मार्च को कारखाने खोले जा रहे हैं और उसकी अनुज्ञा सरकार की तरफ से दी गई है । यद्यपि यह नियामानुकूल नहीं है तो भी महत्वपूर्ण होने के कारण इस पर आप प्रकाश डाल सके तो डाल दें ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

पूरी जानकारी करने के बाद ही कुछ कह सकूंगा । एमरजेंसी के समय फैक्ट्री ऐक्ट में रविवार को काम करने के लिये अपवाद दिया जाता है । माननीय संत सिंह जी मुझसे मिले भी, मैंने जानकारी चाही है ।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)-

कानपुर में टेलीफोन है, उससे मालूम करके शाम तक हमको जानकारी दे दें । एग्जैम्पशन देना है तो इनको देना है ।

श्री अध्यक्ष---

आप उनसे मिलकर मालूम कर लीजियेगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

एग्जैम्पशन देना क्या माननीय मंत्री जी का ही अधिकार है या उन्होंने किसी को डेलीगेट कर रखा है ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

आप माननीय मंत्री जी से कहें कि एग्जैम्पशन तो सरकार को देना है ।

श्री बनारसीदास---

यह नहीं है कि एग्जैम्पशन के सब केसेज सरकार के पास आते हैं । लेबर कमिश्नर को भी डिप्टी सेक्रेटरी की पावर्स हैं । आज बजट खत्म होने पर माननीय संतसिंह जी मुझसे मिल लें तो मैं बता दूंगा ।

## कानपुर-झांसी रेलवे लाइन पर डकैती पड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना है कि १०८ अप पैसेंजर ट्रेन कानपुर-झांसी लाइन पर लालपुर और बामिन स्टेशन के बीच २५ मार्च को डाकुओं के एक गिरोह ने रोककर लगभग एक दर्जन मुसाफिरों को लूट लिया और रिवाल्वरों का प्रयोग किया । एक मुसाफिर सख्त घायल हुआ और दस को चोटें आई हैं । इस प्रकार की ट्रेन डकैती की घटनायें यू०पी० में बढ़ रही हैं । ट्रेन में चलने वाले मुसाफिर अपने को असुरक्षित अनुभव करने लगे हैं ।

इसी प्रकार की सूचना कई माननीय सदस्यों की है । माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय विजयपाल सिंह, माननीय सुरजनराम, माननीय रघुबीर राम का यह है । दूसरी है

माननीय रक्षपालसिंह और माननीय गिरवर प्रसाद की। तीसरी माननीय लखपतराम शर्मा का है और चौथी माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी की है। इसके ऊपर मंत्री जी कब वक्तव्य दे सकेंगे ?

गृह मंत्री (श्री हर गोविन्दसिंह)—

२ अप्रैल को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ के ही अन्तर्गत एक माननीय दयाराम शाक्य की सूचना है उसे उचित कार्यवाही हेतु मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि कैरों का हत्यारा सूचासिंह हमारे प्रदेश में पकड़ा गया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बतला दें चूंकि हमारा प्रदेश बदनाम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

कल भी यह प्रश्न उठा था, वह हमने अस्वीकार किया। चूंकि इस पर एक मर्तबा काम रोको प्रस्ताव अस्वीकार हो चुका है उसे और आज भी जो दिया गया, मैंने अस्वीकार किया। मैंने कल भी कहा था कि जिन्हें प्रश्न करना हो वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा जानकारी कर सकते हैं।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

यह प्रश्न अन्तराष्ट्रीय बन गया है। हमारी पुलिस सोती रही और अकर्मण्य रही।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडियेट परीक्षाओं के संबंध में दिया था ....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जावें। वह मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

मुझे जानकारी है कि कल पत्रकारों ने माननीय मंत्री जी से टेलीफोन पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से ....

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे लिखकर दे दीजियेगा।

## अपराध निरोधक समिति के लिये ४ निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय समिति के चार सदस्यों के निर्वाचनार्थ उम्मीदवारी के अतिरिक्त नाम वापिस लिये जाने के उपरान्त निम्नलिखित सदस्य उस समिति के सदस्य निर्वाचित घोषित किये जाते हैं:—

श्री के० के० नायर, बस्ती,

श्री केशव सिंह, शाहजहांपुर,

[श्री अध्यक्ष]

श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, लखनऊ,
श्री दीनदयाल करवरिया, शाहजहांपुर ।

## श्री चन्द्रबलीसिंह के निलम्बन का समाप्तिकरण

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय चन्द्रबली सिंह को, जो हमारे दल के सदस्य हैं, ५ मार्च को निलम्बित किया गया था पूरे सत्र के लिये। मैं समझता हूं कि यह बहुत लम्बी सजा हुई। इतनी बड़ी सजा शायद, माननीय हुकुम सिंह जी को ज्यादा जानकारी होगी, अभी तक सदन में नहीं हुई। लेकिन मैं इस बात में न जाकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया आपके लिये, मैं उसे कोई अच्छा नहीं मानता। हमें खेद है कि हमारी गैरहाजरी में इस प्रकार की घटना घटित हुई। मैं आपसे और माननीय नेता सदन से निवेदन करूंगा कि उनका निलम्बन वापिस होना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

हमारी भी ऐसी प्रार्थना है।

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---

मैंने जिस दिन यह प्रस्ताव उपस्थित किया था उस दिन यह कह दिया था कि अगर वह अफसोस जाहिर कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसे वापस लेने में। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया और आज भी वह करने के लिय तैयार नहीं हैं। इसलिये लम्बी सजा होने का कोई असर नहीं मालूम होता। अगर वह नहीं आ सकते हैं तो आपके पास लिखकर भेज दें। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष---

उस पार्टी के नेता खेद प्रकट कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, तो हम आशा कर सकते हैं कि माननीय चन्द्रबली सिंह जी इसको मान लेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जब यह इशारा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि माननीय चन्द्रबलीसिंह का निलम्बन जो सत्र की पूर्ण अवधि के लिये किया गया था, वह अब समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नगर महापालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

कल श्रीमन्, किसी माननीय सदस्य ने आप द्वारा सरकार से यह प्रश्न किया था कि कारपोरेशन का चुनाव बन्द होने जा रहा है कि नहीं। आपने यह कहा कि एक दिन यह प्रश्न पूछा गया था, और मंत्री जी ने यह स्पष्ट उत्तर दिया था कि २० तारीख को चुनाव अवश्य होंगे। अब आज जो खबर है वह यह है कि निश्चित ही बन्द होने जा रहे हैं। अगर बन्द हो रहे हैं तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कब होंगे और जो परिसीमन आज तक हो चुका है, उसकी क्या स्थिति होगी ? क्या इसी आधार पर फिर से चुनाव होगा या पुनः परिसीमन होगा ? मंत्री जी जरा इस पर प्रकाश डाल दें, क्योंकि चारों तरफ बड़ी घबराहट है कि सारा परिश्रम कहीं व्यर्थ न चला जाय जिस तरह जिला परिषदों के बारे में हुआ कि एक रोज पहले आदेश निकल गया कि चुनाव नहीं होगा। कहीं ऐसी परिस्थिति कारपोरेशन के चुनाव में तो नहीं होने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में माननीय सत्यनारायण पांडेय ने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया है जिसे मैंने स्वीकार किया है और आशा है कि सोमवार या मंगलवार तक स्थिति का पता लग जायगा ।

## १९६५-६६ के आयव्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—सहकारिता

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय सहकारिता मंत्री अपना अनुदान पेश करेंगे ।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत २,९६,७२,२०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इस अनुदान में ४१ लाख रुपये की धनराशि आडिट के लिये भी शामिल है। आडिट वित्त विभाग के अन्तर्गत प्रकाशित होता है । इसके अतिरिक्त इस विभाग के द्वारा जिसका प्रशासन होता है कुछ नई ग्रांट जो सदन के सामने आ गई है, ग्रांट नं० ४८ में क्रेडिट के लिए पूंजी मुहइया करने के लिये १ करोड़ ५४ लाख रुपये की धनराशि है और ग्रांट ५१ में प्रोसेसिंग मारकेटिंग और दूसरी सोसायटीज को जो लोन दिया जाता है, उसमें १,१२,५५,००० रुपये की धनराशि है । इस प्रकार इस विभाग के अन्तर्गत कुल ५,२१, ९९,००० रुपया व्यय होता है। तीसरी योजना में कुल ९ करोड़ ६९ लाख रुपये की धनराशि रखी गई थी, लेकिन जैसे उपभोगता भंडार, श्रमिकों की रक्षा समिति आदि को सेंटर्स की स्कीम के अन्तर्गत ले लिया गया । इसलिए उसकी सीलिंग घट कर ८ करोड़ ११ लाख हो गई। तीसरी योजना के अन्तर्गत ७० लाख रुपये का शार्टफाल होगा, जिसका मुख्य कारण यह है कि लैन्ड डेवलपमेंट बैंक को जितना रुपया अनुदान में दिया गया था, वह पूरा देय नहीं हो सका। इस बजट में भी कुछ धनराशि कम रखी गई और कुछ योजनाओं को रोकना पड़ा जैसे कोआपरेटिव प्रिंटिंग प्रेस की योजना थी। जो तीसरी योजना का लक्ष्य था, वह ९२ प्रतिशत पूरा होगा और ८ प्रतिशत जो कम है, उसका कारण यह है कि इकोनामी की वजह से कुछ योजनाओं को हमको काटना पड़ गया। दूसरी योजना के काल में रूरल क्रेडिट सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर तमाम सहकारिता आन्दोलन को पुनर्जीवित और पुनसंगठित करने का प्रयास किया गया था। इस समय कोआपरेटिव आंन्दोलन का मुख्य संबंध हमारे प्रदेश के उत्पादन के लिए पूंजी मुहइया करने से है और यह आन्दोलन हमारे प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है। अब तक हमारे प्रदेश में ७२ हजार से अधिक ग्राम सभाएं हैं, सबमें सहकारी समितियों का संगठन है और जैसी कि हमारी नेशनल पालिसी थी, उसके मातहत अब सर्विस कोआपरेटिव का संगठन करने का लक्ष्य अपनाया गया है, जिसके अनुसार तीसरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसीदास]

योजना काल तक कुल २८ हजार सर्विस कोआपरेटिव्स का संगठन होगा। इस वर्ष के अन्त तक २६ हजार सर्विस कोआपरेटिव्स संगठित हो जायंगी और शेष १९६५-६६ के अंत तक अवश्य पूरी हो जायेगी। कोआपरेटिव आन्दोलन में जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, सब से बड़ी जरूरत यह है कि हमारे प्रदेश के काश्तकार को सस्ते दर पर रुपया मिले, जो ४ करोड़ एकड़ से ज्यादा भूमि पर खेती करते हैं। दूसरी योजना के अन्त तक केवल ३० करोड़ रुपये मुहइया हो सकते थे, कर्ज की शक्ल में। हमने लक्ष्य रखा है कि यह बढ़ कर के ६० करोड़ तक हो। इसी प्रकार हमने लक्ष्य रखा १० करोड़ रुपये का जो मध्यम कालीन ऋण की शक्ल में दिया जाय और १० करोड़ रुपया लांग टर्म लोन की शक्ल में दिया जाय। शार्टटर्म लोन में जो अब तक प्रगति हुई है, उसके आधार पर जो हमारा ७ करोड़ का लक्ष्य था वह तीसरी योजना के अन्त तक पूरा हो जायगा। मध्यम कालीन ऋण भी अवश्य पूरा हो जायगा। लेकिन लांग टर्म लोन में जो १० करोड़ की व्यवस्था थी, हम आशा करते हैं कि ६ करोड़ रुपया इस वर्ष के अन्त तक हो जायगा।

३ करोड़ रुपये का कर्जा लम्बी मुद्दत के लिए मंजूर कर चुके हैं। इसकी देरी का कारण यह है कि भूमि विकास बैंक का काम देर से शुरू हुआ है। प्रत्येक जिले और तहसील में इसकी शाखाएं खुल रही हैं और योजना के अन्त तक १३० भूमि विकास बैंक की शाखाएं खोली जायेंगी। कोआपरेटिव आन्दोलन में इस समय स्थिरता लाने के लिये यह प्रयत्न किया गया है कि उसकी पूंजी को बढ़ाया जाय। प्राइमरी सोसायटीज के सदस्यों द्वारा रुपया जमा करने का लक्ष्य १,४०० लाख रुपया रखा गया है। इस वर्ष तक १२६० लाख रुपये की पूंजी इकट्ठी हो गई है और राज्य सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि १३ करोड़ की पूंजी देंगे, लेकिन १ करोड़ १४ लाख रुपया ही प्राइमरी सोसाइटी की पूंजी की शक्ल में मिल पाया है। सदस्य अपनी बचत का पैसा जमा करें। हमने ६ करोड़ ८० लाख का लक्ष्य रखा था जिसमें से ४ करोड़ का लक्ष्य पूरा हो चुका है और हमें आशा है कि ५ करोड़ तक हो जायगा। सदस्यों द्वारा ९ करोड़ ८० लाख पूंजी जमा करने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक ९ करोड़ हो चुका है और हमें आशा है कि योजना के अन्त तक ९ करोड़ ८० लाख हो जायगा। सरकार की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया था, वह साढ़े पांच करोड़ का था, लेकिन हम आशा करते हैं कि मौजूदा बजट वर्ष के अन्त तक पौने चार करोड़ रुपया गवर्नमेंट का भी शेयर पार्टिसिपेशन होगा। डिपाजिट्स भी जनता के विश्वास का सूचक होता है, तो इन सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक्स में यह लक्ष्य था कि १२ करोड़ रुपया तीसरी योजना तक जमा हो, लेकिन अभी यह धनराशि साढ़े बारह करोड़ रुपया हो गई है और योजना के अन्त तक जो हमारा लक्ष्य था, उससे दो करोड़ और ज्यादा जमा करेंगे। इसी प्रकार से यू० पी० कोआपरेटिव बैंक भी एक मजबूत संस्था है और उसमें हमने साढ़े सोलह करोड़ सदस्यों के डिपाजिट का लक्ष्य निश्चित किया था। इस प्रदेश की जनता का यू० पी० कोआपरेटिव बैंक में कितना विश्वास है, यह इससे ही पता चल जाता है कि जो हमारा लक्ष्य १५ करोड़ रुपये का था उसके बजाय पौने १९ करोड़ रुपया डिपाजिट में जमा हो गया है और इस साल के बजट वर्ष में हम १९ करोड़ कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य से ४ करोड़ रुपया हम अधिक जमा करेंगे।

इन संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिये इस वर्ष एक विशेष योजना चालू की गयी है। एक स्पेशल बैड डेट रिजर्व फंड कायम किया गया है। इस फंड में साढ़े ४७ लाख रुपया पहले जमा हुआ था। इस वर्ष ३६ लाख रुपया जमा किया गया और वर्तमान बजट में ४६ लाख रुपया जमा किया। इस प्रकार से १३० लाख रुपया स्पेशल डेट रिजर्व फंड में जमा हो जायगा। इसके द्वारा उन संस्थाओं को मजबूत किया जायगा जिनकी स्थिति खराब है।

हमारे मुल्क में अक्सर दैवी आपदायें आ जाती हैं और दैवी आपदाओं की वजह से हमारे यहां की कोआपरेटिव सोसायटीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिये एक गारंटी रिलीफ फंड की योजना बनायी गई है। जिसमें लगभग ७ लाख रुपया जमा हो गया है और इस वर्ष

में साढ़े ३ लाख रुपया जमा होगा। मौजूदा बजट वर्ष में साढ़े ४ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार से इस गारन्टी रिलीफ फंड में १५ लाख रुपया हो जायगा। जैसे-जैसे यह फंड मजबूत होगा, दैवी आपदाओं की वजह से जो सोसाइटीज अपना कर्जा अदा नहीं कर सकती हैं या आइन्दा नहीं कर पायेंगी, उनके कर्ज को राइट आफ किया जा सकेगा।

कोआपरेटिव क्रेडिट को काफी बढ़ाने की दृष्टि से और उसमें स्थिरता लाने की दृष्टि से और इस दृष्टि से कि उसमें जनता का विश्वास बढ़े, एक क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फंड भी कायम किया गया है। इस विषय में हमने कोआपरेटिव सोसाइटीज को आदेश दे दिये हैं कि वे अपने बजट का डेढ़ प्रतिशत क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फंड में रुपया रखें। इस वर्ष अपेक्स बैंक और यू० पी० कोआपरेटिव बैंक ने इस मद में साढ़े ६ लाख रुपया रखा है। गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में विचार कर रही है कि यह फंड और भी मजबूत हो। इसको जिला स्तर पर और प्राइमरी स्तर पर भी बढ़ाना चाहती है ताकि अगर कोई सोसाइटी किसी वजह से कर्ज को स्थगित करना चाहती है तो इस फंड से वह रुपया जिला कोआपरेटिव बैंक को और जिला कोआपरेटिव बैंक यू० पी० कोआपरेटिव बैंक को और वह स्टेट बैंक आफ इंडिया को अदा कर सके तथा इस प्रकार से डिफाल्टर होने से बच जाय।

इस प्रकार से इन तीन फंडों के कायम हो जाने से हमारे प्रदेश के अन्दर जो क्रेडिट की व्यवस्था है, जो बैंकिंग की व्यवस्था है, किसानों को लोन देने की व्यवस्था है, उसमें काफी मजबूती आयेगी और जो सोसाइटीज कभी-कभी खतरे में पड़ जाती हैं, उन को भी इससे फायदा होगा और डिफाल्टर भी न हो पायेंगी।

हमारी दूसरी योजना जो कोआपरेटिव सेक्टर में है और जिसका किसानों से विशेष संबंध है, वह हमारी कोआपरेटिव फार्मिंग की योजना है। यह निश्चित किया गया था कि हमारे प्रदेश में ४७ पायलेट प्रोजेक्ट्स हों जिन में से प्रत्येक में १०-१० सोसाइटीज हों। लक्ष्य तो हमने पूरा ही कर लिया लेकिन उससे भी अधिक सोसाइटीज हमने बना ली हैं। हमारे प्रदेश में सोसाइटीज का वर्किंग देखने के लिये एक पार्लियामेंट का डेलीगेशन आया था। बरेली के फार्म और रामपुर की सोसाइटीज को देख कर उन्होंने कहा कि ये देश की बहुत अच्छी सोसाइटीज में हैं। उनके पास २०० ट्रेक्टर और २०० से ज्यादा ट्यूबवेल्स हैं, इसके अलावा मेसनरी वेल्स भी हैं। अधिकांश सोसाइटीज लाभ पर चल रही हैं। केवल कुछ सोसाइटीज में ७० हजार रुपये का नुकसान हुआ है। कोआपरेटिव फार्मिंग जब कि एक बड़ी कठिन चीज समझी जाती है, उसमें जनता का विश्वास पैदा करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी इसमें शनैः शनैः प्रगति हो रही है। कोआपरेटिव क्षेत्र के अन्दर हमने मारकेटिंग का इतना बड़ा कार्य किया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल तक हमारे प्रदेश में केवल १५० मारकेटिंग सोसाइटीज थीं और अब उनकी संख्या बढ़ कर १९९ हो गयी है। इन मारकेटिंग सोसाइटीज में करीब ४ करोड़ रुपए की धनराशि कोआपरेटिव बैंक्स की कर्ज की वसूली के रूप में लगी हुई है। इन १९९ मारकेटिंग सोसाइटीज में से केवल १६ सोसाइटीज के अन्दर कुछ हानि रही। बाकी और सभी सोसाइटीज में लाभ हुआ जिसका एवरेज प्रति सोसाइटी ८ हजार के ऊपर जाकर पड़ता है। इस तरह से आज हमारे यहां मारकेटिंग सोसाइटीज सफलता पूर्वक चल रही हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर आज कोई ऐसी मन्डी नहीं है जहां डेढ़ लाख क्विन्टल तक माल का काम होता हो और वहां हमारी मारकेटिंग सोसाइटी न हो। इन मारकेटिंग सोसाइटीज को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने जगह-जगह तमाम गोडाउन कायम किए हैं। यद्यपि सीमेंट आदि न मिलने की वजह से अब तक गोडाउन बनाने की प्रगति धीमी है, लेकिन अब तक ६६ बिल्डिंग्स बन गयी हैं, १२ बन रही हैं और ५४ के लिए अभी जमीन नहीं मिली है। ६६ को हम सहायता देने वाले हैं। किसान देहातों के अन्दर अपने माल को रख सकें।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, उधर पीछे की तरफ मीटिंग चल रही है। एक बार आप आज्ञा तो दे दें कि वे लोग अपनी मीटिंग कर लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री बनारसीदास—

मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी योजना है कि तीसरी पंचवर्षीय में १,३०० रूरल गोडाउन्स देहातों में बन जायं। हम आशा करते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल तक करीब ९०० रूरल गोडाउन्स को ग्रांट वगैरह कर्जा के लिए दे देंगे। लेकिन अभी तक जो गोडाउन्स बने हैं उनकी संख्या करीब २३७ है और हम आशा करते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल तक १,३०० गोडाउन्स तो नहीं, लेकिन ९५० गोडाउन्स पूरे हो जायेंगे जिससे किसानों को अपना माल रखने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे प्रदेश की जो मुख्य इकोनामी है वह कृषि प्रधान है। जो कर्जा मिले उसका मिसयूज न किया जाय, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि किसान अपने माल का प्रोसेसिंग करे ताकि देहात के लोगों को काम मिल सके और उनको अपनी उपज का ज्यादा दाम मिल सके। इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए गए हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तो केवल २२ प्रोसेसिंग यूनिट्स थीं, लेकिन इस बार हमने ७५ और यूनिट्स बनायी हैं। इस वक्त ३३ यूनिट्स काम कर रही हैं और आगे कुछ और काम करने लगेंगी। इनमें से अधिकांश यूनिट्स अच्छी तरह से चल रही हैं। केवल एक यूनिट जो फूड प्रोसेसिंग की महेवा में है उसे लेना पड़ा तथा एक राब की यूनिट को लेना पड़ा। ये दो यूनिट्स तो नुकसान में हैं, बाकी जितनी यूनिट्स हैं वे सब लाभ में चल रही हैं। बिसलपुर की केन प्रोसेसिंग यूनिट ने तो ७५ हजार का लाभ कमाया है और चिरगांव, (झांसी) की प्रोसेसिंग यूनिट ने दाल में ४१ हजार लाभ कमाया है। इस प्रकार से जितनी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वे सभी सफलता पूर्वक काम कर रही हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य ५ कोल्ड स्टोरेज कायम करने का था जिनमें से एक बन चुका है, तीन को हम स्वीकृति दे चुके हैं और मौजूदा साल के बजट में हमने एक और बढ़ाया है। इस साल के अन्त तक हम दो और कोल्ड स्टोरेज कायम करने जा रहे हैं। मेरठ व आगरा रीजन के किसानों ने करीब २५ लाख रुपया जमा किया है और उन्होंने एक स्पिनिंग फैक्टरी, बुलन्दशहर में कायम करने का निश्चय किया है। जमीन उसके लिए ग्राम सभाओं से निःशुल्क प्राप्त हुई है, इमारत बनना शुरू हो गई है और १ हजार से ज्यादा आदमी उसमें काम करेंगे और जो किसान काटन पैदा करते हैं उन को उसके प्रोसेसिंग का अवसर मिलेगा। तो हमारा बल प्रोसेसिंग पर है और इस योजना काल में हम और प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करना चाहते हैं।

हमारा एक मुख्य प्रोग्राम डेरीज का है, उसके विकास पर बहुत कुछ इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति निर्भर है। पहली तृतीय योजना में हमारा लक्ष्य केवल ३ करोड़ रुपया खर्च करने का था, लेकिन इस की प्रगति तेजी से हुई इसलिए अब इस के लक्ष्य को बढ़ाकर ४१२ लाख रुपया कर दिया गया है और इस वक्त तक हमारे सूबे में २३ मिल्क यूनिट्स हैं, दस तो दिल्ली की सप्लाई यूनियन्स को दूध सप्लाई करती हैं, एक अलीगढ़ की है, मुजफ्फरनगर की है और एक आगरे की है, मुजफ्फरनगर में ड्राई मिल्क बनता है और लखनऊ, कानपुर, बनारस में भी वह काम कर रही हैं चार नई योजनाएं और हैं वह देहरादून, बरेली, गोरखपुर और मथुरा में इस तरह क दूध संगठनों को संगठित करने का है। ६ प्रोसेसिंग यूनिट्स ने अपना काम आरम्भ किया है और बाकी जो प्रोड्यूसर्स यूनियन हैं वे दूध सप्लाई का काम करती हैं। हम चाहते हैं कि दूध का प्रोडक्शन बढ़े। तृतीय पंचवर्षीय योजना में मवेशियों के लिए मिल्क यूनियनों को लोन की शक्ल में काफी धनराशि लोगों

को दी गई और साथ ही जगह-जगह यूनियन्स के कम्यूनिटी शेड्स बनवाये, चारे के बन्दोबस्त के लिए अनुदान और दूसरी सहायता की व्यवस्था की गई। हम ने एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाए और हम प्रगतिशील हैं कि कोआपरेटिव सेक्टर में एक बेबी फूड फैक्टरी चले जिस में १०० प्रतिशत केन्द्र भाग देगा और प्लानिंग कमीशन भी चाहता है कि इस प्रकार का कार्य हमारे सूबे में हो जिस से दूध का प्रोसेसिंग हो। दूध की मांग बराबर बढ़ रही है। जो द्रव्य की शक्ल में दूध मिलता है वह काफी मंहगा पड़ता है, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स को जरा दिक्कत होती है, लेकिन जो मक्खन निकाल कर बेबी फूड बनाकर तैयार करते हैं उस में ३०० प्रतिशत का मार्जिन होता है। लखनऊ में भी हमारी दूध सप्लाई योजना थी, लेकिन यहां पर पास में ही नारंग ने एक कारखाना लगा लिया है जहां वह दूध का प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें मुनाफा अधिक होता है। इस वक्त लखनऊ में दूध की मांग १ हजार मन रोज है और उस को २,००० मन तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन केवल ४०० मन ही दूध पाते हैं। इस लिए जिस तरह से बम्बई, कलकत्ता और बरेली आदि शहरों में किया जाता है यहां पर भी हम अब टोंड मिल्क ५० पैसा प्रति लिटर जो पहले देते थे वह अब ६० पैसा प्रति लिटर देते हैं, लेकिन दूध के दाम में ८० पैसा प्रति लिटर से कोई इजाफा नहीं किया गया है। यदि हम दाम बढ़ा देते तो एक मास में ४३ हजार अधिक मुनाफे की सम्भावना थी। गाय के दूध में ३ प्रतिशत फैट होता है, लेकिन टोंड मिल्क में वह ४ प्रतिशत रखा जाता है....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

वह नीति का भाषण करें तो ठीक है वर्ना जो वह कह रहे हैं वह सब तो कार्य विवरण में छपा है।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, कोआपरेटिव के जितने अंग हैं, जितने कार्यक्रम हैं, मैंने उनका जिक्र किया। कोआपरेटिव का कार्य ऐसा है जो दलगत राजनीति से ऊपर है। केवल एक ऐसी पार्टी है जिसका मतभेद कोआपरेटिव में है, बाकी सभी पार्टियां कोआपरेटिव के कार्यों पर यकीन रखती हैं। इस बात को सब को प्रसन्नता है कि कोआपरेटिव बैंक भी ठीक काम कर रहे हैं। सब दलों के लोग कोआपरेटिव आन्दोलन के अन्दर हैं। यह जो कोआपरेटिव आन्दोलन है इसमें कुल मिलाकर २३ अरब रुपए का क्रेडिट हमारे सूबे में विभिन्न समितियों के द्वारा वितरित किया जाता है और चौथी पंच वर्षीय योजना में यह काम और आगे बढ़ेगा क्योंकि किसानों को और ज्यादा पूंजी देने की जरूरत है जिससे देश का उत्पादन बढ़े। इसलिए जो हमारी ऋण देने की नीति है उसे प्रोडक्शन से सम्बद्ध किया है। अब ऋण किसानों को साल में दो बार दिया जाता है। एक रबी में और एक खरीफ में ताकि किसान प्रोडक्शन बढ़ा सकें। कुछ लोग ऐसे कमजोर तबके के हैं जिन्हें कर्जा नहीं मिल सकता है। इसके लिए भी योजना बनायी है कि ऐसे लोगों को भी कर्जा दिया जा सके। जिन स्कीमों का मैंने जिक्र किया उनसे प्राइस भी स्टैबिलाइज्ड होंगी। इसके अलावा और दूसरी रिलीफ की योजनायें हैं ताकि वीकर सेक्शन को थोड़ा सा रिस्क उठा कर भी रुपया दिया जा सके। कोआपरेटिव का जो आन्दोलन है वह जनता का आन्दोलन है।

जहां तक कानून का सम्बन्ध है यह १९१२ से चल रहा है। इसलिए हम इस का संशोधन कर रहे हैं। इसके लिए संयुक्त प्रवर समिति की कई बैठकें हुई हैं और हमारे माननीय सदस्यों ने बड़ी दिलचस्पी ली है। यही कारण है कि वह रिपोर्ट थोड़ी देर से सदन में पेश होगी। आशा है कि यह रिपोर्ट सदन में अप्रैल में आ जायगी। यद्यपि एक प्रवर समिति १९६१ में बनी थी, उसकी रिपोर्ट सदन में आयी और वह बिल भी बन जाना चाहिए था, लेकिन १९६१ में जो सदन था वह डिजाल्व हो गया। इसलिए यह बिल लैप्स हो गया। अब अगर हम चाहते तो यह बिल सदन में आ सकता था और पारित किया जा सकता था, लेकिन माननीय सदस्यों ने उसमें बड़ी दिलचस्पी ली इसलिए हमने यह प्रयत्न किया कि दूसरी स्टेट्स के विधेयकों को देखकर इसको

[श्री बनारसीदास]

ज्यादा से ज्यादा प्रगतिशील बनावें ताकि कोआपरेटिव की जो गतिविधियां हैं, उन सब को उस कानून की परिधि के अन्दर ला सकें जिससे कोआपरेटिव आन्दोलन अवरुद्ध न हो कर चल सके और उसके अन्दर जो खतरा है धीमी रफ्तार से चलने का, अगर बचा सकें तो बचायें। हमारा जो कानून है उस पर सभी माननीय सदस्य प्रकाश डालेंगे। हमारे जो माननीय सदस्य इस प्रवर समिति में है उन्होंने इस सम्बन्ध में पूरी दिलचस्पी ली है और हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि जितना विचार हो सके, हो। माननीय सदस्यों के ज्यादातर ऐसे सुझाव हैं जिनसे उस बिल में सुधार करने में मदद मिलेगी। विधेयक से विदित होगा कि कोआपरेटिव की नीति क्या हो, किस प्रकार से हम कोआपरेटिव का संचालन करें क्योंकि आर्थिक जीवन का कोई भी अंग नहीं है जिससे हम कोआपरेटिव के जरिए काम न चलाते हों, चाहे श्रम समितियां हों, या दूसरी उत्पादन की इकाइयां हों, या वितरण में कन्ज्यूमर्स स्टोर्स हैं। यह भी १९६२ की इमर्जेन्सी के बाद कायम हुआ। २७ ऐसे स्टोर्स है। जिनमें से ३ को छोड़ कर जो कि देर में कायम हुए हैं २४ सेन्ट्रल स्टोर्स हैं जिनके अन्दर लाभ हुआ है जब कि २० लाख का गेहूं मुनासिब पेमेंट पर तकसीम किया है। इस मर्तबा हम योजना बना रहे हैं कि २७ स्टोर्स के अन्दर ५ करोड़ रुपए के गेहूं खरीद कर रखें ताकि कंज्यूमर्स को, उन नगरों में जो कि ५० हजार की आबादी के ऊपर के हों, मुनासिब दामों पर गेहूं मिल सके, किसी तरह की मुनाफाखोरी न हो। इस प्रकार यह जो कोआपरेटिव का आन्दोलन है यह एक जनता का आन्दोलन है। इसकी सफलता विफलता स्थानीय व्यक्तियों पर निर्भर करती है। अगर स्थानीय व्यक्ति ठीक तरह से संचालन करते हैं तो वे संस्थायें अच्छी तरह से काम करती हैं और ऐसी भी संस्थाएं मिलेंगी जिनमें कमियां हो सकती हैं। यह डिपार्टमेंट वाला बजट नहीं है और बहुत कुछ जनता के हाथ में इसका संचालन है। जहां तक विभाग का सम्बन्ध है उसके लिए ५० लाख रुपया है। बाकी रुपया जन-आन्दोलन के लिए है। इस प्रदेश का भविष्य बहुत हद तक सहकारिता के विकास पर निर्भर है। इस समय जितनी भी आर्थिक हलचलें हैं, जो उत्पादन की इकाइयां हैं, जो वितरण की इकाइयां हैं या जो दूसरे प्रकार की इकाइयां हैं वे सब एक सहकारिता के आधार पर संगठित हैं। एक आन्दोलन की शक्ल यह अख्तियार करें और ऐसे अच्छे लोग इस आन्दोलन के अन्दर आयें जिससे सफलतापूर्वक, क्षमता के साथ हम इस आन्दोलन का विकास कर सकें और उत्तर प्रदेश का स्थान सहकारिता के अन्दर बहुत ऊंचा हो। इन शब्दों के साथ मैं यह अनुदान सदन के सामने स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक सूचना मैं चाहता था। मन्त्री जी ने सन् ६४ में कुछ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज खोलने की घोषणा की थी तो वह योजना है या नहीं?

श्री बनारसीदास—

वह योजना तो है, लेकिन चूंकि उसका इस बजट से कुछ सम्बन्ध नहीं था और २९ तारीख को मुख्य मन्त्री इंडस्ट्रीज का बजट पेश करेंगी, उसके अन्तर्गत वह आएगा, तब इस सम्बन्ध में आपको प्रकाश मिलेगा।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वैसे तो कटौती का जो प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है उसका मंशा यह नहीं होता कि वास्तव में संपूर्ण धनराशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय परन्तु मैं कुछ ऐसा महसूस करता हूं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि मेरी इच्छा चले तो मैं वास्तव में सम्पूर्ण धनराशि को घटा कर १ रुपया कर देने के पक्ष में हूं। जब मैं यह बात कहता हूं तो संभव है कि मंत्री जी कहें कि भानु प्रताप सिंह को सहकारिता में विश्वास नहीं है, वह सहकारिता आन्दोलन को खत्म कर देना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सहकारिता में मुझे बहुत ही विश्वास है। इसके महत्व को मैं समझता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि इस प्रदेश के किसानों का भला नहीं हो सकता, उनका आर्थिक विकास नहीं हो सकता जब तक सहकारी आन्दोलन सफल नहीं होगा। जो सच्ची सहकारिता है उसे मैं महात्मा गांधी की अहिंसा की तरह समझता हूं। उससे किसी का नुकसान नहीं हो सकता, फायदा हो सकता है तथा फायदा होगा। लेकिन ये सारी बातें मैं सच्ची सहकारिता के विषय में कह रहा हूं। परन्तु उन्होंने जो सहकारिता का स्वरूप खड़ा किया है वह वास्तव में सच्ची सहकारिता न होकर केवल जालसाजी है जो सहकारिता के नाम पर खड़ी की गयी है। इस प्रदेश में उस जालसाजी का विरोध करने के लिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सच्ची सहकारिता तो उन लोगों ने मार डाली, समाप्त कर दी, उसकी लाश रखे हुए हैं और हम से कहते हैं कि उसे हम जीवित सहकारिता का स्वरूप स्वीकार करें। यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। केन्द्र के मंत्री ने यहां आकर कहा—उत्तर प्रदेश में जो सहकारिता है, वह मरी हुई चीज है। श्रीमन्, इस मरी हुई चीज से कितनी बदबू निकल रही है, वह आपके सामने रोज आती है। आये दिन भ्रष्टाचार और गबन के यहां प्रश्न होते हैं और जो उत्तर मिलते हैं उनसे आपको भी आभास हो गया होगा कि इससे किस हद तक बदबू निकल रही है। बहुत से लोग इसको सहकारिता विभाग न कह कर गबन विभाग कहने लगे हैं। लेकिन इसके विवरण में न तो जाने का समय ही है और न आवश्यकता ही समझता हूं। मैं इसके कारणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि आखिर यह स्थिति क्यों है? क्यों कहता हूं कि सहकारिता को मार डाला है? इसके माने जाने सिद्धान्त हैं जिनको संसार में स्वीकार किया गया है। मेरा कहना यह है कि ये सहकारिता के सिद्धान्त पर नहीं हैं और जिनको सहकारी संगठन कहते हैं वे वास्तव में नहीं हैं।

श्रीमन्, एक भ्रम है और कुछ लोग समझते हैं कि अगर कुछ लोग मिल जुल कर काम करें तो वह सहकारी काम हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि यह ठीक नहीं है। मैं दो-चार उदाहरण देना चाहता हूं कि कुछ लोग मिल-जुल कर काम करते हैं लेकिन उसे सहकारिता नहीं कहा जा सकता है। एक उदाहरण है जो इंसान का नहीं है, लेकिन उससे दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। जब अनाज की दौरी चलाई जाती है। तो ८-१०-१२ बैल मिलजुल कर चलाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि बैल सहकारी काम कर रहे हैं तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि वे बैल डर से चलते हैं और जो कुछ भी उससे लाभ होने वाला है वह बैलों को मिलने वाला नहीं है। उससे उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं होता है। इसलिये कोई भी काम कुछ लोग मिल-जुल कर करें उसे सहकारी काम में नहीं कहा जा सकता है।

चीन में कम्यून बने हुये हैं। वहां किसानों को उनमें जबर्दस्ती शामिल होना पड़ता है। ऐसी दशा में अगर कोई कहे कि कोआपरेटिव का काम है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि सहकारिता का यह पहला बुनियादी सिद्धान्त है कि जो कोई इसमें सम्मिलित हो वह अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से और अपने लाभ के लिये सम्मिलित होता है।

श्रीमन्, एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। मान लीजिये हजरत गंज और नरही में कुछ लोग मिल कर एक दुकान खोल लेते हैं और उसका संचालन उनके प्रबन्धक मंडल द्वारा होता है और सभी उपभोक्ता उससे सामान खरीद सकते हैं और साल में जो लाभ होता है सब लोग हिस्से के मुताबिक बांट लेते हैं। उसको मैं कभी भी सहकारी संस्था नहीं मान सकता हूं। कारण यह है कि सहकारी संस्था के लिये यह बात मानी गई है कि जो सुविधा या लाभ

[श्री भानुप्रतापसिंह]

उठाते हैं वही उसके मालिक हों, संचालक हों। इस बुनियाद पर मैं इसको सहकारी संस्था नहीं मानता हूं। इनके जितने भी सहकारी उपभोक्ता संगठन हैं, वह सहकारी संगठन वास्तव में नहीं हैं क्योंकि इनके चलाने वाले दूसरे हैं और उपभोक्ता दूसरे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये किसी व्यावसायिक फर्म से भिन्न हैं। एक बार मैं फिर संक्षेप में कहना चाहता हूं कि क्या लक्षण होते हैं एक सहकारी संस्था के। सहकारी संस्था वह है जिसमें सदस्यता सदस्य की इच्छा पर निर्भर होती है, जिसमें सुविधाओं का उपभोग करने वाला ही संस्था का मालिक होता है और जिसका कार्य संचालन एक आदमी का एक वोट के सिद्धान्त के आधार पर चलाया जाता है। किन्तु जो हम प्रजातन्त्र के युग में अपने प्रदेश में सहकारी आन्दोलन चला रहे हैं वह उपरोक्त बुनियादी सिद्धान्तों से सर्वथा भिन्न है। इसे कोई भी वास्तव में सहकारिता नहीं कह सकता है। इन्होंने रजिस्ट्रार को सहकारिता का खुदा बना रखा है। उसको अधिकार है कि वह किसी समिति को निर्बन्धित करे या न करे, उसको अधिकार है कि यदि वह निर्बन्धित कर लेता है, तो जब चाहे तब उसे कैन्सिल कर सकता है, उसको अधिकार है कि वह २-३ समितियों को जब चाहे मिला कर एक में कर दे, उसे अधिकार है कि वह किसी एक बड़ी समिति को भंग कर उसको कई हिस्सों में बांट दे, उसे अधिकार है कि जब किसी समिति का प्रबन्ध चाहे अपने हाथ में ले ले या उसके अधिकारियों को समाप्त कर दे आदि आदि। जब चाहे तब वह अपनी इच्छा से बिना उससे परामर्श किये आम जलसा करे। जब चाहे तब उसके बाईलाज में चेंज कर दे। इस प्रकार की संस्था अगर कोई चलाता है तो उसको किस प्रकार से हम प्रजातान्त्रिक मान सकते हैं। श्रीमन्, इतना ही नहीं और भी बहुत विस्तृत अधिकार उसे हैं और करीब-करीब सारे महत्वपूर्ण अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रख छोड़े हैं। ३ वर्ष के बाद कोई सदस्य बना रहे, दुबारा चुना जाये या न चुना जाये, इसका निर्णय रजिस्ट्रार करेगा। तो इस प्रकार से ३ वर्ष के बाद सदस्य चुनने में खुल कर राजनीतिक आधार का सहारा लिया जाता है। इसका निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाता है। जिस सदस्य को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये अहितकर और असुविधाजनक पाया उसका कार्यकाल तुरन्त ३ साल में समाप्त हो जाता है किन्तु अपने पक्षों के सदस्य, जिसका सरकार अपने राजनीतिक ध्येय से पूरा पूरा इस्तेमाल करती है उसका कार्यकाल अनवरत बढ़ता ही जाता है। ऐसे लोग ३-६ और ९-९ साल तक सदस्य बने रहते हैं। ऐसे लोगों के नाम सदस्यता का पट्टा ही लिख दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक कमेटी में ३ व्यक्तियों को नामजद करने का भी अधिकार रजिस्ट्रार को है। आप जानते हैं आजकल जिस तरह से कमेटियां चलती हैं, हर कमेटी में गुटबाजी होती है और पूरी कमेटी कम से कम दो पक्षों में बंटी रहती है। वास्तव में ऐसी स्थिति में यह ३ व्यक्ति निर्णायक होते हैं और यह नामजद तीन आदमी जिधर चले जाते हैं बोर्ड आफ मैनेजमेंट उनके अनुसार चलता है। तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे अधिकारों के होते हुये यह कहना कि यह प्रजातान्त्रिक ढंग पर, एक सदस्य एकवोट के आधार पर चलाया जा सकता है, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। इस विशेष अधिकार के उत्तर में सरकार द्वारा अपने पक्ष में यह कहा जाता है कि सरकार द्वारा अपनी पूंजी की रक्षा के लिये आवश्यक है कि वह अपने आदमी नामजद करके रखे। मैं कहता हूं कि क्या एक आदमी आपकी सरकारी पूंजी की रक्षा नहीं कर सकता है? जब सारे शेयर होल्डरों के लिये एक व्यक्ति और एक वोट की बात है तो सरकार के लिये यह विशेष अवसर क्यों कि उसके तीन आदमी रहेंगे? आखिर सरकार भी तो अन्य शेयर होल्डरों की तरह केवल मात्र एक शेयर होल्डर ही है, चाहे वह बड़ा शेयर होल्डर हो या छोटा? छोटा अथवा बड़ा शेयर होल्डर होने से किसी को विशेष अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। वह चाहे जितनी पूंजी लगाये उसे भी एक आदमी नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिये। लेकिन उन्हें प्रजातन्त्र पर, प्रजातान्त्रिक उसूलों पर कोई विश्वास नहीं है, अतः उन्होंने इन पर अपना कंट्रोल करने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है।

श्रीमन्, जितने झगड़े खड़े हो जायें, उसके लिये आर्बिट्रेशन करने के लिये रजिस्ट्रार आरबिट्रेटर नियुक्त करेगा, आर्बिट्रेटर नियुक्त करते समय वह किसी पक्ष से पूछेगा नहीं और स्वतः

चाहे जिसे आर्बिट्रेटर नियुक्त करेगा। आर्बिट्रेटर के फैसले के विरुद्ध अपील रजिस्ट्रार के यहां हो सकती है। श्रीमन्, मैं तो यह कहता हूं कि इन नियमों के रहते हुये यदि कोई किसी सहकारी संस्था का सदस्य बन जाता है तो भारत के नागरिक की हैसियत से जो उसे बुनियादी अधिकार मिले हुये हैं वह भी छिन जाते हैं और कोई भी स्वाभिमानी आदमी, इन परिस्थितियों में, इन नियमों के रहते हुये इन सहकारी संस्थाओं में काम करने के लिये सहमत नहीं हो सकता है। आज सहकारिता की हालत क्या है? सहकारिता न तो किसानों की है, न उनके सदस्यों की है, न उनके लाभ के लिये सहकारिता है, सहकारिता विभागीय अधिकारियों और सरकार के कृपापात्रों के बीच में बन कर रह गयी है और उन्हीं को यह आन्दोलन सारी सुविधाएं प्रदान करता है। श्रीमन्, सम्भव है कि हमारे सहकारी मंत्री यह कहें कि सरकारी निदेश तो आवश्यक है सहकारी आन्दोलन को ठीक रास्ते पर रखने के लिये। मैं बताना चाहता हूं कुछ थोड़ा-सा इतिहास कि किस प्रकार से इसे ठीक रास्ते पर रखा गया है। रिजर्व बैंक की तरफ से एक रूरल क्रेडिट सर्वे हुआ। काफी विद्वान लोग उसमें थे और काफी गहन अध्ययन भी उन्होंने किया। उसके बाद उनकी सिफारिशें आयीं कि बड़े साइज की सोसाइटियां बनायी जायं क्योंकि उनका प्रबन्ध अच्छी तरह से चल सकता है, उसमें इतना लाभ होगा कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि सुझाव बहुत ठीक था परन्तु बीच में हमारी सरकार ने—मैं तो कहूंगा कि उसको एक सनक सवार हो गयी और फिर यह सारी रूरल क्रेडिट खर्चे सर्वे रिपोर्ट की रिकमेंडेशन्स फेल हो गयी। प्रधान मंत्री नेहरू ने कह दिया था कि इन बड़ी समितियों से सहकारिता को स्थापित करने में सहायता नहीं मिलेगी इसलिये छोटी-छोटी समितियां बनाई जायं और जो नीति थी उसमें परिवर्तन हुआ। बड़ी-बड़ी समितियों के बजाय छोटी-छोटी समितियां बनने लगीं। इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अब सरकार ने अनुभव किया कि छोटी-छोटी सोसाइटियों से काम चलने वाला नहीं है। अब नेहरू जी प्रधान मंत्री नहीं रहे इसी बुनियाद पर नीति को बदल दिया और अब फिर सरकार उसी बड़ी-बड़ी समितियों के बनाने के पक्ष में हो गयी। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार नीति परिवर्तन से सहकारी आन्दोलन को इस प्रदेश में बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और इस ओर कम से कम ५ वर्ष पीछे हो गये हैं। जिस निदेशन पर इसको गर्व है और जिसके लिये यह सारे अधिकार लेना चाहती है उसका यह परिणाम निकला है।

श्रीमन्, मैं अब इसके नतीजे पर आना चाहता हूं। माननीय सहकारिता मंत्री ने बहुत सारे आंकड़े पढ़ कर सुनाये। कोई भी व्यक्ति जो असलियत नहीं जानता वह प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं थोड़ी असलियत भी जानता हूं। क्रेडिट की बात कही। उसमें कोई सन्देह नहीं है कि क्रेडिट की उचित व्यवस्था किसान के लिये बहुत हितकर हो सकती लेकिन ऋण बांटने का उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य केवल ऋण बांटना नहीं है बल्कि यह है कि किसानों की आर्थिक दशा का सुधार करें। क्या किसी क्षेत्र में जहां यह ऋण बांटा गया है वहां के किसानों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो गया? श्रीमन्, आज गर्व किया जाता है कि पहले १२ करोड़ बंटा हुआ था और अब ४८ करोड़ हम बांटते हैं। यह कोई सफलता या गर्व की बात नहीं है कि हम प्रान्त के किसानों को अधिक कर्जेदार बनाते चले जा रहे हैं। पहले प्रत्येक व्यक्ति पर ६८ रुपये कर्जा था और अब १०० रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा हो गया। दूसरे देशों में क्रेडिट की सफलता इससे आंकी जाती है कि किसानों ने कितने डिपाजिट किये। किस गांव के किसान इतने सम्पन्न हो गये कि उन्हें क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है और उस क्रेडिट को अब दूसरे जगह भेजा जाय, डिपाजिट्स उनसे लेकर दूसरी जगह जहां आवश्यक हो वहां लगाया जाय। लेकिन यहां केवल यह कह कर सन्तोष किया जाता है कि हमने ४८ करोड़ रुपया बांट दिया। लेकिन प्रत्येक सदस्य पर ऋण बढ़ता चला जाता है, किसान उस देश का ऋणी होता चला जाता है। माननीय कूलसिंह जी जिनको मैं बहुत जिम्मेदार आदमी समझता हूं और जो मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं उन्होंने कहा है कि इन बैंक्स के जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं वह ८० फीसदी से ज्यादा बोगस होते हैं। मैं भी अपने जिले की बैंक का मैनेजिंग डाइरेक्टर रह चुका हूं और जानता हूं कि उन्होंने जो कहा था वह गलत नहीं था। इसका एक प्रमाण मैं दे सकता हूं। सहकारिता की स्टैंडिंग

[श्री भानुप्रतापसिंह]

कमेटी में मैंने यह सुझाव रखा कि आप जिन किसानों को ऋण देते हैं, एक वर्ष का दीजिये, दो वर्ष का दीजिये, तीन वर्ष का दीजिये और अधिक से अधिक पांच वर्ष का दीजिये और उसके बाद उनको न दीजिये। अगर कोई किसान ५ वर्ष के बाद अपनी उन्नति नहीं कर पाता है तो इसके माने हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ है और वह ऋण का दुरुपयोग करता है। तब आप इस ढंग को बदलिये और देखिये कि क्या खराबी है। मगर होता यह है कि उन्हीं सदस्यों को साल व साल ऋण दिया जाता है और केवल फर्जी ट्रान्जेक्शन होता है और इस ट्रान्जेक्शन में बहुत से लोग बीच में रुपया कमाते हैं। मैं पूछता हूं यह जो इतने करोड़ का आप बीज बांटते हैं और ८० फीसदी की बात करते हैं तो यह ८० फीसदी कुल बीज बेकार है और उससे कोई लाभ नहीं है।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि सस्ते ब्याज पर हम ऋण देते हैं। मगर यह कितना सस्ता है। पौने नौ फीसदी पर कोई भी ऋण जो दिया जाता है इस प्रदेश में सरकार की तरफ से इतनी महंगी दर पर कोई नहीं दिया जाता। इसके महंगे होने का कारण भी मैं आप को बतलाऊं। वह यह है कि इन्होंने कई सीढ़ी बना रखी है। रिजर्व बैंक से रुपया आया स्टेट बैंक को। इनके स्टेट बैंक से रुपया डिस्ट्रिक्ट बैंक को आता है। डिस्ट्रिक्ट बैंक देता है प्राइमरी सोसायटीज को और ये प्राइमरी सोसाइटी इसको चार्ज करती हैं। कई बार सुझाव दिया गया कि इन सीढ़ियों में से एक सीढ़ी को आप समाप्त कीजिये तभी यह ऋण की ब्याज दर कम हो सकती है, लेकिन मैंने जैसा बताया कुछ लोग हैं जिनका इससे पोषण होता है, इन सोसाइटीज से वह नहीं चाहते हैं कि इनमें कोई भी सीढ़ी समाप्त की जाय और किसी भी संस्था को खतम किया जाय और किसानों को राहत मिले। इनको किसानों के हित में नहीं चलाया जाता है। जो लोग पदाधिकारी हैं यह उनके हित के लिये हैं। इसलिये वह किसी भी सीढ़ी को तोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्रीमन्, दूसरा इनका कार्य चलता है बीज बांटने का। बीज बांटने के विषय में सदन में मैंने कहा कि जो बीज बीज गोदामों से बांटा जाता है उसमें ८० फीसदी से ज्यादा मिला हुआ बीज होता है। वह ऐसा बीज होता है जिसको किसान व्यापारियों की दूकान से भी प्राप्त कर सकता है। आज यहां आने के पूर्व मैं एक मीटिंग में था, स्टेट बोर्ड आफ एग्रीकल्चर की मीटिंग में। वहां उस मीटिंग में सहकारिता के पहले उपमंत्री श्री वीरेन्द्र वर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यदि सहकारी बीज भंडार बन्द कर दिये जायं तो कृषि उत्पादन के बढ़ने में कुछ सहायता मिलेगी। उनके रहते हुये कुछ हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है। मैंने उनसे यह पूछा कि क्या मैं आपके इन शब्दों को सदन में दोहरा सकता हूं? उन्होंने कहा कि आप अवश्य दोहरा सकते हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यदि बीज भंडार सहकारिता के बन्द कर दिये जायं तो इससे किसानों का अहित नहीं होगा बल्कि हित होगा। पिछले वर्ष जब मैंने इस बात को कहा था कि ८० फीसदी बीज मिला हुआ और बेकार है तो उसके बाद मुझको थोड़ी शंका पैदा हुई कि शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया है। उसके बाद मैं मिला माननीय शिवराज सिंह जी से जो यहां पर कृषि विभाग के उपमंत्री रह चुके हैं। उनसे मैंने पूछा कि आप को तो सूबे भर का अनुभव होगा। तो बताइये कि क्या कुछ मैंने ज्यादा कह दिया है। अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया है तो मैं उन शब्दों को वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा कि आपने तो कम कहा, यह बीज ८० फीसदी नहीं बल्कि ९० फीसदी बेकार रहता है। मेरी बात को अगर कांग्रेस दल के बड़े जिम्मेदार दो आदमी कुछ सही मानते हैं तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी विशेषज्ञों की कमेटी आप बनाइये। अगर मेरी यह गलत बात हो जाय तो मैं असेम्बली के अपने पद से त्याग-पत्र देने के लिये तैयार हूं। मैं समझता हूं उसमें ८० फीसदी बीज निरर्थक है। अगर उसमें यह बात नहीं है तो आपको त्यागपत्र दे देना चाहिये क्योंकि इसके कारण इस प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। और यह सब हुआ बावजूद इसके कि बीज भंडारों को लगभग ५० करोड़ अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। यद्यपि बीज भंडार में ट्रांस्फर हुआ कृषि विभाग का बीज, लेकिन आज तक उसका

मूल्य कृषि विभाग को अदा नहीं किया गया। उस पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया गया। केवल ब्याज की रकम २५ लाख सालाना होती है। उसके अलावा अनुदान मिलता है और उसके अलावा बीज को साफ रखने के लिए ३ रुपया प्रीमियम देनेके लिए अलग से अनुदान मिलता है। इन सारी सुविधाओं केहोते हुए नतीजा यह निकला है कि आज इनके पक्ष के जिम्मेदार लोग कहते हैं कि ८०-९० फीसदी बीज निरर्थक और बेकार है। आज प्रदेश में भुखमरी है। बीज का कितना महत्व होता है कृषि उत्पादन बढ़ाने में, वह कृषक जान सकता है और उसको कैसा बना दिया है वह मैंने आपके सामने रख दिया।

श्रीमन्, कोआपरेटिव फार्मिंग की भी प्रशंसा मंत्री जी ने की। आजकल यह कठिनाई हो गयी है कि विदेश से कोई आ जाता है और उसको एक आध अच्छी चीज दिखा दी जाती है तो एक तो स्वभावतः विदेशी उसकी आलोचना किसी के मुंह पर नहीं करते, वह तारीफ करते हैं, यह उनकी आदत है। यहां उसका फायदा उठाते हैं कि अगर कोई चिट उन्हें मिल जाती है तो उसे सर्टिफिकेट समझते हैं और पेश करते हैं कि वह गये थे और उन्होंने कह दिया कि बड़ा बढ़िया काम चल रहा है। विदेशियों को वास्तविकता का तो ज्ञान थोड़े समय में हो नहीं सकता और अगर वह उनके सर्टिफिकेट पर निर्भर करते हैं तो वह अपने को धोखे में रखते हैं और दूसरे को रखते हैं। जिस सहकारी खेती की प्रशंसा की है उसका कुछ नक्शा मैं आपकी अनुमति से पेश करना चाहता हूं। १९६०-६१ में ८२,५६३ एकड़ में सहकारी खेती हुई। १९६१-६२ में ९६,२०९ एकड़ में और १९६२ ६३ में १,१०,००० एकड़ में सहकारी खेती हुई। मैं एक साल के नहीं लेता हूं। कहा जा सकता है कि एक वर्ष मौसम खराब हो गया होगा। उधर के लोग मौसम और भगवान् को दोष देने में ही सबसे बड़ी बचत समझते हैं। तो मैं ३ वर्ष का औसत सामने रखता हूं। तीनों वर्ष में ऐवरेज ९६,५३६ एकड़ की खेती हुई, उसके कुल उत्पादन का मूल्य ५०,७६,००० रुपया होता है। इसका अगर हिसाब जोड़ें तो केवल ५०-५२ रुपया प्रति एकड़ पहुंचता है। जहां तक भूमि पर सहकारी खेती इस प्रदेश में हो रही है उसके हानि-लाभ में मैं नहीं जाता हूं। जैसा भी करें वैसा नतीजा निकलता है। मैं कुल उत्पादन की बात करता हूं कि कुल ५० रु० एकड़ से ज्यादा नहीं हुआ। इसको जरा मनों में देख लें। मैं उसी समय के भाव लेता हूं तो वह १३ रु० प्रतिमन समझ लीजिये। इस प्रकार से ४ मन प्रति एकड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में जहां सहकारी फार्म है, उन पर पैदावार नहीं है और यह सभी जानते हैं कि इस प्रदेश की औसत पैदावार अब ८ मन फी एकड़ से ज्यादा है। जिन किसानों को आप गया-गुजरा, निर्बुद्धि, दकियानूसी बताते हैं वह ८ मन फी एकड़ से ज्यादा पैदा करता है और जहां आप १० प्रकार के अनुदान देते हैं, आपके एक्सपर्ट्स लगे हैं और जिनको मोस्ट फेवर्ड टर्म्स आप से मिलती है उन फार्मों की परफ़ारमेंस यह है कि ४ मन फी एकड़ से भी कम पैदा होता है। इस तरह से अगर सहकारी खेती करने में आप सफल भी हो जायेंगे तो प्रदेश की आधी जनता, मैं आपसे कह सकता हूं, भूखों मर जायेगी। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं अगर आपकी जगह होता तो सहकारी खेती को सफल बना कर दिखा देता। आप लोग जो सहकारी खेती की पैरवी करते हैं या जो भी करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि किसी ने सहकारी खेती करके उसको सफल बनाया है? जब तक आप स्वयं सहकारी खेती करके उसको सफल नहीं दिखा सकते, आपको उसकी पैरवी करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप पहले ४ मन की जगह ८ मन ही पैदा करके दिखाइये। इतना हो, तब भी मैं आपकी बात सुनने के लिये तैयार हो जाऊंगा।

दैवी प्रकोप की बात कही गयी। क्या उसका प्रभाव सरकारी फार्मों पर ही होता है, किसानों पर नहीं होता? आप बड़ी-बड़ी योजनायें बनाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, मगर उसका फल क्या निकलता है? इस वर्ष के बजट में आपने टोंड मिल्क के लिये ३१-३२ लाख रुपये की व्यवस्था की है। परन्तु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सब का परिणाम क्या होगा? यह वही क्राइम होगा जिसे मामूली दूध वाले करते हैं। दूध में पानी मिलाकर इसी का नाम टोंड मिल्क रखा जा रहा है और इसे नियमित किया जा रहा है। जिस संस्था को ३२ लाख

[श्री भानुप्रतापसिंह]

रुपये सालाना की आप मदद दें और वह इस प्रकार का दूध दे, इस पर आपको विचार करना चाहिये। बाम्बे और कलकत्ते में यह बात हो सकती है, आपके भाई लोग वहां भी हैं, परन्तु संसार में कहीं भी इस तरह से अडलट्रेशन करने का कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा।

वेयरहाउसिंग के बारे में मैं आपनी बात कहना नहीं चाहता, आप माननीय फूलसिंह जी से ही पूछ लें। उनका लाभ कौन उठा रहा है? किसान उठा रहा है या व्यापारी वर्ग उठा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यह बतायें कि उसका लाभ क्या किसान को हो रहा है।

श्रीमन्, अन्त में मैं एक बात की ओर और अपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तरफ तो सहकारी संस्थायें यह क्लेम करती हैं कि वे आटोनामस बाडी हैं दूसरी तरफ हर प्रकार की सरकारी सहायता चाहती हैं, अनुदान चाहती हैं। इसका बहुत बुरा परिणाम निकल रहा है। जब कभी भी कोई एयरकन्डीशन्ड गाड़ी खरीदी जाती है, बोर्ड आफ मैनेजमेंन्ट के मेम्बरों के सैर के काम वह आती है, आप कहते हैं वे जो चाहे करें, आटोनामस बाडी है, और इस सदन में उनके लिये बजट पेश किया जाता है। या तो आप आटोनामस हो जांय या हमसे खर्च मांगना बन्द कर दें। इसकी ओर में विशेष रूप से इसलिये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह विभाग पर्दे के पीछे काम करने में ज्यादा विश्वास रखता है। अपनी बातों को जनता के सामने रखने में इसके मन में भय पैदा हो गया है। अभी पी० ए० सी० ने निश्चय किया कि सहकारिता विभाग के काम को देखा जाय। इसके लिये एक सब-कमेटी बनी है। कुछ प्रश्न उसने उठाये तो उसका उत्तर यह मिला कि ये सहकारी संस्थायें आटोनामस बाडीज हैं और इनका हिसाब-किताब देखने का कोई अधिकार पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को नहीं है। श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब तक यह स्थिति बनी हुई है पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी इनके हिसाब को देख नहीं सकती है, तब तक क्या इस सदन के लिये एक पैसा भी मन्जूर करना सहकारी विभाग के लिये उचित है? श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि माननीय बनारसीदास जी गौर से सुन लें, वे अपनी बातों में लगे हुए हैं, दुर्भाग्य है। श्रीमन्, जो वर्तमान स्थिति है उसमें कम से कम जहां तक इस अकाउन्ट्स के चैकिंग का प्रश्न है उसमें सुधार होने की नितान्त आवश्यकता है। मैं सदस्यों को विशेष रूप से सम्बोधित कर रहा हूं कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि या तो सहकारिता के कानून में ही परिवर्तन किया जाय या विधान सभा की नियमावली में परिवर्तन किया जाय। यह व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये कि जो हम अनुदान देते हैं उसका उपयोग ठीक तरह से हुआ है या नहीं, इसका अधिकार पी० ए० सी० को मिलना चाहिये। वह अधिकार जब तक उस कमेटी को नहीं मिलता है तब तक इस विभाग को किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

समय का भी ध्यान रखिये।

श्री भानुप्रतापसिंह—

मैं समाप्त ही किये देता हूं। श्रीमन्, जो वर्तमान स्थिति है उसको मैंने काफी विस्तार से रखने की कोशिश की है। यह विभाग ऐसा है जो किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे विभाग हैं उनकी कनपकड़ी विभागीय अधिकारी कर सकते हैं। सरकार उनको खींच सकती है परन्तु यह एक ऐसा विभाग है जो किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं, न सदस्यों के प्रति और न ही सरकार के प्रति। इसकी स्थिति ऐसी है जैसी कि अंग्रेजी जमाने में भूतपूर्व राजाओं महाराजाओं की होती थी जिनको इन्डिपैन्डेन्ट स्टेट्स के मालिक कहा जाता था। वह न प्रजा के प्रति वफादार थे और न उन पर किसी प्रकार का कन्ट्रोल होता था। यह स्थिति बहुत असन्तोषजनक है जो रुपया विभाग को मिल रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इनके कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की भावना नहीं है कि जनता की सेवा की जाय। सुपरवाइजर से

लेकर रजिस्ट्रार तक मनमाना करते हैं उनमें चाहे दो या चार एक्सप्शन्स हों। इनका एक बोर्ड आफ मैनेजमेंन्ट बना हुआ है। अगर वह चाहता भी है कि इनके मेम्बरों को स्थानान्तरित कर दे तो वह नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सहकारिता विभाग वास्तव में किसानों की सहकारिता की भावना के लिये नहीं है वह तो सरकार के कृपापात्रों के बीच सहकारिता की भावना के लिये है और उन के लाभ के लिये सहकारिता है। यही कारण है कि मैंने यह प्रस्ताव रक्खा है और चाहता हूं कि अनुदान की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

*श्री कृष्णानन्द राय––

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई आश्चर्य की घटना नहीं है कि सहकारी विभाग के अनुदान पर कटौती का प्रताव स्वतंत्र पार्टी की ओर से रखा जाय। यह भी आश्चर्यजनक बात नहीं है कि इस प्रदेश के सहकारी आदोलन में समस्त गलतियां और खराबियां स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष, श्री भानुप्रताप सिंह को दिखाई पड़ें। स्वतंत्र पार्टी की मौलिक नीति सहकारिता के विरुद्ध है। अर्थशास्त्र में सामाजिक दृष्टिकोण के विरुद्ध है और अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में जो पुरानी व्यवस्था निजी लाभ के ऊपर आश्रित है, उसकी हिमायती स्वतंत्र पार्टी है। अतः जहां कहीं जिस किसी नीति में यह दिखाई पड़ता है कि निजी लाभ की प्रवृत्ति से उठकर सामाजिक लाभ की प्रवृत्ति की ओर कोई आन्दोलन जाने का प्रयास करता है, तो स्वतंत्र पार्टी उसका विरोध करती है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)––

आप स्वतंत्र पार्टी पर बोल रहे हैं या कोआपरेटिव पर बोल रहे हैं?

श्री कृष्णानन्द राय––

मैं उसकी पृष्ठ-भूमि बता रहा हूं कि क्यों वह इस आन्दोलन का विरोध करते हैं और उसका कारण उनकी मौलिक नीति है कि अर्थ व्यवस्था में जहां कहीं सामाजिक लाभ दिखाई देता है वहां उनको खराबियां दिखाई पड़ती हैं। मैं माननीय भानुप्रताप सिंह जी से कहना चाहता हूं कि आज के युग की जो हवा चल रही है, जिसमें चारों तरफ मांग की जा रही है, और यदि विश्व के इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि निरंतर परिवर्तन हो रहा है और यह मांग की जा रही है कि जितनी भी उत्पादन की व्यवस्थाएं हैं चाहें भूमि हों, बैंक या फैक्टरीज हों, उन सबका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। उस मांग को यदि माननीय भानुप्रताप सिंह दृष्टि में रखें तो सहकारी आन्दोलन को लेसर इबिल मान करके उनको चाहिये कि उसके प्रति सहानुभूति रखें। मुझे उनका वह भाषण याद है जब वह स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद तुरन्त ही बनारस गये थे, और कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश इस बात की घोषणा कर दे कि सहकारी कृषि पर वह विश्वास नहीं करता तो मैं अपनी स्वतंत्रपार्टी को भी तोड़ दूंगा। जहां पर सहकारी कृषि का विरोध इतने मौलिक रूप से हो तो आप से यह आशा नहीं की जा सकती कि आपको इस आन्दोलन में कुछ अच्छाई दिखाई पड़ेगी। मैं कहता हूं कि सहकारी कृषि का विरोध करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि हमारे देश और प्रदेश की सरकार सहकारी कृषि जबरदस्ती लादना नहीं चाहती। जनता पर पूर्णतः इस आन्दोलन को लादने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। देश की जनता को स्वेच्छापूर्ण इस आन्दोलन को अपनाने के लिए छोड़ दिया गया है। यदि माननीय भानुप्रताप सिंह जी की इच्छा हो कि अपने फार्म को अपने गांव के गरीब किसानों की खेती में मिला कर सहकारी फार्म बना दें, तो यह उनकी इच्छा पर है। सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जबरदस्ती नहीं है। यह आन्दोलन स्वेच्छा पर आश्रित है। इसको सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है जो उनके दल के लिए भी लाभदायक है। मैं मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके काल में एक बहुत ही प्रगतिशील कदम सहकारी आन्दोलन के बीच में उठाया जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्दराय]

रहा है जो नया विधेयक सहकारिता का ला रहे हैं उसमें जो एक बहुत दिनों से शिकायत चल रही है कि सहकारी आन्दोलन में सरकारी अधिकारियों का बहुत अधिक प्रभाव और नियन्त्रण हो गया है, उसमें कमी लानी चाहिए और जहां तक मुझे पता है बहुत से देशों में तो यह आन्दोलन पूर्णतः जन आन्दोलन है और सरकारी अधिकारियों द्वारा उसमें अपना समय नहीं बरबाद किया जाता यह देखने के लिए कि किस जगह क्या हो रहा है और किस प्रकार से सहकारी आन्दोलन उस देश में चल रहा है। यह बहुत दिनों की मांग थी, प्रगतिशील लोगों की मांग थी कि सहकारी आन्दोलन को जनता के लिए स्वतन्त्र करना चाहिए और सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप होना चाहिए। जो विधेयक यहां आयेगा उसमें उस मांग की बहुत दूर तक पूर्ति की जाने की संभावना है, इसके लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं। सहकारी समितियां और बैंकों पर जिलाधीश का ओवरआल नियन्त्रण रहता था, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से वह अब जनप्रतिनिधियों को दिया जा रहा है, यह बहुत ही प्रगतिशील कदम है। लेकिन यदि आप देखें तो पायेंगे कि सहकारी विभाग के ऊपर दो प्रकार की आलोचनाएं की जाती हैं। एक तो यह कि इस आन्दोलन में जनता को स्वतन्त्र नहीं रहने दिया जाता और सहकारी विभाग के अधिकारी उस पर बहुत ज्यादा हावी हैं और ठीक इसके विपरीत यह आलोचना की जाती है कि सहकारी संस्थाओं में इतना अधिक गबन है कि सरकार स्थायी रूप से कोई कदम नहीं उठाती। यदि इन दोनों आलोचनाओं को देखा जाय तो बिल्कुल एक दूसरे की विरोधी हैं। यदि यह कहा जाय कि इस आन्दोलन में बहुत गबन है और सरकार नियन्त्रण नहीं कर पा रही है तो इस आर्गूमेंट को और भी जोर देना पड़ेगा कि जिसमें सरकारी अधिकारियों का और भी अधिक प्रभाव रहना चाहिए। इसलिए दोनों चीजें नहीं हो सकतीं। इस आन्दोलन में डिमोक्रेटाइजेशन के लिए रिस्क लेना पड़ेगा और यदि आप चाहते हैं कि यह बिल्कुल जनता का हो जाय तो उन संस्थाओं के लोगों को यह आजादी देनी पड़ेगी कि वह सीखें, उसमें गल्ती करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे देश की आर्थिक अवस्थाएं ऐसी नहीं है कि इस प्रकार का गोलमाल होने दिया जाय तो सरकार को मजबूर करें कि वह सहकारी संस्थाओं पर अपने अधिकारियों के माध्यम से और भी तीव्र सुधार कर उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करे। तो एक अन्डरस्टेंडिंग जनता के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच सहकारी आन्दोलन के प्रति होनी चाहिए जिससे यह नीति स्पष्ट हो सके कि सहकारी आन्दोलन पूर्णरूप से जन आन्दोलन के रूप में काम करने जा रहा है या सरकार के अधिकारियों के नियन्त्रण में काम करने जा रहा है और यह नीति विधान सभा ही अच्छी तरह से तय कर सकती है।

एक चीज और मैं जानता हूं कि जो पिछड़े इलाके हैं और पिछड़े लोग हैं, उनके सामने कोई भविष्य नहीं रह जाता। यदि माननीय भानु प्रताप सिंह की बात को माना जाय तो इसका मतलब यह होगा कि वह पिछड़े इलाके के लोग बिल्कुल समाप्त हो जायेंगे। जैसा मैंने कहा जिनके पास साधन हैं, वह तो अपने फार्म को अच्छी तरह से संगठित कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश की करोड़ों जनता जिस के पास न तो जमीन है, न धन है, न कारखाना है, यदि सहकारी आन्दोलन आज छोड़ दिया जाय तो उनके लिए क्या दूसरी आशा है? गाजीपुर में कोई फैक्टरी नहीं है, वहां की सारी जनता कृषि पर आधारित है। बड़ा गरीबी का वातावरण है। यदि फैक्टरी खोलनी हो, माननीय बलवान सिंह जी मुस्करा रहे हैं, ये तो कानपुर में फैक्टरी खोल सकते हैं क्योंकि वहां तो लखपती हैं गाजीपुर जिले में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो, एक बड़ी फैक्टरी की तो बात ही क्या है, १००–२०० मजदूरों का भी कोई कारखाना खोल सकें। तब जाकर हम सहकारिता विभाग के मन्त्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करें और हमारे जनपद में भी अपनी मदद से ऐसा कोई काम खुलवा दें। किसी प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने इसी सदन में यह घोषणा की थी कि प्रदेश मे कुछ कोआपरेटिव शुगर मिलें स्थापित करने जा रहे हैं। मुझे पता चला है कि गाजीपुर में भी एक मिल जाने वाली थी और गाजीपुर के जिलाधीश उसके लिए जमीन भी देख रहे थे। लेकिन मुझे लेटेस्ट सूचना मिली है कि उस ओर अब कोई प्रयास नहीं हो रहा है। मैं सहकारिता मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी वहां खोलने का प्रयास अवश्य करें।

श्रीमन्, यह जो सहकारी सस्थाओं की रजिस्ट्री होती है उसके कागजात जिले से लखनऊ भेजे जाते हैं, वहां होती है। इसको भेजने में और यहां से लौटने में ६-८ महीने का समय लग जाता है। मेरी समझ में यह सहकारी आन्दोलन की प्रगति को धीमा करने वाला है। मेरे खयाल से यह काम असिस्टेंट रजिस्ट्रार को सौंप दिया जाना चाहिए इस चीज के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजा जाना उचित नहीं है।

रिजर्व बैंक माननीय मन्त्री जी के विभाग को लाखों और करोड़ों रुपया देता है जो किसानों और श्रमिकों में बांटा जाता है। इन सहकारी संस्थाओं को वह रुपया तीन, साढ़े तीन प्रतिशत पर मिलता है जब कि सोसाइटीज किसानों से साढ़े सात और पौने आठ प्रतिशत का सूद चार्ज करती हैं। मेरा खयाल है कि इस बीच की एजेन्सी के लाभ को कम किया जाना चाहिए और यह कोशिश होनी चाहिए कि ४, साढ़े चार, पांच या साढ़े पांच प्रतिशत तक किसानों को वह रुपया मिल जाया करे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री गणप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भानुप्रताप जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सहकारिता मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद मुझे बड़ी निराशा हुई क्योंकि मुझे उनसे अधिक की अपेक्षा थी। जब उन्होंने इसविभाग का कार्यभार संभाला था तो मैं यह समझता था कि सहकारिता विभाग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें तेजी आएगी और उसमें कुछ तब्दीली होगी परन्तु मुझे दुःख है कि यह विभाग जिस आधार पर वर्षों से चल रहा था उसी आधार पर और उसी तरह से अब भी चल रहा है, उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया है जिसके कारण आज यह आन्दोलन एक जनता का आन्दोलन न होकर वेस्टेड इन्टरेस्ट्स का आन्दोलन हो गया है और जो सहकारी आन्दोलन के मूलभूत सिद्धांत थे और जिनके कारण कृषि की उन्नति होनी चाहिए थी, वह न होकर कृषि की पैदावार में और भी ह्रास हुआ है और मैं यह महसूस करता हूं कि किसानों की हालत और खराब होती जा रही है, खाद्य संकट हमारे सामने है। अगर आपका सहकारी आन्दोलन सफल होता तो किसानों की पैदावार बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं कि पैदावार गिरती ही जाती है। जब कि करोड़ों रुपया सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को दिया जाता है, तब यह निश्चित बात है कि जिस खेती की उन्नति के लिए वह रुपया दिया जाता है, उसके लिए वह इस्तेमाल नहीं होता। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि वास्तव में जो इस आन्दोलन का आधार है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि यह आन्दोलन ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। मैं सहकारिता में विश्वास करता हूं और मैं समझता हूं कि आज जो यह राजनीतिक विचार धारा वर्गसंघर्ष पर आधारित हो रही है, उसको समाप्त करने के लिए, समाज की विषमता को मिलाने के लिए और किसानों की दशा को सुधारने के लिए, सहकारिता ही एकमेव साधन है। लेकिन एक बड़ी शर्त है और वह यह है कि जिस आधार पर कोआपरेटिव आन्दोलन की स्थापना हुई थी उस आधार पर उसको चलाया जाय, न यह कि एक लकीर को पीटते रहें और आंकड़ों के जाल में फंसते चले जायं। आज अगर देखा जाय कि पिछले दस या बीस वर्ष से जो समितियां चल रही हैं उनकी वर्किंग की जांच की जाय तो उससे यह स्पष्ट पता चलेगा कि इनके द्वारा किसानों की निजी पूंजी का निर्माण बिल्कुल ही नहीं हुआ। आज जब देहात में किसानों को कर्जा कम व्याज पर मिलता है तो निश्चित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा]

ही उनकी आमदनी को बढ़ना चाहिए था, लेकिन देखा जाता है कि आज भी ट्रांसफर एंट्रीज ज्यों की त्यों बरकरार हैं। जिसने पहले १०० रु० कर्जा लिया था वह १५० रु० पर चला गया, १५० वाला २५० पर चला गया और २५० वाला ५०० रु० कर्जे पर चला गया। आज कर्जा बिल्कुल उसके गले के नीचे तक चला गया है। इसके बरअक्स होना यह चाहिए था कि जब उसे महाजन के चंगुल से छुटकारा मिला और उसे सहकारी समितियों के द्वारा सस्ते दर पर कर्जा मिलने लगा तो धीरे-धीरे उनकी निजी पूंजी बढ़ती। ५०० कर्जा लेने वाला ४०० लेता, ४०० लेने वाला ३०० लेता, २०० लेने वाला १०० रु० लेता, तो समझ में बात आती कि किसान धीरे-धीरे तरक्की कर रहा है, उसकी उपज बढ़ रही है जिससे उसकी आमदनी बढ़ी है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जो ऋण देने की व्यवस्था सहकारी समितियां द्वारा की गयी है उसकी जांच के लिए एक उच्च कमीशन की स्थापना की जाय जो इस बात को देखे कि वास्तव में सहकारी आन्दोलन की वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि आज जिस तरह से कर्जा लेने की स्पीड बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि निश्चित एक दिन कर्जे की स्थिति ऐसी पहुंच जायगी जिससे किसान बरबाद हो जायगा या जितने कर्जे हैं उनको आपको राइट आफ करना पड़ेगा।

आज जो कर्जे की व्यवस्था है वह सभी अल्पकालीन है ताकि उससे किसान अपनी खेती की उपज बढ़ावे, लेकिन किसान की और भी आवश्यकताएं हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि अल्पकालिक ऋण के साथ-साथ एक अच्छी तादाद में मध्यकालीन और दीर्घ कालीन ऋण भी दिये जायं। क्योंकि अल्पकालीन ऋण किसानों की आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता। रिजर्व बैंक द्वारा मध्यकालीन ऋण के लिए जो एलाटमेंट होता है वह प्रदेश के सहकारी बैंक के माध्यम में बंटता है। इस के लिए आवश्यक है कि सहकारी विभाग एक नयी पालिसी सोचे और यह सोचे कि किसान को जो कर्जा दिया जाता है उसमें कम से कम ५० फीसदी मध्य-कालीन ऋण होना चाहिए जिससे किसान बैल या सिंचाई के साधन ला सके और उसकी समुचित व्यवस्था हो सके। दीर्घ कालीन ऋण के लिए किसी संस्थान से अगर १ करोड़ रुपया मिलता है तो मध्यकालीन ऋण के लिए केवल १० लाख ही मिलता है। यह बहुत ही कम है। इससे किसी तरह से भी खेती की स्थायी उन्नति नहीं हो सकती है।

जैसा कि माननीय भान प्रताप सिंह जी ने सहकारी आन्दोलन में भ्रष्टाचार की चर्चा की, मेरा भी अपने जिले के सहकारी आन्दोलन से कुछ सम्बन्ध है और मैं महसूस करता हूं कि जो उनका आरोप है वह बिल्कुल सही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सुपरवाइजर के नीचे से ऊपर तक की एक रूपरेखा बन जानी चाहिए जिससे इसको रोका जा सके। मेरा यह निश्चित आरोप है कि सहकारी समितियों के कर्जे की वसूली मई और जून में इसलिए की जाती है कि उनको वसूलयाबी का एक निश्चित परसेन्टेज मिल सके। जो किसान कर्जा लिए होता है उसको १० – १५ दिन या १ माह के लिए देर से वसूल करने के बदले में कुछ न कुछ परसेन्ट देना पड़ता है जिसका नतीजा यह होता है कि महाजनों से या दूसरों से कर्जा लेने में जितना उसे देना पड़ता, उससे सहकारी समितियों से लिया हुआ कर्जा ज्यादा गिरा पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो यह बीमारी है इसका समुचित इलाज किया जाय तभी किसानों का कल्याण हो सकता है। मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा कि यह नहीं है, वह नहीं है। क्योंकि मेरा भी सहकारी आन्दोलन से सम्पर्क है और मैं जानता हूं कि यह आरोप बिल्कुल सही और सत्य है। एक बात की और आवश्यकता है और वह है इन्टर्नल आडिट की व्यवस्था। जो बड़ी-बड़ी संस्थायें हैं कोआपरेटिव की उन के लिये आडिट का प्रबन्ध होना बहुत जरूरी है, पी० ए० सी० वालों ने बहुत कोशिश की निरीक्षण करने की और देखने की कि कौन अनुदान सही बांटा गया है कौन नहीं लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया कि वह स्वावलम्बी संस्थायें हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि जिनका वर्किन्ग केपिटल अधिक है उनके अपने इन्टर्नल आडिटर हों जो दिनों दिन का उनका हिसाब किताब चेक करें जिस से बहुत सी उनकी खामियां दूर हो सकती हैं।

उनका कैपिटल और पूंजी भी अधिक बनाने की जरूरत है, रिजर्व बैंक इन सहकारी बैंकों को कर्ज इसीलिये अधिक नहीं दे रहा है चूंकि पूंजी उनकी कम है, वह बढ़नी चाहिये। आपकी जो स्माल सेविंग्ज या बाल बचत योजना है उनकी जमा कोआपरेटिव बैंक में जाय तो बहुत बड़ा कैपिटल उन बैंकों का निर्माण हो सकता है और उनकी साख भी रिजर्व बैंक में बढ़ सकती है और किसानों की आवश्यकता के अनुसार उनको रुपया मिलने का बन्दोबस्त हो सकता है। एक सुझाव मेरा यह भी है कि जितना रुपया भी किसानों को केन फेडरेशन, केन यूनियन या अनेक सहकारी संस्थाओं से या तकावी के रूप में मिलता है वह सब एक ही माध्यम से उनको दिया जाय, वह माध्यम जिला सहकारी बैंक ही रहे ताकि उसका वर्किंग कैपिटल बढ़े। आज किसान के कर्ज की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता, उसको जितना भी कर्ज मिलता है वह उस की जमीन के अगेन्स्ट ही मिलता है और अलग-अलग एजेंसी से जब वह कर्ज उस पर लदते हैं तो ओवरलोडिंग उस पर हो जाता है और नतीजा यह होता है कि वह बहुत अधिक कर्ज से दबता जाता है और उसकी हैसियत से बाहर हो जाता है। इस से यह होगा कि उसकी देय शक्ति का भी पता चल जायगा कि वह कहां तक उस कर्ज के बोझ को उठा सकता है।

श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सहकारिता मंत्री द्वारा दी गयी स्पीच को उनके अनुदान के संबंध में ध्यान से सुना और मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने यह प्रयत्न किया है कि इस क्षेत्र में काफी लोग आगे बढ़ें और सच्चे मानों में सहकारिता से जनता का लाभ हो। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी तक हम एक वाटरटाइट कम्पार्टमेंट में बंधे हैं। हम सब मानते हैं कि समाजवाद का फैलाव हो और वह हो सकता है केवल सहकारिता के ही द्वारा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यह काम एक जगह नहीं है जैसे उद्योग का अलग, केन का अलग और सहकारिता विभाग का अलग चल रहा है। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि यहां के लोग, जो समाजवाद का स्वप्न देख रहे हैं वह साकार हो तो हमें पूरा बल सहकारिता पर देना होगा। चाहे वह केन के क्षेत्र में हों, उद्योग के क्षेत्र में हो या कर्ज का काम हो, सब एक ही माध्यम से होना चाहिये और वह माध्यम सहकारिता का ही होना चाहिये।

दूसरे हमारे यहां अभी तक सहकारिता, विभाग के तौर पर चलाई जा रही है, आन्दोलन के रूप में नहीं। वह मूवमेंट के तौर पर चलाई जाय तभी लाभ हो सकता है। जो सरकारी कर्मचारी हैं या अफसर हैं, आई०ए०एस० या पी० सी० एस० उनसे आप विभाग तो चलवा सकते हैं लेकिन मूवमेंट को वह नहीं चला सकते, उस में बहुत-सी दिक्कतें आती हैं जो उसके विस्तार और फैलाव में बाधक होती हैं। मेरा सहकारिता मंत्री जी को सुझाव है कि जो पब्लिक स्प्रिटेड व्यक्ति वालंटरी तौर पर इस काम को करना चाहते हैं, जो इस पर बल देना चाहते हैं यह काम उनके हाथ में देना चाहिये न कि उनके हाथ में रहे जो बहुत दिनों से एक ही तरीके में बंधे हुये हैं और जिनके काम करने का पुराना एक ही तर्ज तरीका रहा है। मेरा भी इस विभाग से १४–१५ साल से ताल्लुक रहा है। मैं जब कभी इस विभाग के अधिकारियों से बात करने गया तो वे ठीक तरह से जो उन्हें सुझाव दिये जाते हैं उन पर नहीं चलते और अपनी मनमानी करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस विभाग में जो लोग हैं या जिनको काफी तजुर्बा है, इस विभाग का, उनकी बातों को सुनें और उनके सुझावों पर चलें। अगर ऐसा नहीं होता है तो न जाने भविष्य में इस विभाग का क्या होने वाला है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह विभाग न रहे बल्कि मूवमेंट हो और यह जनता द्वारा चलाया जाय।

एक मेरा सुझाव यह है कि सुपरवाइजर्स की वजह से ट्रान्सफर एन्ट्रीज की बहुत बुराई चलती है। कर्जा लोग लेते हैं और जून में उसकी ट्रांसफर एन्ट्री हो जाती है, रुपया वापिस नहीं होता है। यह बात सत्य है कि कुछ वर्षों से इस बात में तरक्की ही हुई है, कोई कमी नहीं हुई है। आज जो कर्जा लेने आता है उसकी, मेरी राय में, बैंकों में पास बुक खुलवा दी जायं। हर आदमी,

[श्री जगदीश नारायण सिनहा]

जो कि समिति का सदस्य है, की साख साल के आरम्भ में आंक ली जाय कि इस आदमी की यह हैसियत है और यह तय कर लिया जाय कि इसको इतना ही कर्जा मिल सकता है। इससे समय बहुत बचेगा और परेशानी भी न होगी जो इस समय होती है। आजकल ३-३ महीने अर्जियां सुपरवाइजर के हाथ में पड़ी रहती हैं और फिर जब कर्ज के वापस करने का समय आ जाता है तो उन्हें कर्जा दिया जाता है। तो फिर वे उन लोगों से कर्जा लेते हैं जो बैंकों के पास फिरा करते हैं, ज्यादा दरों पर वे रकम लेकर जमा करते हैं? यह बुराई उसी समय दूर हो सकती है जब कि सदस्यों की पास बुकें खुल जायें और जब उनको जरूरत हो वे लोन ले लें और बाद में वापिस कर दें जब उनको जरूरत न हो। मुझे आशा है कि इससे सूदखोरी भी, जो काफी है, दूर हो जायगी और ट्रांसफर एन्ट्री वाली बात भी समाप्त हो जायगी। सुपरवाइजर जो हमारे हैं, जो बद इनवानी करते हैं और कारखाने के अन्दर एक इस्ट्रमेन्ट बने हुये हैं उनमें भी सुधार हो जायगा। इसका एक इलाज यह भी है। जब बिल आयेगा उसमें आप यह करदें कि जो सुपरवाइजर है उनको आप संस्था के मातहत कर दें तभी उनको किसी किस्म का भय हो सकता है। अब तो वे लोग यह समझते हैं कि पूर्ण रूप से किसी एक के नीचे नहीं हैं और जब कभी उन पर कार्यवाही होती है तो वे इधर उधर से मैनीपुलेट कर लेते हैं। उनके ऊपर भी कोई न कोई नियंत्रण होना चाहिये। अभी माननीय राय साहब ने जिक्र किया। वह बड़ी मुनासिब बात है। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो यह जो हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाने की बात करते हैं तो उन्हें हम कैपिटलिस्टों के हाथ में देने की बात क्यों करते हैं। हमें चाहिये कि जिलों में जिजतने भी या जिस प्रकार के भी रिसोर्सेज हैं, जो co-operative इन्स्टीट्यूशन्स हैं, अगर छोटे कारखाने खुलवाने हों तो सहकारी एक फेडरेशन हो सकती है, बैंक हो सकते हैं और संस्थायें हो सकती हैं जिनसे हम फैक्ट्रियां या कारखाने लगवावें ताकि एक या दो व चन्द आदमियों को ही उसका मुनाफा न मिल सके। बल्कि वह लाभ बाकायदा सोसाइटीज में अधिक से अधिक को मिले। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि जिलों में जहां भी इस प्रकार की सहकारी संस्थाएं छोटे बड़े कारखाने खोलना चाहें तो उनको बल देने के लिये विभाग की तरफ से एक आफिसर रखा जाय। वह आफिसर पंजाब, मद्रास, गुजरात जाकर जिन जिन जगहों पर सहकारिता के आधार पर अच्छा काम हो रहा है, उन कामों को देखें और वापस आकर जिन जिन जगहों पर वे काम हो सकते हैं उनके लिये अपनी गाइडेन्स दें।

कोआपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक से रुपया लेता है और रूरल क्रेडिट के लिये दे सकता है। मेरा यह सुझाव है कि जिन बैंकों के पास अपनी पूंजी है या जिनके पास अपने साधन हैं वे अपने जिलों में जो सहकारी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं वे अगर कर्जा मांगें तो उनको देने के लिये बैंक से इजाजत होनी चाहिये जो कि इस वक्त नहीं है। आपने देखा होगा कि लखनऊ में रात में छोटे छोटे कारीगर जूते और चप्पल लेकर बैठते हैं और थोड़े दामों में बेचने को मजबूर होते हैं। उनकी सोसाइटी नहीं बन पाती है बड़े लोग उनको एक्सप्लायट करते हैं। अगर वे सोसाइटी बना सकें और बैंकों से कर्जा मिलने की इजाजत दे दी जाय तो उनको बहुत लाभ होगा और अधिकतर लोग जो इससे एक्सप्लायट होते हैं, वे बच जायेंगे। इन सबके लिये जी० ओ० के मुताबिक केन डिपार्टमेंट अथवा केन यूनियन्स अपना रुपया कोआपरेटिव बैंक्स में जमा कर सकती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इसी प्रकार से प्लानिंग डिपार्टमेंट को आदेश हो जाय कि जो गांव सभा का पैसा है और जो पैसा प्लानिंग से संबंध रखता है वह कोआपरेटिव बैंक्स में जमा किया जाय तो उससे काफी रुपया बैंक में आयेगा। गांव सभा के प्रधान को कुंवें अथवा सीमेंट के लिये रुपया मिलता है तो जिले का जो स्टेट बैंक है वहां प्रधान जाता है और उसको घूमना होता है कि कोई उसे पहचान ले और पहचान भी वह आदमी कर सकता है जिसका स्टेट बैंक में एकाउंट हो। अगर कोआपरेटिव बैंक को इजाजत हो जाती है और रुपया वहां जमा होता है, क्योंकि सब संस्थाओं से उनका मिलना जुलना रहता है, वह लेन-देन उससे कर सकेंगे जिससे उनको सुविधा होगी। अन्त में मैं सहकारिता मंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूं।

*श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)--

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के संबंध में ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह एक ऐसी संस्था है जो इस प्रदेश तथा देश के हर प्राणी तथा हर नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई है। खास तौर से कृषि विभाग के लोगों का काम तो इसके बगैर कतई चल नहीं पाता है। ऐसा महत्वपूर्ण विभाग जब माननीय मंत्री जी के हाथ में आया तो हम लोगों को यह आशा थी कि हमारे प्रदेश का इस विभाग के जरिये से बहुत बड़ा उत्थान होगा, लेकिन हमारी यह आशा स्वप्नवत् हो गयी। सोचा कुछ था और निकला कुछ। आज इस विभाग को अगर मंत्री जी स्वंय अपनी जगह से कभी कभी देखते रहते तो अच्छा रहता, लेकिन वे केवल अधिकारियों के द्वारा बने बनाये आंकड़ों को देखकर ही बजट में पेश कर देते हैं और अन्य मीटिंगों में भी वे ही पेश होते हैं। लेकिन वास्तविक बात कभी सामने नहीं आती है। मैं ज्यादा आंकड़ों के वितंडावाद में न जाकर के मंत्री जी को कुछ आवश्यक बातें बताऊंगा जिनके संबंध में वे पता लगायें कि असलियत क्या है।

श्रीमन्, अपने प्रदेश में मेरी समझ में सहकारी आन्दोलन न के बराबर है। नेहरू जी ने विदेशों में इस आन्दोलन को देख कर इस बात की आशा प्रकट की थी कि मेरे देश में भी इसी तरह से सारी व्यवस्था चलेगी। लेकिन उनका स्वप्न साकार नहीं हुआ और रफ्ता-रफ्ता केवल कागजी प्लान बनकर रह गया। आज छोटे-छोटे प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, मैसूर, गुजरात में ५०–६० करोड़ रुपये का अनुदान बैंक से कर्ज के रूप में दिया जाता है। लेकिन हमारा प्रदेश इतना बड़ा होते हुये भी, १८/२० करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं दे पाता है। इस बात का माननीय मंत्री जी पता लगायें कि छोटे-छोटे प्रदेश हैं उनकी यह हालत क्यों है। अन्य प्रदेशों में किसी भी विभाग में जब कोई आदमी रखा जाता है तो बड़ी बड़ी जगहों पर काफी छान बीन की जाती है और देखा जाता है कि यह आदमी विभाग की जानकारी रखता है या नहीं। इन सबके बाद कोई आदमी रखा जाता है। लेकिन हमारे प्रदेश में पार्टीबन्दी के बेसिस पर और सिफारिशों के बल बूते पर आदमी रख लिये जाते हैं। उन्हें विभाग के संबंध में कुछ ज्ञान नहीं होता और वे मोटर की सवारी करके सारे प्रदेश में अपने विभाग का काम चलाते हैं।

मान्यवर, मद्रास सरकार सहकारी आन्दोलन को कामयाब करने के लिये प्रति वर्ष एक करोड़ रुपया इस आश्वासन पर देती है कि पूरे तौर से इसका विस्तार किया जाय और जनता में इसके प्रति जाग्रति हो और जनता के छोटे से छोटे लोग भी इसके महत्व को समझें और इससे लाभ उठायें। लेकिन हमारी सरकार इसके प्रचार में न के बराबर है। जो भी इस विभाग के कर्मचारी हैं वे सिवाय बड़े पूंजीपति, सेठ साहूकारों के और पढ़े लिखे लोगों के और किसी को कोई जानकारी इस संबंध में नहीं कराते। अगर देहात में कोई किसान हिम्मत करता है तो केवल कागजी झगड़े की वजह से उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है और वह सफल नहीं हो पाता है और फिर विभाग के कर्मचारी उसके नाम पर रुपये निकाल लेते हैं और उनके यहां कुर्की आती है जिससे उनकी तबाही और बरबादी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की असावधानी का एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने रखता हूं। श्रीमन्, इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हाउसिंग सोसाइटी के वास्ते १० करोड़ रुपया मंजूर हुआ, लेकिन मंत्री जी या सरकार इस बात का पता लगाये कि कितने हाउसिंग सोसाइटी वाले लोगों को इससे सहायता मिली। डेढ़ डेढ़ साल से वह फाइलें दबी पड़ी हुई हैं, उनका कोई नामोनिशान नहीं है। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, आप तमाम और बातों को लें, अपने यहां आज इसी प्रदेश में, प्रदेश ही नहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दूध की इतनी किल्लत है, जिसकी कि कोई मिसाल नहीं है। गरीबों के बच्चे केवल खड़िया मिट्टी का पानी, दूध का नाम लेकर पीते हैं। आपके यहां नगर के समीप ही गाजीपुर है....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, कोरम हाउस में नहीं है, अब तो दो भी बज चुका है ।

(घन्टी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई) ।

श्री रामआसरे वर्मा---

मान्यवर, मैं अभी यह कह रहा था कि इसी लखनऊ के समीप गाजीपुर में एक इतना बड़ा दूध का कारखाना खुला है जहां पर दूध इकट्ठा करके सुखाया जायगा और उसका पाउडर बनेगा । लेकिन आप सोचें कि जहां हमें दूध पीने के लिये भी प्राप्त नहीं हो रहा है वहां पर हमारे दूध को सुखाकर पाऊडर बनाया जायगा । सूखा पाऊडर तो आप तब बना सकते हैं जब दूध हमारे खाने पीने से ज्यादा हो, किन्तु ऐसी कमी की दशा में सूखा पाऊडर बनाना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । ऐसी शक्ल में मंत्री जी इस पर गौर करें ।

श्रीमन् अब मैं एक बात सहकारी बीज भंडारों के बारे में कहता हूं और मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा । सहकारी बीज भंडारों की बात देखी, जब वहां पर किसान गल्ला लेकर जाता है तो वहां पर तरह-तरह के झाड़ने वाले पंखों और झड़नों के द्वारा झाड़कर किसानों से एक एक शुद्ध बीज लेकर रखते हैं और जब देते हैं तब उसमें २०–२५ फीसदी तक कंकड़ कूड़ा मिलाकर देते हैं और उसमें से भी सारे कर्मचारी खाते पीते हैं । मान्यवर, यही नहीं गन्ने की बात ले ली जाये, गन्ने की पर्चियों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है.....

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, किसी अविकसित और अल्प विकसित देश के लिये उसका विकास करने के लिये सहकारिता के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इस प्रकार की कई विशेषज्ञों की राय है । हमारे देश को भी विकासवान करने के लिये स्वर्गीय नेहरू जी ने यह सोचा था कि सहकारिता के आधार पर अपना देश भी विकसित हो लेकिन जब यह बात कार्यरूप में परिणित हुई तो देखा गया कि देश में इसमें सफलता बहुत कम मिली । यद्यपि यह बात सही है कि पिछले दो तीन वर्षों में इस विभाग में काफी उन्नति हुई, काफी चमक आयी, लेकिन जो वस्तुस्थिति है उससे आंख नहीं छिपाई जा सकती । यह कहा गया कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है । मेरा भी अपना अनुभव है कि भ्रष्टाचार है । उसका कारण है कि विभाग में दो प्रकार की समितियां हैं । एक तो प्राइमरी समितियां और दूसरे सेल्फ हेल्प वाली । एक समिति तो यूनियन, बैंक डी० सी० डी० एफ० आदि प्रश्नों के लिये है और दूसरी एल० एस० एस० और प्राइमरी सोसाइटियां हैं । इन दोनों प्रकार की समितियों में गड़बड़ी है । जितनी बड़ी सोसाइटी होगी उतने ही अधिक भ्रष्टाचार की गुंजायश उसमें होगी । सहकारिता का सिद्धान्त भी है और मेरा अनुभव भी है कि सहकारिता में लोग मिल जुल कर काम करें, आपस की परिस्थिति का ज्ञान मुझे उसका और उसे मेरा पता हो और इस प्रकार मिलकर काम किया जाय । अगर इसका दायरा छोटा होगा तो मेरी गलती, दूसरे को और दूसरे की गलती मुझे मालूम होगी, लेकिन जहां दायरा बढ़ा वहीं एक दूसरे का पता नहीं चल पाया और भ्रष्टाचार के लिये मार्ग खुल गया । भानुप्रतापसिंह जी ने लार्ज स्केल सोसाइटियों के बारे में यही गलती की । मैं तो कहता हूं कि एल० एस० एस० को डिस्करेज करना चाहिये । ३–३, ४–४ हजार जहां सदस्य हों, २०–२०, २५–२५, ३०–३०– गांव जिसमें लगे हों और एक गांव से दूसरा गांव ४ मील और कहीं तो १० मील दूरी पर पड़ता हो उसके बारे में सदस्यों में आपस में कोई जानकारी नहीं हो सकती । होता यह है कि सुपरवाइजर और प्रेसीडेंट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दोनों मिलकर बोगस नाम से किसी आदमी को, जिसका वजूद नहीं है या माइनर है उसको रुपया दे दिया, उनके नाम रुपया उन्होंने चढ़ा दिया और यहीं करप्शन की चीज पैदा हो गयी। तो मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एल० एस० एस० के पृथकीकरण की नीति अविलम्ब अपनायी जाय और इनको समाप्त किया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जब लार्ज साइज सोसाइटियां बनाई गई थीं तो वह खेतिहरों के लिये थीं। लेकिन शहरों के आसपास, शहर के अन्दर रहनेवाले जो खेतिहर नहीं थे, नौकरपेशा थे या मजदूर थे उनको भी इन सोसाइटियों में सम्मिलित कर लिया गया। अभी डिपार्टमेन्ट से यह आर्डर हुआ है कि ऐसे मेम्बर्स जो खेती नहीं करते हैं या जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है अगर उनके पास रुपया चला आ रहा है तो वह उनको वापस कर दें और केवल १५० रुपया की मिकदार रखी गयी है जो उनके पास रहेगी। मैं नहीं समझ सका कि विभागवालों ने यह क्यों किया था। क्योंकि पहले उनको ४ सौ या ५ सौ रुपया दे दिया गया जब खेती उनके पास नहीं थी और अब क्यों १५० रुपये की बात रखी गयी है। मैं कहता हूं कि शहरों में जो नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स सोसाइटियों में हैं उनको अलग किया जाय। यह प्रश्न मैंने स्टैंडिंग कमेटी में उठाया था और वहां विभाग ने आश्वासन दिया था कि हो जायगा, लेकिन यह कार्यरूप में परिणित नहीं हुआ।

श्रीमन्, इसमें ट्रांसफर एन्ट्री का भी एक किस्सा है और ट्रान्सफर एन्ट्री के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि जब रुपया वसूल नहीं होता है तो वह सुसाइटी से तीसरा आदमी रुपया लेकर जमा करता है और ट्रान्सफर एन्ट्री होती है। मैं कहता हूं कि अगर यहां तक है कि तीसरा आदमी लेकर रुपया जमा कर दे और रुपया जमा हो जाय और वह एक तरह से निकल जाय तो इसमें मुझे एतराज नहीं है। रिकवरी हो जाती है और सोसाइटी बाकीदार में नहीं चलती है लेकिन इसके बरअक्स होता है। होता यह है कि जो मेम्बर ट्रान्सफर एन्ट्री करता है उसका परसेन्टेज देता है, ५,७ और १५ परसेन्ट देता है। उनको सहूलियत दी जाती है सोसाइटीज में और जो मेम्बर अपने पास से रुपया जमा करता है उसको डिस्करेज किया जाता है। उसको रुपया नहीं दिया जाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि ३० जून के अन्दर रुपया जमा कर दिया और अक्तूबर के महीने में सदस्य को रुपया लौटाया नहीं गया। यह अधिकारियों की ढील है। इसको सख्ती के साथ देखना होगा।

दूसरी बात इसके सिलसिले में कहता हूं कि अगर सोसाइटी के लेविल पर यह ट्रान्सफर एन्ट्री हो तब भी कोई बात नहीं है। यह देखने में आया है कि बैंक के लेविल पर ट्रान्सफर ऐन्ट्री होती हैं। पेमेन्ट को नहीं दिखाते हैं। जितना रुपया एक बैंक से उस आदमी का सोसाइटी में जमा हुआ, ७ दिन के बाद उतना रुपया उसी मेम्बर का सोसाइटी से निकला हुआ दिखाया गया। इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। ट्रान्सफर एन्ट्री को हमारे रजिस्ट्रार महोदय रोक सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर वह चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। अधिकारियों को मालूम रहता है कि फलां बैंक में ट्रान्सफर एन्ट्री हुई है। बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर और डाइरेक्टर जब तीन साल पूरा कर लेते हैं और दोबारा एलेक्शन सीक करने के लिये एप्लाई करते हैं तो उनको रजिस्ट्रार महोदय सब से पहले स्वीकृति प्रदान करते हैं। एलेक्शन जो होता है बैंकों का वह हर साल होता है और एक बटा तीन का होता है। एक बटा तीन का इस साल, फिर दूसरे साल और फिर तीसरे साल होता है। मेरा सुझाव यह है कि यह हर साल न हो, लेकिन जो डाइरेक्टर एलेक्ट होते हैं उनका टोटल एलेक्शन होना चाहिये। सब का एलेक्शन होना चाहिये। इससे जो यह कुछ आदमियों का बैंकों पर पंजा जमा हुआ है, १०, १५ साल से बराबर चले आ रहे हैं, वह चीज खत्म हो जायगी। उनमें जो आदमी ईमानदारी से काम करे उसको परमिशन मिलनी चाहिये। इस प्रकार से उनका एकाधिकार खत्म हो जायगा।

तीसरी बात मैं प्राइमरी सोसाइटीज के एलेक्शन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अक्सर यह होता है कि प्राइमरी सोसाइटी का चुनाव हो जाता है सरपंच

[श्री कन्हैयालाल]

को बस्ता नहीं दिया जाता है। वह चुना हुआ बैठा रहता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे सोसाइटी के एलेक्शन के लिये एक बाडी बनाई जाय जो ब्लाक लेविल पर या जिले के लेविल पर प्रत्येक सोसाइटी में जाकर हर साल अपने मुकर्रर वक्त पर एलेक्शन कराये, उसका रजिस्टर रखे और उसका चार्ज दिलाये। इस प्रकार के रूल का प्राविजन विधान में हो जाना चाहिये।

*श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो आज सहकारी बजट पेश किया गया है और उस पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप जानते हैं कि सहकारिता का हमारे ग्रामीण जीवन से एक विशेष संबंध है। कृषकों और दूसरे लोगों को सहकारी विभाग धन से सहायता करता है और उनकी खेती की तरक्की के लिये धन, बीज और खाद का प्रबन्ध करता है, लेकिन उन अनियमितताओं को देखने से पता चलता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर सहकारिता विभाग की स्थापना की गई है, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। आज सदन में जिक्र किया गया कि कर्जा देने में क्या क्या अनियमिततायें हैं और सरकार का मंशा कर्ज देने का था क्या। सब से पहले जो सदस्य उसका बनता है उसके बदले में जो उसे धनराशि दी जाती है वह पर्याप्त नहीं होती है और उससे किसान के उन मंसूबों पर पानी पड़ जाता है जिसके लिये उसे कर्ज की आवश्यकता होती है। दूसरे खाद, अनावश्यक तरीके से दी जानी है। दी जानी चाहिये उत्पादन बढ़ाने के लिये, लेकिन यह देख कर कि किस क्षेत्र के लिये और कैसी भूमि के लिये किस प्रकार की खाद की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि रासायनिक खादें सिंचाई क्षेत्रों के लिये उपयुक्त होती हैं, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि वहां भूमि में सिंचाई होती है या नहीं और दे दी जाती हैं। परिणाम होता है कि जो उसको नहीं लेता उसको कुछ मुनाफे पर वही सुपरवाइजर्स ले लेते हैं और ब्लैक के तरीके से ऐसे स्थानों को भेज देते हैं जहां उसकी खपत होती है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में भी उचित प्रबन्ध करें कि खाद उन्हीं क्षेत्रों को दी जानी चाहिये जहां आवश्यकता है। जो कर्ज कृषि या अन्य विभागों से देते हैं उसके ब्याज की दर बहुत बढ़ी चढ़ी होती है। मैं केवल यही चाहूंगा कि आप ब्याज में ऐसी कमी करें और दी जाने वाली राशि में इतनी बढ़ोत्तरी करें कि किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे।

जैसा कि कहा गया, आज इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है शायद किसी भी विभाग में इतना न हो, वैसे है तो सभी में। नीचे से लेकर सुपरवाइजर से ऊपर के स्थान तक सभी जगह भ्रष्टाचार है। मैं एक दो नमूने पेश करूंगा। लखनऊ में एक मिल्क यूनियन है और वह उस समय तक काफी मुनाफे में चलती रही जब तक कि उसमें रणधीर सिंह नाम के जो चीफ डेवलपमेन्ट आफिसर हैं, वह नहीं थे। ज्यों ही उनकी नियुक्ति हुई तो २० हजार से ४८ हजार रुपया मासिक तक घाटा पहुंच गया। प्रश्न यह उठता है कि किसी आफिसर को किसी यूनियन का मंत्री होना चाहिये या नहीं। दूसरा यह कि जब पहले मुनाफा होता था, आज घाटा कैसे होने लगा? तो मैं गुजारिश यह करूंगा कि आप इन डेवलपमेन्ट आफिसर को जो मंत्री हैं उस पद से उनको पृथक करें ताकि मिल्क यूनियन ऐसी संस्था जो दूध जैसे पदार्थ का कार्य करती है वह उचित प्रकार से कार्य कर सके। उसमें निरन्तर घाटा होता जा रहा है और जब नियमानुसार कोई सरकारी अफसर ऐसी यूनियन का मंत्री नहीं हो सकता और मंत्री जी को जब ऐसी जानकारी थी तो कैसे उनको बने रहने दिया गया? इतना ही नहीं, इन्होंने जब कि मिल्क यूनियन का भवन बना उसी समय अपना निजी एक बंगला बनवाया जो ८०,००० रुपये की कीमत का था। आप पता लगावें कि जो उस मिल्क यूनियन के भवन में ईंटा, सीमेन्ट और जो जो लकड़ी का सामान लगा था, सारे का सारा वही इनके बंगले में लगा। इससे एक भ्रष्टाचार हुआ और इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। आप जानते है कि जनता का पैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। उसका दुरुपयोग न हो, इसकी आपकी जिम्मेदारी है। उस पद का दुरुपयोग करके इस तरह से लापरवाही से, बेइमानी और नीयत खराबी से कार्य हुआ। एक अपने भतीजे, रणवीर सिंह जिनका नाम है, उनको कर्जा देकर न्यूजीलैन्ड भेजा किसी चीज की ट्रेनिंग लेने के लिये। इतना पैसा खर्च किया गया, लेकिन न्यूजीलैन्ड सरकार ने उसे उपयुक्त नहीं समझा और वापस भेज दिया। यह दो बार गये। तो देखें कि इससे देश की प्रतिष्ठा को कितना आघात पहुंचा है। यह हमारे आफिसर साहब हरदोई जिले के रहने वाले हैं, वहां पर इनका फार्म भी है और इन्होंने वहां पर दो सुपरवाइजरों को अपने काम के लिये लगा रखा है। तो एक तरफ तो यूनियन को घाटा इन्होंने पहुंचाया और दूसरी तरफ अपने फार्म पर दो सुपरवाइजरों को रख कर उनका दुरुपयोग किया। उन में से एक सुपरवाइजर को जो वर्मा हैं किसी चीज की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये मद्रास भी भेजा जा रहा है। तो आप इस चीज को देखें कि कितनी अनियमितता हो रही है। यह विषय साधारण नहीं है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है।

मान्यवर, और भी कई घटनायें हैं। एक उदाहरण मैं फतेहपुर जिले की खागा क्रय-विक्रय समिति का देना चाहता हूं। १९६२-६३ में जब उस समिति का आडिट हुआ तो उससे पता चला कि उस सोसाइटी के इन्सपेक्टर श्री कालिका प्रसाद ने समिति के पैसे से काफी मात्रा में धान और चावल का निजी व्यापार किया। १९६१-६२ में उन्होंने ९,९८२ क्वीन्टल धान खरीदा, उसको कुटवाकर ५२३२ क्वीन्टल चावल निकलवाया, और १२४३ क्वीन्टल चावल लैवी के रूप में उन्होंने सरकार को दिया। इसी प्रकार १९६२-६३ में ९,३३१ क्वीन्टल धान खरीदा, ५३३४ क्वीन्टल उसका चावल निकला, और २९३९ क्वीन्टल लैवी के रूप में सरकार को दिया। १९६३-६४ में १०,४६८ क्वीन्टल धान खरीदा, ५२९५ क्वीन्टल चावल निकला, २२३८ क्वीन्टल चावल लैवी के रूप में सरकार को दिया। जब आडिटर्स ने उसकी रिपोर्ट दी तो उसको तरह तरह से धमकाया गया। यहां तक कि रीजनल आफिसर तक ने उस आडिटर को बुला कर धमकाया और कागजात को बदलवा दिया और उसका वहां से ट्रान्सफर तक करवा दिया। इसे भी सरकार देखने की कृपा करे।

श्रीमन्, आडिटर जब आडिट करता है तो वह अपनी रिपोर्ट जिला कार्यालय में देता है, फिर वहां से मंडल में आती है और उसके बाद सरकार तक आ पाती है। जब तक वह सरकार के पास आती है, यहां तक आते आते अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो उसको वहां ठीक करा लिया जाता है, उसकी लीपापोती वहां कर ली जाती है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि आडिटर्स जब कभी भी कहीं किसी गबन के मामले को पकड़ें तो वे उसकी सीधे रिपोर्ट पुलिस को करें या जिले के कलेक्टर को उसकी सूचना दें। मुझे आशा है कि माननीय सहकारिता मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

**श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—**

मैं मान्यवर, आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कोआपरेटिव के बारे में अपनी राय देने में मुझे कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि इस विभाग के हर शोबे से मुझे वाकफियत नहीं है। अलबत्ता एक दो शोबे की मुझे जानकारी है कि वहां अच्छी तरह से काम हो रहा है। एक दो शिकायतें भी हैं। लास्टइयर अक्टूबर के महीने में मुझे गेहूं की जरूरत पड़ गयी। मेरे फार्म पर भी गल्ले की कमी पड़ गई थी इसलिये मैंने उस सिलसिले में रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज को एप्रोच किया, लेकिन उससे जरूरत भर गल्ला नहीं मिल पाया। उन्होंने मुझे भी और मेरे इलाके के लोगों को भी बीज देने में मजबूरी जाहिर की। कम से कम उस बात से कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट को यह फायदा पहुंचा कि उनके खाने पीने के लिये गल्ला हो गया। यह एक बड़ी चीज थी जो नामुमकिन मालूम हो रही थी। इसके अलावा दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट जो देहाती इलाकों में लोन देता है उसको इन्क्रीज करने की जरूरत है। क्योंकि देहात में कैपिटलिस्ट्स का असर बाकी है और वे कर्जा देते हैं और गो कोआपरेटिव का इन्तजाम

[श्री मुहम्मद रफी खां]

और सूबों के मुकाबिले यहां जब ज्यादा फैल चुका है तब भी हम काश्तकार को महाजनों के कब्जे से छुड़ा नहीं पाये है। उसके लिये हमें जरूरत पड़ेगी कि उस तरफ तवज्जह दें और किसान को सूद दर सूद से बचा सकें और कायदे की सुविधा दिला सकें और उनकी जरुरियात पूरी कर सकें।

तीसरी चीज यह है कि कोआपरेटिव आफिसर्स की शिकायत और कोआपरेटिव मिनिस्टर्स की काफी शिकायत सुनने को मिलती है। लेकिन अपोजीशन वाले यह शिकायतें इसलिये करते है कि इनको यह बात बड़ी नागवार गुजरती है कि मुल्क का एक सूबा तरक्की की तरफ जा रहा है। वह इस चीज को देखना नहीं पसन्द करते हैं। इसलिये ही तरह तरह के एतराजात लगाते हैं। चौथी चीज मुझे लैन्ड मारगेंज या डेवलपमेन्ट बैन्क की करनी है। इसमें कायदे से काम नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स एप्लीकेशन्स को रिकमैन्ड नहीं करते। जब वे काश्तकारों से अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं, तो मेरे खयाल में ऐसी सूरत में, गवर्नमेन्ट को इस तरफ फौरी तवज्जह देने की जरूरत है। इसको अलावा मुझे यह कहना है कि कोआपरेटिव डेवलेपमेन्ट बैंक्स से काश्तकारों को काफी बीज नहीं मिलता है और उसका जो रेट आफ इन्टेरेस्ट है उसमें भी सवाया में कमी कर दी जय ताकि लोग कोआपरेटिव के ज्यादा नजदीक आयें और इसके अलावा जब यू० पी० के डेवलपमेन्ट का तजकिरा किया जाता है तो कहा जाता है कि ईस्टर्न यू० पी० काफी बैकवर्ड है और इन्डस्ट्रीज वगैरह वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टस को ही अलाट हो सकती है। लेकिन सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि सैन्ट्रल यू० पी का मेरा जिला शाहजहांपुर सरकार की निगाह से बचा हुआ है। तीन पांच साला योजनायें खत्म होने को हैं, लेकिन शाहजहांपुर को कोई इन्डस्ट्री नहीं दी गई। इसलिये मेरी गुजारिश है कि शाहजहांपुर को ही इन्डस्ट्री अलाट की जाय जिससे वहां का अनएम्प्लायमेन्ट दूर हो सके। जहां कोआपरेटिव ने सारे यू० पी० के लिये बहुत कुछ किया है वहां शाजहांपुर के लिये भी ध्यान दें। वहां कोआपरेटिव बेसिस पर ऐसी फैक्ट्री कायम कर दें जिसमें तीन या साढ़े तीन हजार आदमियों को एम्प्लायमेन्ट मिल सके। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट के कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के बहुत से अफसरों से मेरी मुलाकात है। मैंने देखा कि वे कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट में नहीं थे तो वे ज्यादा कायदे से काम करते थे। कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट में पहुंचने पर उन्हें मीटिंग्स वगैरह में ज्यादा समय लगाना पड़ता है और आफिसर्स को कनविन्स करने में काफी दिक्कतें आती हैं। मैंने देखा कि जब वे वहां पहुंच गये तो महकमें का काम तो ठीक ढंग से होने लगा है, लेकिन जब वे पब्लिक के मुख्तलिफ मामलों में पहुंचे कोआपरेशन के लिये तो उनका इन लोगों से नानकोआपरेशन हुआ है। लिहाजा मैं यह गुजारिश करूंगा कि जहां वह कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट एक सिलसिले में बहुत कुछ कर रहा है वहां पब्लिक कान्टेक्टस में भी ऐसा न हो कि यहां नान कोआपरेशन हो जाय।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक समाजवाद कायम करने वाली सरकार के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है और समाजवादी सरकार की अगर कोई मजबूत चीज हो सकती है तो वह सहकारिता है। हमारे भाई भानु प्रताप जी ने मिसाल दी कि दो बैल मिलकर चलते हैं तो उसका फायदा दूसरे को पहुंचता है, बैलों को नहीं पहुंचता है। मुझे तो यह सुनकर हंसी आई कि आज के विज्ञान के युग में उन्होंने बैलों की सहकारिता की बात कही। बैल का तो आप खेती में नाम न लीजिये। सहकारिता एक नयी चीज है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हमारी आदत पड़ गई थी कि हम निजी तरीकों से हर क्षेत्र में काम करें। हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी ने सहकारिता के बारे में पूरे देश में हमारे सूबे की तारीफ की, १९६२ में, एक बार नहीं, दो बार की। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में यह प्रान्त कुछ आगे बढ़ा है। मैं इससे बिलकुल सहमत हूं।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, यह नये तरीके का काम है और इसके काम को देखते हुये वह भ्रष्टाचार जो इसमें है, नहीं के बराबर है। वह बहुत ज्यादा होना चाहिये था। दूसरे विभागों से इसमें कहीं कम है। हमें बोतलों के दूध में जो इस विभाग से संबंध रखती हैं, पानी मिलता है। पिछले साल जैसा दूध हम पीते थे, हमारी जीभ बता देती है कि अब वह दूध नहीं मिल रहा है। लेकिन उसका मुकाबला आप बाजार के दूध से कीजिये कि किसके दूध में ज्यादा पानी मिलता है।

एक साथी ने अभी कहा कि जो कर्जा यह विभाग देता है उससे तो महाजन का कर्जा अच्छा था। मुझे मालूम है कि महाजनों ने हमारे काश्तकार को बरबाद किया। १ रुपये के कागज पर अंगूठा लगवा कर हमारी तमाम जमीन ले ली। कोआपरेटिव आन्दोलन के लिय यह मिसाल बिलकुल गलत है।

माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि मुझे उनके कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं है। मुझ शिकायत केवल दो प्रकार के कर्मचारियों से है, एक तो सुपरवाइजर और दूसरा खजांची। हमारे जिले में मिसालें मौजूद हैं कि किसानों से ये लोग अंगूठा लगवा लेते है और रुपया खुद खा जाते है। जिस जिले का सुपरवाइजर रहने वाला हो उसे उस जिले में नहीं रखना चाहिये। एक साल से ज्यादा किसी सुपरवाइजर को एक जगह न रखें। जहां तक ए० आर० ओज० साहबान का मुझे तजुर्बा है, वे बिलकुल बेईमान नहीं हैं। लेकिन सुपरवाइजरों में शायद ही कोई एकाध ईमानदार निकले। वह आपके विभाग की बला है।

सब से बड़ी बात यह है कि आज कोआपरेटिव फार्मिग की मेम्बर साहबान ने शिकायत की। ठीक है वह एक दम नहीं की जा सकती है। लेकिन आप उसे जबरदस्ती न लादिये। आप अपने आंकड़ों को छोड़ कर गांवों में जाकर देखें कि काश्तकार की कितनी बड़ी तादाद ऐसी है जिसके पास कम जमीन है। ८० फीसदी तक पहुंच गई। जिनके पास १० बीघे जमीन है वे लोग फसल का हेरफेर नहीं कर सकते। जब तक जमीन की बड़ी जोत न हो ताकि उसमें पैदावार की तब्दीली की जा सके, तब तक पैदावार अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिये कोआपरेटिव फार्मिन्ग की बहुत जरूरत है। मैं आपको दावत देता हूं कि मेरे जिले मुजफ्फरनगर में आइये। हमारे यहां चूमसा और गोहरपुर के दो कोआपरेटिव फार्म हैं। उनका मुनाफा दुगुना नहीं तो सवाये से ज्यादा जरूर है। कोआपरेटिव आन्दोलन को जिस प्यार और बहादुरी के साथ लेकर हमें चलना चाहिये था वह हम नहीं चले। जिन वर्गों के लिये यह ज्यादा जरुरी था उनको इसका फायदा नहीं पहुंचा है। आप बताने की कृपा करें कि जुलाहों के कितने यूनियन आपके प्रदेश में बने। कितना उन्हें लोन दिया गया, कितने कामयाब हुए? मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी यूनियनों को प्रोत्साहन देने की कृपा करें। कोआपरेटिव में रिक्शा यूनियनों की बात कई बार आती है। बहुत बड़ी तादाद इन लोगों की है। अगर इनका यूनियन आप बना दें, उन्हें कर्जा और सहायता दें, तो उनका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आपने पहले चीनी उद्योग की घोषणा भी की थी। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता हूं, वैसे वे मेरे पास हैं। लेकिन पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़ों में चीनी उद्योग में हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है। बागपत और सहारनपुर में हमारे यहां दो मिलें हैं जो घाटे में चल रही हैं। बुढाने में एक छोटा-सा क्रशर आपने लगाया, वह नीलाम हो गया। चीनी उद्योग को कोआपरेटिव बेसिस पर बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है।

कपड़े की मिलों के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने पहले एक बार बयान दिया था कि कोआपरेटिव बेसिस पर हम उन्हें चालू करेंगे। लेकिन अभी तक शायद एक भी कपड़े की कोआपरेटिव मिल नहीं है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। बैन्क के डाइरेक्टर्स का चुनाव हर ब्लाक के मेम्बरों को जिले में एक जगह बुलाकर आप कराते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि एक तरफ के ज्यादा मेम्बर आकर उनकी ही एक तरफा कमेटी बन जाती है। अगर आप हर ब्लाक के अलग अलग चुनाव करावें तो ब्लाक के सही नुमाइन्दे

[श्री विजयपालसिंह]

चुनाव में आ सकते हैं और अच्छी कमेटी भी बन सकती है। बैंकों की जीपों को बैंक के कर्मचारी और अधिकारी अपने स्वार्थों के लिये इस्तेमाल करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जिले में मैनेजिंग डाइरेक्टर--मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं--अपनी पूरी शक्ति से जीप और मुलाजमान को लगाकर कहीं कृषक समाज की मेम्बरशिप का और कहीं कांग्रेस का काम करते हैं और कहीं-कहीं तो दोस्तों के मुकदमों के लिये खुल्लमखुल्ला इस्तेमाल करते हैं। उस कार पर ड्राइवर भी नहीं है। इस प्रकार से यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि आप सहकारिता के आन्दोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिये। इसके बगैर आप समाजवाद कायम नहीं कर सकते। मैं अपने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि जिस मेहनत के साथ उन्होंने अब तक काम किया है वे जरा और मेहनत करें और भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मैंने माननीय भानु प्रताप सिंह जी का भाषण सुना और मुझे बड़ी आशा थी कि उनकी स्थिति का व्यक्ति कोई ठोस तथा रचनात्मक सुझाव रखेगा, लेकिन मुझे दुख है कि उनकी सारी बिचारधारा यह प्रदर्शित करती है कि वे प्रजातंत्र और समाजवाद में विश्वास ही नहीं करते। सहकारिता, प्रजातंत्र और समाजवाद के लिये आधार स्तम्भ है। एक पूरक अंग है, जिनकी आस्था समाजवाद और प्रजातंत्र में है, वह इस आन्दोलन की प्रगति की प्रसंशा करते हैं और उसकी सफलता की कामना करते हैं लेकिन जो उसके सिद्धान्तों में विश्वास ही नहीं करते, वह इस आन्दोलन में कभी विश्वास नहीं कर सकते। मेरे सामने जो आंकड़े हैं, प्रदेश के अन्दर सहकारी आन्दोलन की प्रगति के आंकड़े हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि पिछले पांच सालों में ५९ साल की प्रगति के मुकाबिले में दुगुनी प्रगति हुई है। आप देखें कि इंडिविजुअल मेम्बरशिप, शेयर कैपिटल, डिपाजिट्स, वर्किंग कैपिटल तथा प्राफिट पहले की बनिस्बत दुगुना तथा कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा हो गया है। क्या इसे प्रगति नहीं कहा जायगा? बीज भंडारों को लेकर एक बात कही गई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसान को समय पर बीज न मिले, तो कैसे उसका काम चल सकता है? सवाये पर बीज लेने की बुराइयां हम सबको मालूम हैं। अतः किसानों को सहकारिता द्वारा बीज देकर यह आन्दोलन उनकी सेवा करता है। आप कहते हैं कि इससे फायदा नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि महाजन तथा जो व्यक्तिगत ब्याज लेते थे, वह ३५ से ५० प्रतिशत तक ब्याज लेते थे, उसके मुकाबिले में अगर सहकारी संस्थाओं द्वारा किसान को कृषि की उन्नति के लिये ७ और ८ प्रतिशत पर रुपया दिया जाता है तो यह सेवा नहीं है तो और क्या है? मल्टीपरपज सोसाइटीज को देखें, हमें लोगों के अन्दर सहकारी मनोवृत्ति उत्पन्न करना है। सहकारिता के आधार पर बड़ी-बड़ी योजनायें बनानी हैं जिसके लिये विशेष प्रकार की मनोवृत्ति उत्पन्न करनी होगी। सहकारी खेती के संबंध में माननीय बिजयपाल सिंह जी ने जो दलीलें दी हैं मुझे बहुत पसन्द हैं और मैं उनकी तारीफ करूंगा। आप देखें कि मल्टीपरपज सोसाइटीज और क्रय-विक्रय समितियां समाज की कितनी सेवा करती हैं। इसी प्रकार से मार्केटिंग सोसाइटीज किसानों को आढ़तियों के पंजे से बचाने का काम करती हैं। इस आन्दोलन से विविध क्षेत्रों में सेवा की जा रही है। हमारे जिला इटावा में फलों के संरक्षण के लिए सहकारिता के आधार पर एक कारखाना खोला गया। आज जो चाहते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति रहे जनता का शोषण होता रहे वही इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन यदि सहकारिता के आधार पर एक बड़ी रकम को बचाकर हम जनता के काम में लगा देते हैं, तो क्या यह सेवा नहीं है? आप अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को लीजिये। उसमें सहकारी संस्थाओं ने कितना काम किया

है ? खाद वितरण का काम जितने सुचारु रूप से सहकारी समितियां कर रही हैं, क्या और कोई संस्था कर सकती थी ? इससे कितना लाभ हुआ है, इस पर दो राय नहीं हो सकतीं। हां कुछ बातें खटकने वाली हैं। लेकिन व्यावहारिक ज्ञान बताता है कि जहां बड़ी योजना को चलाते हैं वहां थोड़ा सा मार्जिन उनके फेल्योर के लिये देना पड़ेगा और उससे हमको निराशा नहीं होनी चाहिये। सहकारी आन्दोलन की सफलता और असफलता अवलंबित है, सुपरवाइजर पर। वह किसी का मातहत नहीं है। जहां सुपरवाइजर ईमानदार है, वहां सोसाइटी अच्छी चलती हैं और जहां गड़बड़ करते हैं, वहां डूब जाती हैं। लेकिन उसका दायित्व किन पर है ? इसका दायित्व उन्हीं पर है, जो चुनकर के वहां बैठते हैं, और जिन पर उन सोसाइटीज को चलाने की जिम्मेदारी जनता ने डाली है। यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं ढूंढ़ सकते जो सोसाइटीज की जिम्मेदारी ठीक-ठीक तरह से निभा सकें, तो यह हमारी बदकिस्मती है। व्यक्तियों का अभाव हो सकता है लेकिन इससे इस मूवमेन्ट की सफलता और असफलता का क्या संबंध हो सकता है? सुपरवाइजर की स्थिति बड़ी विचित्र है। मैं नहीं जानता कि इस आन्दोलन में नये विधेयक द्वारा क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से कहूंगा, उन्हें बड़ा अनुभव है, उन्होंने इस विभाग की बड़ी सेवा की है। वह सुपरवाइजर की स्थिति ऐसी कर दें जिससे वह किसी एक के नियंत्रण में आ जायं। डुवेल नियंत्रण उस पर नहीं रहना चाहिये जिसके कारण वह न ए० आर० के मातहत है, और न डी० आर० के मातहत है। मैं इस आन्दोलन में सन् १९४८ से हूं, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझ सका कि सुपरवाइजर किसके मातहत है। कौन उसे दन्ड दे सकता है ? दन्ड देने के लिये एक कमेटी बनी हुई है। इसके बाद इसकी अपील होती है जिसमें बड़ी बड़ी सिफारिशें होती हैं। यहां १०-१५ आदमी आकर के विधायकों पर जोर डालते हैं और अंततोगत्वा सुपरवाइजर बच जाता है। मुझे ऐसे किस्से मालूम हैं जहां सुपर-वाइजर ने लाखों रुपया खाया है और वह कानून के पंजे में नहीं आ सका। इसलिये मैं चाहूंगा कि सुपरवाइजर की स्थिति मंत्री जी ऐसी बना दें जिससे वह किसी एक का मातहत हो जाय।

बैंकों के संबंध में मुझे यह कहना है कि वह चल रहे हैं, उनका अपना विधान है, वह लोगों की सेवा भी कर रहे हैं लेकिन एक अड़चन है। संविधान में है कि हमने एक तालिका बना दी है, उसमें से आदमी बुलाकर के बैंक मैनेजर बना सकते हैं। लेकिन उनके यहां कोई तालिका नहीं है। जब मैनेजर का स्थान रिक्त होता है तो उपयुक्त आदमी मिलता ही नहीं। जब पूछते हैं कि आपके पास कोई आदमी है, तो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। मैं सहमत हूं इस सुझाव से कि इसमें भ्रष्टाचार है, गबन है, लेकिन इसका दायित्व उन्हीं व्यक्तियों पर है, जिनका संबंध उन संस्थाओं से है। उसका दायित्व सरकार और अधि-कारियों पर नहीं डाल सकते। प्रश्न यह है कि गबन कैसे रुके। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आपका जो आडिट डिपार्टमेन्ट है उसको थोड़ा कड़ा कीजिये। शक्तिशाली बनाइए और उन गबनों को रोकने का प्रयास कीजिये। इस पवित्र आन्दोलन के प्रसार के लिये यह आवश्यक है कि आप जनता में एक अच्छा वायुमंडल बनायें जहां जनता यह समझे कि यह उसका आन्दोलन है। दुर्भाग्य से अभी जो तरीका रहा है हमारे अधिकारियों का उनमें और बैंक संस्था के कर्मचारियों में एक संघर्ष सा रहा है। एक विचारधारा तो यह है कि सहकारी संस्थाओं पर से अधिकारियों का नियन्त्रण बिलकुल समाप्त कर दिया जाय और दूसरी विचारधारा यह है कि नहीं, उन संस्थाओं से ठीक-ठीक काम लेने के लिए सरकारी अधिकारियों का नियन्त्रण रहना चाहिए। श्रीमन्, मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिनका यह विश्वास है कि अभी आरम्भिक युग में, आरम्भिक अवस्था में, जब तक ये संस्थायें अपने पैरों पर खड़े होने लायक न हो जायं, इन पर अधिकारियों का नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। यों तो अन्ततोगत्वा हमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना ही है। अगर नियन्त्रण हटा दिया जायगा तो जितना गोलमाल इस समय होता है उससे दस गुना गोलमाल होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इधर और उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत गम्भीर बातें कहीं। मैं उनको बड़े ध्यान से सुनता रहा। मैं तो कोआपरेटिव की ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी का भी मेम्बर हूं, उसके बारे में अपनी विमति टिप्पणी भी लिखूंगा, उसमें भी इन बातों को बताऊंगा लेकिन यहां माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कुछ सिद्धान्त की बातें उठायीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोआपरेटिव विभाग सारी दुनियां में काम कर रहा है। कोई नयी चीज यह सरकार नहीं लायी है। दुनियां के वे जनतन्त्रीय मुल्क जो समाजवाद को पसन्द करते हैं, वे इसको अपनाते हैं, उन्होंने इसको अपनाया है। सहकारिता, समाजवाद के सुदृढ़ सिद्धांतों की आधारशिला है, नींव है। इसलिए मैं इस सरकार के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह इस सरकार की कोई नयी चीज नहीं है। यह सारी दुनियां के समाजवादी देशों की नकल मात्र है। सहकारिता के बिना समाजवाद हो ही नहीं सकता। माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने जो बात कही, उसके विषय में सिद्धान्त में, मुझ में और उनमें फर्क हो सकता है, लेकिन इस सहकारिता के बारे में उन्होंने जो बात कही, उसका मैं समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बनारसीदास जी ने यह किताब छपवाई है जिसमें यह बताया गया है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ने कहां-कहां क्या-क्या किया ? इसमें बताया गया है कि सन् ६३–६४ में ५८ लाख सदस्य बनाए गए, ४५.५ लाख ऋण दिया गया, ४२.१० प्रतिशत शामिल हो गए, ४८.१० प्रतिशत ऋण बांट दिया गया। माननीय बनारसीदास जी इस समय यहां नहीं हैं, पता नहीं मेरी बात को कोई कैबिनेट का मन्त्री उनको बताएगा या नहीं, मेरा तो यह तजुर्बा है कि यह कोआपरेटिव विभाग बेईमानी और चोरबाजारी का अखाड़ा है। लेकिन उधर के माननीय सदस्यों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। मैं औरों की बात तो इस समय कहना नहीं चाहता हूं, उस बैंक की बात ही कहूंगा जिसको सर्वश्रेष्ठ बैंक उत्तर प्रदेश का बताया जाता है। जिसकी तारीफ जवाहरलाल जी ने की, स्वर्णसिंह जी ने जिसकी तारीफ की, श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने कहा कि सारे प्रान्त का इससे बढ़िया बैंक कोई है नहीं और माननीय बनारसीदास के लिए सैकड़ों दरवाजे बनाकर वहां के मैनेजर ने उनके सामने भी यह सिद्ध कर दिया। वह सबसे बढ़िया बैंक है कहां ? मथुरा में। उसके लिए मैं अपनी बात नहीं कहता। मैं कभी हलकी फुलकी बात नहीं कहता। तीन साल से मैं यहां हूं, कोई बता दे मैंने कोई ऐसी वैसी बात कही हो। हमारे एक कांग्रेस के भाई श्री कन्हैयालाल ने ही उस बैंक के बारे में विश्लेषण किया है। हां, यह जरूर है कि पार्टी का लिहाज करके बहुत सी बातें उन्होंने दबी जबान से कही हैं, मैं यहां उनको साफ करके बताना चाहता हूं। हमारा कोआपरेटिव विभाग का जो नया कानून बन कर आ रहा है, उसमें कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं, उनकी बात तो अलहैदा है। ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी की २ मीटिंग्स हुईं और उस कमेटी में बैठकर माननीय बनारसीदास ने विरोधी दल के सदस्यों की बहुत सी बातों को माना, वह चीज तो अलहैदा है, उन बातों को मैं यहां नहीं कहना चाहता। क्या हालत है आज आपके कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की ? अगर किसी काश्तकार का १०० रुपये का शेयर है तो उस काश्तकार को ५०० रुपये कर्जा मिलेगा, उससे ज्यादा तो कहीं आप देते नहीं हैं। पालीवाल जी ने कहा कि बहुत कम व्याज पर रुपया सोसाइटी से मिलता है, ७, साढ़े ७ रुपए सैकड़े व्याज पर मिलता है। किसी ने कहा कि महाजनवाद को खत्म किया जा रहा है। मुझे बड़ी तकलीफ है कोआपरेटिव बैंक के कारनामों से। अगर मैंने अपने हिस्से का १०० रुपया जमा किया है तो मुझे ५०० रुपया कर्जा मिलेगा। हमारे यहां के सर्वश्रेष्ठ बैंक का डायरेक्टर जो बैठा है उसने ५१ फार्मेसी खोल रखी हैं और वही सब रुपया लेकर बैठ जाते हैं। हमारे पास रुपया नहीं है, जमा करने की इंट्री ३० जून तक होती है। ये सारी बातें जब मैंने सेलेक्ट कमेटी में बतलायी कि यह क्या बात है मेरी समझ में नहीं आती कि वे क्या करते हैं तो माननीय बनारसी दास ने यह कह कर छोड़ दिया कि हम क्या करें जब कि सारा सेट अप ही डेमोक्रेसी का इस तरह का है। तो इस प्रकार की दलील देने से कोई काम नहीं चलता है। ७ साढ़े७,१० या १२ परसेन्ट व्याज की बात कौन कहे, इससे कहीं ज्यादा व्याज ५०० रुपये के कर्जे पर देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ बैंक और हिन्दुस्तान के सर्वश्रेष्ठ बैंक का जो मैनेजिंग

डायरेक्टर है, वह ५१ फार्मेसी को लेकर बैठता है, वही रुपए बांट लेते हैं। वे कितनी ईमानदारी बरतते हैं कि जमा तो ३० जून के पहले कर लेते हैं और जैसा कि श्री कन्हैयालाल जी ने कहा, उनसे कहा यह जाता है कि एक माह के बाद रुपया मिलेगा।

श्री बनारसीदास--

फार्मेसी से आपका क्या मतलब है?

श्री राधेश्याम शर्मा--

जितने उनके लोग या एजेन्ट्स होते हैं वे बैठते हैं जो रुपया देते हैं। जब हमने रुपया लौटाया तब हमको लौटाने के बाद ५०० रु० मिलता है। यह पहले ही तय हो जाता है कि १०० रु० के शेयर पर ५० रु०, ७५ रु०, १०० रु०, १५० रु० या २०० रुपया एजेन्टों को देना पड़ेगा तब उसे ५०० रु० मिलता है। मैं पूछता हूं कि कोई भी महाजन इतना व्याज नहीं ले सकता है जिस हद तक कि आपका उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ बैंक आज ले रहा है। मैं किसी राजनीतिक आधार पर यह बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका सर्वश्रेष्ठ बैंक एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। मैं तो दिगम्बर सिंह की जमानत जब्त करा लूंगा, वे क्या चुनाव मेरे सामने जीत सकते हैं। मैं जौनपुर की पुलिस घटना की तरह किसी गाली-गलौज की बात में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मेरा सुझाव है कि हमारे सर्वश्रेष्ठ कोआपरेटिव बैंक के डायरेक्टर दिगम्बर सिंह के बारे में एक जांच कमेटी बैठा दीजिए, उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायगी कि जो आरोप मैंने लगाए हैं वे कहां तक सही हैं। कम से कम हर साल ५०-६० हजार, एक लाख, डेढ़ लाख रु० वे तथा उनके लड़के अलग-अलग सोसाइटी से पैदा करते हैं। फिर आप कहते हैं कि आपका सर्वश्रेष्ठ बैंक का डायरेक्टर कितना ईमानदार है।

मुझे पहले शक था कि माननीय बनारसीदास को जिनके सुपुर्द कोआपरेटिव विभाग है, उनको कोआपरेटिव आन्दोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में जिस अच्छे ढंग से उन्होंने हमारे सुझावों को काटा और कुछ को माना भी, जिससे मैं कह सकता हूं कि उनको कोआपरेटिव के बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन मैं माननीय बनारसी दास जी से कहता हूं कि जिस तरह का आज उसका सेटअप है, उसमें इस विभाग से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता है। आज वहां राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है, और मैं कहता हूं कि शुद्ध राजनीतिक अखाड़ा है। आपके सर्वश्रेष्ठ बैंक की जीप हर एलेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, जिला परिषद् के इलेक्शन में, क्षेत्रीय समिति के इलेक्शन में और आम चुनाव में वहां की जीपें चलती हैं। यह सब कुनबा परस्ती और गड़बड़ घोटाला वहां चल रहा है जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। बिल आने के बाद जो कुछ आप करेंगे वह तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त हालत यह है कि जब कोई लिस्ट बनती है तो मैनेजिंग डायरेक्टर चाहें तो नाम काट दिया जाता है। मैं कोआपरेटिव बैंक में जिले का प्रतिनिधि होकर गया, लेकिन जब हमारे यहां मैनेजिंग डायरेक्टर को इसका पता चला कि निश्चित यह जीत जायगा तो कह दिया गया कि सोसाइटी पर ५०० रुपया कर्ज है, वह वोट नहीं दे सकते खड़ा होना तो अलग रहा। लेकिन बाद में १०३ प्रतिनिधियों की जो लिस्ट मंगाई जिले से तो उस से मालूम हुआ कि ऐसे ही लोगों को हिस्सा लेने दिया गया जिन पर ५-४ और ३ हजार कर्ज था। कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं और अगर कोई हार जाय तो उस की कोई अपील नहीं। अब तक जो नियम हैं वह बिलकुल गलत और बेकार हैं। श्री भानुप्रताप जी ने जो कहा उस से ज्यादा कहूं तो कोई थोड़ी बात नहीं है। अभी तक सब गड़बड़ हुआ है लेकिन अगर वोटर लिस्ट ठीक बनेगी तो हम समझते हैं कि प्रदेश में कोआपरेटिव का कोई सार हो सकता है। देखने में सब्ज बाग अच्छा है लेकिन वास्तव में कोई सोसाइटी ठीक काम नहीं कर रही है। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता, न मैं मन्त्री के खिलाफ न किसी के खिलाफ कोई बात यहां उठाना चाहता हूं क्योंकि उस से यहां बवण्डर मच सकता है और उधर के लोग भी कोशिश करेंगे और दुनियां भर की बात हमारी बात

[श्री राधेश्याम शर्मा]

को गलत सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं तो मैं ऐसी बात नहीं करता लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि यह "पांचजन्य" अखबार है, इस को मैं पढ़ूंगा नहीं केवल इस के ऊपर लिखा है कि "यू० पी० का सहकारिता विभाग इफतिखार हुसैन के भ्रष्टाचार का अड्डा।" यह अखबार किस का अखबार है, किस संस्था का है लेकिन अगर वह किसी प्रदेश के अधिकारी या सार्वजनिक लोगों की इज्जत को धूमिल करता है और जिस को पढ़कर रजिस्ट्रार के बारे में आपके दिमाग में और श्री रामायण राय जी मेरी ओर से आप उसे पढ़ें तो आपके दिमाग में यह बात आएगी कि इतना घृणित और पापी आदमी कैसे यहां टिका हुआ है, आप के दिमाग में एक कलह पैदा होगा। हम तो इस अखबार की रिपोर्ट को न गलत मानते हैं और न सही मानते हैं। लेकिन अगर यह सही बात नहीं है तो क्यों नहीं आप के विभाग के अधिकारियों ने इसके खिलाफ मुकदमा चलाया और क्यों नहीं लखनऊ में उस की प्रतियों को लेकर फूंका गया और उस की होली जलाई गई ? और अगर वह बातें जो उसमें छपी हैं वह सही हैं तो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों पर क्या उस का प्रभाव पड़ेगा ? उस को पढ़कर प्रदेश के लोगों का दिमाग खराब होजाता है।

कल आप के ही एक सदस्य मिश्रा जी सही बात कहते थे कि एक पर्चा छप गया फिर उस के जवाब में दूसरा छप गया, रोज पर्चों की भरमार, एक तरफ से छपाया गया दूसरे दिन कहा गया कि यह गुटबन्दी है इसलिए छपा है यह सब चीजें प्रजातन्त्र में शोभा नहीं देतीं और यह अनुशासन-हीनता है, यह बातें ला ऐंड आर्डर को समाप्त करती हैं। इतनी छूट देना उचित भी नहीं है। मैं ऐसे अखबार को न मानता हूं और न उस की वकालत ही करता हूं। वस्तु स्थिति का पता तो न इस अखबार से चलेगा और न इस तरह की खबर छापने से ही होगा, इस में कोई गन्दी से गन्दी चीज नहीं छोड़ी है, निकृष्ट से निकृष्ट बातें इस में छपी हैं, मैं उन को वहां पढ़ भी नहीं सकता। हम चाहते हैं कि अब यह जरूरी हो गया है कि इन की जांच कराई जाय और अगर वह सही सिद्ध हों तो उस अफसर के हथकड़ियां डाल कर उसे जेल भिजवाया जाय या उस का खंडन निकाला जाय कि सब बातें फर्जी हैं और उस अखबार के खिलाफ मुकदमा चलाया जाय। आज यह मजाक हो गया है कि जिस के खिलाफ चाहा पर्चा छपा दिया और उस के खिलाफ फिर दूसरे दल ने पर्चा छपा दिया, यह प्रजातन्त्र की मखौल है और एक शर्मनाक बात है। इससे यहां की ८ करोड़ जनता पर क्या, प्रभाव होता है, वह समझती है कि हमारे बड़े अधिकारियों और बड़े-बड़े मन्त्रियों का यह हाल है। फिर आवाज उठती है कि लेखपाल ने घूस ले ली है वह घूस न लेगा तो और क्या लेगा ? यह सब चीजें ऊपर से चलती हैं। जैसे ऊपर का ढांचा होता है वैसे ही वह नीचे तक चलता है, वैसी ही प्रक्रिया होती है। ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी की बात मैं बाद में पूरी तरह से करूंगा। आज मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो अंधेरगर्दी है, इसको साफ करो वरना प्रदेश में, देश में और दुनिया में इस प्रजातन्त्र में कोई आस्था नहीं रखेगा। मैं अन्त में यह भी बताना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं कि आप उधर ही बैठें और यह भी जरूरी नहीं है कि हम इधर ही बैठे रहें। जैसी आप परम्पराएं डालेंगे वैसी ही हमें भुगतनी पड़ेंगी। इसलिए मुझे आपसे यह कहना है कि जो मौलिक प्रश्न हो उस पर विचार कीजिए और उन्हें ही अपनाइए।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, कोआपरेशन को मैं प्रजातन्त्र की आधार शिला मानता हूं और समाज-वादी होने के नाते कोआपरेटिव को समाजवाद का एक अंग मानता हूं। श्रीमन्, इतना ही नहीं कोआपरेशन चलाने के लिए जिस प्रकार की लीडरशिप की आवश्यकता इस मुल्क में है, उसी प्रकार की लीडरशिप अवश्य पैदा होनी चाहिए। शायद इन विचारों से नेता स्वतन्त्र पार्टी सहमत न हों पर अपना विचार तो यह है; और इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को और उसके कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में सहकारिता के नेतृत्व की ट्रेनिंग देने में सरकारी कर्मचारियों और दूसरे गैर सरकारी लोगों ने भी अधिक अंश तक जिम्मेदारी निभायी है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं इसलिए भी इस अनुदान का समर्थन करना चाहता हूं

कि आज अपने मुल्क में जिस प्रकार की स्थिति है, जिस प्रकार से लोग सोशलिस्टक ट्रांसफार्मेशन की तरफ समूचे समाज को मोड़ कर ले जाना चाहते हैं। और मैं अपने दूसरे सोशलिस्ट दोस्तों को आवाहन करना चाहता हूं कि वे भी इस अनुदान का समर्थन करें। मैं श्री विजय पाल सिंह जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सिद्धांततः इस अनुदान का समर्थन किया है। मैं यह मानता हूं कि उनका तरीका दूसरा हो सकता है, इसको पूरा करने के तरीके में कुछ अन्तर हो सकता है। मैं माननीय राधेश्याम जी को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सहकारिता मन्त्री के कोआपरेटिव स्प्रिट को कबूल किया। हाउस के बाहर जितने विरोधी दलों के सुझाव हुए हैं, उन्हें कोआपरेटिव मिनिस्टर ने माना है। यह कोआपरेशन की स्प्रिट है। यह कांग्रेस पार्टी और उन लोगों की स्प्रिट है। हमारे दोस्तों ने यह कहने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी कि इस विभाग में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी है। क्या उधर के बैठने वालों ने एक भी विभाग छोड़ा है जिसमें उन लोगों ने भ्रष्टाचार का चार्ज न लगाया हो, चाहे वह विभाग सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हो या प्रदेशीय सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो। मैं जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के चार्जेज किसके खिलाफ लगाते हैं। जो लीडर्स कोआपरेटिव में काम कर रहे हैं मैं जानता हूं हर राजनीतिक दलों के हैं चाहे वह अपने दल का, अपने विचारों के लोगों का प्रभुत्व जिला लेविल पर न बना सका हो लेकिन यह देख लिया जाय यू० पी० कोआपरेटिव बैंक, यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन या दूसरे जिले के जो संगठन उनमें देखने को मिलेगा कि इसमें १६ आने इधर के ही लोग नहीं हैं। मैं नेता स्वतन्त्र पार्टी की यह बात सुन कर ताज्जुब में पड़ गया कि सुपरवाइजर्स का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उनकी मंशा यह थी कि जो फेडरेशन है या जिले में बैंक के अधिकारी हैं वे सुपरवाइजर का ट्रान्सफर नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा कि बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एल० डी० सी० का डायरेक्टर होता है। उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार को छोड़ कर बाकी सभी लोग गैर सरकारी सदस्य होते हैं। एल० डी० सी० के मातहत ही सारे सुपरवाइजर्स का कैरेक्टर रोल, प्रोमोशन्स तथा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की ताकत होती है। ऐसी हालत में मुझे आशा है कि माननीय नेता स्वतन्त्र पार्टी अपने विचार को बदल देंगे। ऐसी बातें कह कर कि फलां सोसाइटी में गबन हो गया, फलां एपेक्स बाडी में गबन हो गया, वे लोग अनजाने में सहकारिता का अहित कर रहे हैं ऐसे इल्जामात लगा कर। इससे उन विचारों को बल मिलता है जो सहकारिता के विरोध में हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सहकारिता का इसलिए समर्थन करता हूं कि आज सारे देश में उस क्षेत्र में इस सरकार ने देहात का जो वीकर सेक्शन है उसकी मदद करने की ओर कदम उठाया है। इससे उन लोगों को स्वाभावतः तकलीफ होती है जो समाज का शोषण करने में यकीन करते हैं और जो आज भी समाज का शोषण करते हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी रिक्शा पुलर्स की, लेबरर्स की तथा छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज की कोआपरेटिव्स बना कर जल्दी से जल्दी इन शोषकों का अन्त हो। और अगर इससे अधिक बजट का प्राविजन सरकार कर सकती तो भी हम उसका समर्थन करते।

एक सोशलिस्ट होने के नाते मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उन दोस्तों से कहना चाहता हूं कि उनको मजबूती से कोआपरेटिव फार्मिंग के सिद्धांत का समर्थन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, पालिसी प्रोग्राम में कोआपरेटिव फार्मिंग का जिक्र किया है। वह उसमें यकीन करते थे और आज भी करते हैं और मुझे यकीन है कि वह सरकार के इन कामों का समर्थन करेंगे। मैं यह नहीं समझ सकता कि वे उनका समर्थन करेंगे जो कोआपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ नारा बुलन्द करते हैं और यह प्रचार करते हैं कि यह सहकारिता नहीं सरकारिता है और इस तरह से वे चुनाव जीतने की बात करते हैं। वह ठंडे दिल से सोचें कि समाज का वह सेक्शन, गरीबों का वह सेक्शन, किसनों का वह सेक्शन जिसके पास अलाभकर जोतें हैं और जिसके पास पूंजी नहीं है उसके लिये कोआपरेटिव ही एक मात्र साधन है। आज जो यह सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहा जाता है, अखबार की बात कही जाती है तो मेरे मित्र जरा सोचें कि किन के लिये वह छपता है और कौन उसे छापता है? माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वे उस अखबार

[श्री कल्पनार्थसिंह]

की कोई बात कहते तो पहले तथ्यों के बारे में जानकारी कर लेते और खास तौर से कोआपरेटिव मिनिस्टर के बारे में यह राय है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करके कोई बात कहनी चाहिये थी। इन शब्दों के साथ में अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि प्रत्येक सोशलिस्ट इस कैपिटेलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करेगा।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, पूरे हफ्ते मौका न मिलने के बाद आज भी सुबह से मेहनत करने के बाद जब कोई बोलने वाला नहीं था, मेरा नाम पुकार लिया। बहरहाल यह आपका अधिकार है, इसे आप चाहे जैसे इस्तेमाल करें। मैं मानता हूं कि कोई भी पार्टी जो सोशलिज्म में यकीन रखती है उसको कोआपरेटिव मूवमेंट को कामयाब बनाना जरूरी है। मैं यह समझता हूं कि जो सहकारिता के बारे में १९६५ की छपी हुई रिपोर्ट मंत्री जी ने दी उसमें बहुत सी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अफसोस है, काश इन बातों के ऊपर मंत्री जी का महकमा अमल कर लेता तो शायद जितनी मुखालफात इसके बारे मे विरोधी दलों की तरफ से की गई है, उसमें कमी होती। मिसाल के तौर पर रिपोर्ट के सफा २३ पर लिखा है कि सुपरावइजर और कामदार महज मदद करने के लिये रखे गये हैं। इसी रिपोर्ट के २४ वें सफे पर लिखा है कि सोसाइटीज के जरिये से सिर्फ खाद को बेचा जायगा और इसके २५वें सफे पर एक स्थान पर लिखा है कि किसानों को वह चीज दी जायगी जिसको वह मांगे। ३६ सफे पर लिखा है कि कोई भी कोआपरेटिव फार्मिंग रजिस्टर नहीं किया जायगा अगर उसके अन्दर किसी एक आदमी के घर के आदमी या उसके करीबी रिश्तेदार उस सोसाइटी के मेम्बर हैं। ये बातें बड़ी अच्छी हैं। लेकिन अगर इन बातों के अमल को देखा जाय तो चाहे क्रेडिट सोसाइटीज हों, हाउसिंग सोसाइटीज हों, कोआपरेटिव सीड स्टोर्स हों, कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज हों या लेबर कोआपरेटिव हों इनके अन्दर इन सब बातों का अमल कैसे होता है तो मैं मंत्री जी का ध्यान एक आदेश की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्रीमन्, डेवलपमेंट कमिश्नर के यहां से यह आदेश ४ अप्रैल, १९६३ को जारी हुआ है। इसके पैरा ७ में साफ लिखा है कि किसान मजबूर है खाद लेने के लिये और उसको मजबूर करके खाद दी जायगी। मुझे याद आ गया कि यह कोआपरेटिव मूवमेंट को उन्हीं लाइन्स पर ले जाना चाहते है जैसे कि बिलोची आया करते थे चाकू छुरी बेचने वाले और जबरदस्ती देते थे। वही हाल इन्होंने कर रखा है कि ये किसान को मजबूर करते हैं कि बीज नहीं मिलेगा अगर खाद नहीं लेगा। यह आदेश माननीय इफ्तिखार हुसन साहब के दस्तखत से जारी हुआ है। एक चीज और लिखी है जिससे पूरी छूट कर्मचारियों को मिल जाती है कि जिसे चाहे वे छोड़े जिसे चाहे न छोड़े। जो ५ रुपया बोरी देने का वायदा करे, उसको साफ कर दें। किसी को १० रुपये की दें, किसी को ५ रुपये कीदें। पैरा ११ में यह लिखा हुआ है। इन दोनों बातों से यह साबित है कि एक तरफ तो किसान को जबरदस्ती खाद देना चाहते हैं और दूसरी तरफ किसान से रुपये लेने की कर्मचारियों को छूट दे दी है। इसके बाद में आपका ध्यान क्रेडिट सोसाइटीज की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन में सब से बड़ी बीमारी आपके सुपरवाइजर और अकाउटेंट की है जिसका काम सिवाय सुपरवाइजर की दलाली करने के और दूसरा काम नहीं रह गया है। जिसमें से आप ट्रांसफर एन्ट्री करते हैं उसके अन्दर बड़ा बड़बड़ घुटाला है। सुपरवाईजर कहते हैं, १०० रुपया मत दो, १०९ रुपया मत दो तुम तो सीधे-सादे सिर्फ १६ रुपया दे दो। और तुम्हारी छुट्टी हो जायगी। लोगों ने जो बैंक बना रखे हैं, कर्मचारी भी होते हैं उन्होंने तरीका अपना रखा है वह १००० से १०००० के लिये अपने पास से वह रुपया जमा कर दें और ३ रुपया सैकड़ा उनका हो गया और ३०० रुपये की आमदनी उन्होंने ३ दिन के अन्दर कर ली। तो ट्रांसफर एन्ट्री की जो बीमारी लगी हुई चली आ रही है वह बहुत गलत बात है और इससे कोआपरेटिव के कर्मचारी और अधिकारियों के लिये भ्रष्टाचार और गबन की काफी गुंजायश रहती है। इस गड़बड़ी को सुपराइजर लोगों को २

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बातों की वजह से करना पड़ता है एक तो रुपया देने का टारगेट रहता है कि इतना रुपया अवश्य बंट जाना चाहिये और दूसरी तरफ वसूलयाबी का, उन पर पाबन्दी रहती है कि अगर १५ फीसदी से ज्यादा डिफाल्टर रह जायगा तो सोसाइटी को रुपया नहीं मिलेगा, रिजर्व बैंक एडवान्स नहीं करेगा। इसी कारण से फर्जी लोगों को फर्जी नाम पर रुपया दिया जाता है। मैं तो चाहता हूं कि अगर उसके अन्दर पूरी जांच करके आप देखलें, एक ही बात की अगर आप जांच कर लें कि जो सोसाइटी बनी हुई है उनमें से कितनों के पास पास-बुक है जो होनी चाहिये। हर एक के पास अपनी पासबुक होनी चाहिये लेकिन ८०प्रतिशत मेम्बरों के पास पास-बुकें नहीं हैं। वह कहां है ? वह बस्ते में ही मिलेगी और बस्ता कहां मिलेगा वह सुपरवाइजर के पास मिलेगा। तो इस प्रकार से हजारों और लाखों का गबन सोसाइटियों में आज जगह जगह चल रहा है, इसको आप देखें। जो आपकी हाउसिंग कोआपरेटिव चली थी, बहुत से लोगों ने कोआपरेटिव, हाउसिंग के लिये बना रखी है। उन्होंने आपसे रुपया लिया, उन्होंने जमीन हाउसेज के लिये एक्वायर कर रखी है। कोआपरेटिव के जरिये से जो जमीन ढाई और पौने तीन रुपये गज के हिसाब से एक्वायर की वही जमीन आज २९-३० रुपये गज के हिसाब से बेची जा रही है और यह लोग खुले रूप से फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने मकान बनाने के लिये सरकार से रुपया भी लिया उसका भी दुरुपयोग हो रहा है।

(इस समय ३ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

कन्ज्यूमर्स सोसाइटी की बात कही जाती है। हमारे यहां एक सेन्ट्रल कन्ज्यूमर्स सोसाइटी है, जिसको एक लाख रुपया लोन दिया गया है और उस एक लाख रुपये से उस सोसाइटी ने तिजारत की और तिजारत किस चीज की की ? उसने लौंग, नारियल और धनिया की तिजारत की और इन चीजों को खरीदा। और उसमें कहा गया कि उनमें तो १ हजार का घाटा हो गया, घाटा दिखा दिया गया और आजतक उसका आडिट नहीं हुआ है, उससे कोई वसूली नहीं हुई है। जब कभी उस सोसाइटी की बात होती है, उसके खिलाफ गड़बड़ी पर उंगली उठाई जाती है तो उसको आपसी धड़ेबन्दी यानी गुटबाजी में एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है यानी आपसी गुट-बाजी में उस बात को दबा दिया जाता है और गड़बड़ी चलती रहती है। मेहरबानी करके कोआ-परेटिव मूवमेंट को गुटबाजी से बरी रखिये। केवल इस मूवमेंट को चलाने से ही देश में समाजवाद नहीं आ सकता है जब तक कि उसका संचालन ठीक प्रकार से न हो। उस कोआपरेटिव मूवमेंट का अगर एलेक्शनों में एलेक्शन जीतने के लिये सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जायगा तो इससे न केवल मूवमेंट का ही नाश हो जायगा बल्कि मूलक का भी नाश हो जायगा। इसके बाद में समझता हूं कि आप अगर जरा कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ देखें। म यह मानता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग के वगैर उन्नति नहीं होगी। मैं इस बात को इसलिये मानता हूं कि काश्तकारी के लिये साधन चाहिये। आबपाशी, बैल, हल, ज्यादा जमीन, इन सब क लिये हम उसी सूरत में बढ़ावा दे सकते हैं कि हम थोड़ी-थोड़ी जमीन वालें मिलकर उस काम को करें। विजय पाल सिंह जी ने जो बात कही यह ठीक ही है। (लालबत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे दो मिनट और दे दीजिये, मैं सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

बहुत लोग बोलने को हैं। एक मिनट ले लीजिये।

श्री रियासत हुसैन—

होता उसमें यह है कि कोआपरेटिव का लोन लेने के लिये वह खानदान के आदमियों को मेम्बर बना देते हैं और बड़े-बड़े फार्म्स वाले अपने मजदूरों को मेम्बर बना देते हैं और उनकी कोआप-रेटिव बना लेते हैं। तो इस तरह से वह लोन ले लेते हैं और इसी बहाने उस मजदूर से मजदूरी कराते हैं, पहले मजदूर नहीं मिलते थे, लेकिन इस बहाने मजदूर मिल गये, लोन का

[श्री रियासत हुसैन]

रुपया मिल गया चाहे उससे वे ट्रैक्टर खरीदें, चाहे क्रशर लगायें कुछ भी करें। तो यह गलत बात है कि इस तरह से मजदूरों को और घरवालों को मेम्बर बना कर रुपया लिया जाय, इसको चेक कराने की जरुरत है।

अब दो मिनट में मैं सुझाव दूंगा। पहला सुझाव मेरा यह है कि जो आप सालाना एलेक्शन कोआपरेटिव बैंक का कराते हैं उसे आप तहसील लेविल के ऊपर करें बजाय इसके कि इसे ब्लाक लेविल के ऊपर नुमाइन्दा भेजने की बात हो और जिला लेविल पर एलेक्शन हो। इससे होता यह है कि जिस तहसील का नुमाइन्दा होना चाहिये वह न हो कर जिला लेविल पर एलेक्शन होकर दूसरे आदमी आ जाते हैं। इसलिये तहसील लेविल पर एलेक्शन कराइये।

दूसरी बात रिकवरी की है। जब आपने यह कर दिया कि १५ फीसदी से ज्यादा डिफाल्टर्स रह जायेंगे तो रुपया नहीं देंगे। तो इसके लिये स्टेट गवर्नमेंट मेरा यह सुझाव ले कि अगर रिकवरी ५०परसेंट से कभी डिफाल्टर में रह गयी तब भी आप सिक्योरिटी पर रिजर्व बैंक से रुपया दिलाकर सोसाइटी को चलायेंगे, यह आप कर दें। अगर आप इसे नहीं करेंगे, अगर वह कानून खत्म नहीं करेंगे तब आपके सुपरवाइजर और एकाउन्टेन्ट भी इसको नहीं रोक पायेंगे। आप यह कीजिये कि भले ही ५० फीसदी की रिकवरी होगी, लेकन रुपया मिलेगा। अगर कोई रुपया नहीं देता तो भले ही आप लैन्ड रेविन्यू के जरिये रिकवरी करें, लेकिन उससे होगा यह कि देनेवाले को ११० ही देने पड़ेंगे न कि १६ या २० से जो यह समझता है कि उसका काम चल जायगा, वह उसका काम चलनेवाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यों तो मेरा विचार इस अनुदान पर बोलने का नहीं था मगर अभी उधर बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने सहकारिता मंत्री जी की प्रशंसा की।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैंने प्रशंसा नहीं की। जो बात कोआपरेटिव ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की है उसको मैंने रखा था। आप मुझको गलत ढंग से मत रखिये।

श्री रामायण राय—

तो मान्यवर, स्वभाववश जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एक समाचार पत्र की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उनका ऐसा कहना है कि जो मौजूदा संचालक हैं इस आन्दोलन के, उनके संबंध में उसमें कुछ बातें कही गयीं हैं जिनके अनुसार उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कदम उठायें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को या तो उस समाचारपत्र पर मुकदमा चलाना चाहिये था। मान्यवर सबसे पहले मैं अपने दोस्त की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार की नोटिस में यह चीज आयी और राज्य सरकार ने अपनी ओर से एक उच्चाधिकारी के द्वारा जांच कराई। पता यह चला कि इस समाचार-पत्र में जितनी बातें कहीं गयी हैं वह सारी बातें निराधार हैं। मान्यवर, यदि उस समय आप इधर बैठे होंगे तो सुना होगा कि मैंने जान बूझकर यह जानना चाहा कि वह कौन सा समाचार पत्र है। उन्होंने जिस समाचार पत्र का नाम लिया उसके विषय में इस सदन का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि वह समाचार पत्र किन विचारों से ओतप्रोत होकर इस देश में जातिति का प्रचार करता है। चूंकि हमारे माननीय सदस्य एक जाति विशेष के हैं इसलिये मौ के बेमौके उस बात को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहते रहना उनका एक कर्तव्य हो गया है । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि आज सहकारी आन्दोलन की उपलब्धियों के संबंध में उत्तर प्रदेश का अगर कोई आदमी कुछ कहे तो उसको छोड़ दीजिये क्योंकि वह किसी पक्ष की बात हो सकती है, लेकिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया, जिसके बारे में राधेश्याम जी को कोई सन्देह नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट में प्रशंसा की गई है । मैं रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट को उनकी सेवा में प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं । उस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले चन्द वर्षों में सहकारी आन्दोलन जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा है वह सर्वथा सराहनीय है । मान्यवर, कुछ लोग यह कहते हैं कि पता नहीं उस अधिकारी में कौन सी विशेषता है जिसको पिछले ६,७ साल से इस पद पर बना रखा है । मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के संबंध में पिछले दिनों एक बहुत उच्चस्तरीय समिति का निर्माण हुआ था जिसने इसकी जांच की । उस कमेटी ने इस पद के संबंध में साफ-साफ यह सिफारिश की थी कि जहां तक सहकारी आन्दोलन का संबंध है और इसके संचालन और इसके प्रबन्ध का संबंध है यह एक सर्वथा टैक्नीकल डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट के अधिकारी के साथ सरकार के अन्य विभागों की भांति तीन वर्ष का नियम लागू नहीं होना चाहिये। मैं कतई यह नहीं चाहता था कि जो मौजूदा रजिस्ट्रार महोदय, हैं उनकी दक्षता के संबंध में कुछ चर्चा करूं और इस सदन का समय लूं ।

मान्यवर, मैं यह चाहता था कि भानुप्रतापसिंह ने कटौती के प्रस्ताव को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करते समय जो भ्रान्तिपूर्ण धारणा इस सदन में इस पुनीत आन्दोलन के संबंध में फैलाई है, उसके संबंध में अपने विचार प्रकट करूं । आप स्वयं जानते हैं कि भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में कोआपरेटिव आन्दोलन का एक इतिहास है । आज किसको यह ज्ञात नहीं है कि इस आन्दोलन ने सर्वाधिक किन देशों में सफलता प्राप्त की है । जब हम उन देशों की तरफ दृष्टि डालते हैं तो हमको दो देश ऐसे दिखाई पड़ते हैं जहां पर इस आन्दोलन को सफलता मिली है । मैं आपकी सेवा में एक देश की चर्चा करना चाहता हूं । उस देश को, सहकारी आन्दोलन की दुनियां में प्रत्येक सदस्य, जो जनतन्त्र में आस्था रखता है, वह अपना पवित्र तीर्थ स्थान मानने के लिये तैयार है । वह स्थान है इजराइल । जब मैंने स्वयं इसका अध्ययन किया कि इजराइल में यह कामयाब क्यों हुआ और हमारी जो कमियां हैं उन कमियों का प्रमुख क्या है तो मुझे ज्ञात हुआ है कि इजराइल में इस आन्दोलन की सफलता का कारण यह था कि इजराइल में जिस समय इस आन्दोलन का श्री गणेश किया गया तो वहां पर सामन्तवाद नहीं था, वहां पर उसकी पूर्ण व्यवस्था नहीं थी और हमारे देश में जिस प्रकार साहूकार हैं उस तरह से साहूकार उस मुल्क में नहीं थे । यह सारे शत्रु हैं इस आन्दोलन के और यही कारण है कि आज हमारे यहां यह तर्क दिया जाता है कि इस आन्दोलन में जनता शरीक नहीं है । क्या आप भूल जाते हैं कि सिवाय उपर के बैठने वाले लोगों के तमाम देश के जनतन्त्र में विश्वास रखने वाले लोग यह कहते हैं कि देश को ऊर उठाने के लिये हमको सहकारी आन्दोलन चलाना पड़ेगा । मैं माननीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य की सेवा में उनका, जो पालिसी स्टेटमेंट है, उसके विषय में निवेदन करना चाहता हूं । उसको मैं साथ ले आया हूं । यह पालिसी स्टेटमेंट यह दायित्व हमारे कंधों पर डालता है । सारी दुनियां में एक भी मुल्क बता दीजिये जहां बिना सरकारी यन्त्र के कोई आन्दोलन चला हो । जहां तक हमारे वर्तमान मंत्री के काल का संबंध है मैं एक आंकड़ा इस सदन में बताने की चेष्टा करूंगा कि कितना प्रभावकारी उनका इस विभाग पर शासन है । १९५०-५१ में २० करोड़ का वर्किंग कैपिटल था और ३.३८ लाख गबन की जो चर्चा की जाती है वह रही, अर्थात् एक लाख में १६० रहा । और १९६३-६४ में जबकि २०० करोड़ वर्किंग कैपिटल हो गया केवल १२.५१ लाख यानी एक लाख में से .०६३ रह गया गबन । जिस भ्रष्टाचार की आये दिन चर्चा सदन मे की जाती है उसके समाप्त करने के संबंध में भी इस विभाग ने और इस विभाग के संचालक और मंत्री ने जिस प्रभावकारी ढंग से कार्य किया है वह स्पष्ट है । इसलिये इन आंकड़ों के दर्पण में आपको देखना चाहिये ।

[श्री रामयण राय]

मान्यवर, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, उन माननीय सदस्यों से कह रहा हूं जिनकी समाजवाद में आस्था है। यह जो फ्री इन्टरप्राइज की बात कही जाती है और कहा जाता है कि सहकारी आन्दोलन एक धोखे की टट्टी है, मैं उसे "दौरी" कहता हूं जिससे मड़ाई होती है। मैं ऐसे सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि आज जो कन्ज्यूमर्स स्टोर खोलता है तो कहा जाता है कि पूंजी कोई लगाता है, सामान किसी के हाथ बिकता है, लेकिन यह तर्क अपने स्थान पर कितना संगत है। उनसे मैं स्वयं आग्रह करूंगा कि कोआपरेटिव आन्दोलन की बुनियाद और उद्देश्य हमारे संविधान की धाराओं में सन्निहित हैं। इधर के बैठने वाले लोग उस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि वह कौन से दल हैं जो इस आन्दोलन की धराशायी करने के लिये, इस आन्दोलन में फूट डालने के लिये जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें अनावश्यक रूप से भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

*श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, पूर्व वक्ता के भाषण को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज से कुछ समय पूर्व जब वह इन कुर्सियों पर बैठा करते थे तो उनकी बातों को और आज की बातों को सुनकर यह मालूम होता है कि कुछ व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है और इससे साफ जाहिर होता है कि अब दूसरी ओर जाकर अपना दल परिवर्तित करने के साथ जैसा कि बेपेंदी का लोटा होता है जो कि इधर उधर अपने को लुढ़काता है, वह भी केवल एक रेकार्ड की तरह सारी बातें सरकारी पक्ष में कहने के लिये चाहे वह झूठी हों या सत्य हों बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जब विपक्ष के द्वारा कुछ तथ्यों को उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन सदन के बाहर स्वयं रोना रोते हैं यह दोष है, वह दोष है।

जो भी एक समाचार-पत्र के बारे में कहा गया जिसके बारे में राधेश्याम जी ने कहा और रामायणराय जी ने कहा कि इसके विषय में इंक्वायरी हो चुकी है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि लगातार कई पत्रों में इस प्रकार की बातें आयी हैं, इंक्वायरी के लिये कहा गया है। अगर ऐसे तथ्य हैं तो पूरी जांच करानी चाहिये और उसके बाद यदि समाचार गलत है तो पत्र के सम्पादक और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जरूर कार्यवाही होनी चाहिये। अगर उसमें सत्यता हो तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। कहा जाता है कुछ ऐसे लोग जो सहकारिता आन्दोलन के विरोध में हैं जो इस आन्दोलन को धराशायी करना चाहते हैं वह ऐसी बातें करते हैं। पता नहीं, सरकार के पक्ष में बैठकर कैसे लोग ऐसी बातें करते हैं कि अमुक दल के लोग इस सहकारिता आन्दोलन के विरोधी हैं। समझ में नहीं आता कि इन्होंने विभिन्न पार्टियों के घोषणा-पत्रों को पढ़ा भी है या नहीं। अगर पढ़ा होता तो इस तरह की बातें वे नहीं करते। सहकारिता के हम विरोधी नहीं हैं, मगर यह जो बातें आप करते हैं यह गलत है। पता नहीं किस आधार पर आप ऐसी बातें करते हैं। सहकारिता आन्दोलन जिस तरीके से आप चला रहे हैं वह गलत है, इस तरह से प्रगति नहीं कर सकता। जो भी भ्रष्टाचार की बातें आपके सामने लायी जाती हैं जो भी कमियां आपके सम्मुख लायी जाती हैं, जब तक उनको आप दूर नहीं करेंगे, सहकारिता आन्दोलन आपका सफल नहीं हो सकता। सहकारिता विभाग के अन्दर जो कमियां हैं उनको आप पहले दूर कीजिये, तभी आपका यह आन्दोलन सफल हो सकेगा। आप स्वयं कहते हैं कि बोगस एन्ट्रीज को हम दूर करेंगे, मगर आज तक आप दूर नहीं कर पाये। आज भी बोगस एन्ट्रीज होती हैं। अनेक उदाहरण उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौजूद हैं और वह आपके सामने रखे जाते हैं, मगर आप कुछ नहीं करते हैं। सहकारिता आन्दोलन में जो लोग जनता से पैसा लेते हैं वे स्वयं उसका लाभ उठा लेते हैं, जनता को उसका कोई लाभ नहीं पहुंच पाता। आप को एक ऐसी अवधि रखना चाहिये, वह चाहे २-३ महीने की हो कि उस अवधि के भीतर रुपया लोन के लिये नहीं दिया जायेगा। उस बीच में आप लोन मत दीजिये। ऐसा करेंगे तो यह बोगस एण्ट्री नहीं हो पायेगी। फिर बोगस एन्ट्री के आधार पर वे पैसा पैदा नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूं यहां पर जो भी सुझाव आपके सामने रखे जाते हैं उन पर आपको विचार करना चाहिये।

यही नहीं किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है वह मैंने देखा है। जिला स्तर पर बहुत पैसे का दुरुपयोग होता है। अभी माननीय मंत्री जी एक भाषण देने के लिये पधारे। उनके स्वागतार्थ ७५ गेट बनाये गये, काफी शो आदि किया गया। सैकड़ों आदमियों को देहात से बुलाया गया, हजारों रुपया शो आदि में और इन गेट्स के बनाने में जनता का खर्च किया गया। जिन लोगों के शेयर्स हैं, जिनको उसका फायदा मिलना चाहिये, वह फायदा उनको नहीं मिल रहा है, वह पैसा गेट बनाने में, उसको सजाने आदि में खर्च कर दिया जाता है इतना खर्च होने पर होता क्या है। मंत्री जी एक वक्तव्य देकर चले आते हैं, सहकारिता के विषय में।

एक उदाहरण मैं अपने यहां का देना चाहता हूं। सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत एक योजना बनायी गयी। कई वर्ष पहले वह योजना बनी थी। उसके लिये हजारों रुपया लोगों से लेकर जमा किया गया? बाद में हुआ क्या? वह योजना सफल नहीं हुई। १००-२०० रुपया बाकी बचा, बाकी सब रुपया उसको जमा करने वाले खा गये। सारा रुपया स्वाहा हो गया। उनके बीच यही झगड़ा होता रहा कि किसका कितना शेयर होगा किसका क्या प्रतिनिधित्व रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा।

आप कहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग के आधार पर देश तरक्की कर रहा है और हम प्रगति करेंगे। मैं नहीं समझता कि कौन सा ऐसा देश है जिसने सहकारी खेती द्वारा प्रगति की हो और गल्ले की समस्या को हल किया हो। कई माननीय सदस्यों ने उसकी फीगर्स भी रखी है कि कहां-कहां उसका क्या फल रहा है। हर जगह के फीगर्स यही बताते हैं कि सहकारी खेती से प्रति एकड़ कृषि की पैदावार घटी है। हर देश सहकारी खेती के आज विरोध में है।

दूध के लिये कहा गया। हमने तमाम दुग्धशालायें खोल दी हैं और उनके लिये इतना इतना पैसा दिया है। मगर दुग्धशालायें खुली कहां हैं। एक स्थान पर कुछ दूध इकट्ठा कर लिया जाता है और उसमें पानी मिला कर लोगों को दिया जाता है। कहीं पर भी अगर आपने किसी अच्छी किस्म की गायों को दूसरे प्रान्तों से लेकर दुग्धशालायें खोली होती तो और अच्छी प्रगति आप कर सकते परन्तु आपने ऐसा नहीं किया।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जितने भी आन्दोलन हुए हैं, उन सभी आन्दोलनों को चलाने वालों की सदैव आलोचनायें हुई हैं, उनकी सदैव भर्त्सनायें हुई हैं, उनकी बेइज्जतियां हुई हैं। उनको कितनों को शूली पर, और उनमें से कितनों को जहर का प्याला दे दिया गया था। तो मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि आन्दोलन चलाने वाले अपनी सफाई दें। मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करता कि आन्दोलन को जन्म देने वाले आन्दोलन-कारियों को अपनी सफाई पेश करने की आवश्यकता हो। यह सर्व मान्य है कि जो आन्दोलन-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

चलाते हैं उनको ही गालियां मिलती हैं और उनको गालियां सुननी पड़ेगी। अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता आन्दोलन को माना सब लोगों ने। जो कटमोशन करने वाले ठाकुर साहब हैं उन्होंने भी शब्दों को तोड़ मरोड़ कर सहकारिता आन्दोलन को माना ही है। इसलिये कि असलियत तो माननी ही पड़ती है। उन्होंने कहा कि उनका सहकारिता पर तो विश्वास है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सहकारिता है वे उससे भिन्न ही अपनी सहकारिता समझते हैं अगर वे यह कह दें कि यही सहकारिता सही है तो उनका कहना गलत हो जाता है क्योंकि उन्हें कटमोशन को पेश करना है। माननीय राधेश्याम शर्मा जी ने कहा कि सहकारिता समाजवाद की आधारशिला हैं, इसमें हम विश्वास करते हैं। लेकिन उनके अखबार में जो गड़बड़ बात निकाली गई, उसी के आधार पर सहकारिता की सब मान्यतायें उनके विचार में खराब हो गई। जो व्यक्ति किसी जाति या किसी पार्टी की तरफ से है और जो पार्टी हिन्दुस्तान के बहुत पुराने जमाने के स्वप्न देखती है और बैलगाड़ियों के सफर पर विश्वास करना चाहती है, अगर वह ऐसे अखबारों की सफाई दें, तो ऐसे अखबारों की मान्यता करना या उसकी बात को स्वीकार करना तो उसकी मर्यादा को बढ़ाना है। क्या उसके लिये यह नियम लागू होगा ?

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री ने एक तालिका सदन के समक्ष पेश की। मैंने उस तालिका को बहुत गौर से सुना था। उससे ज्यादा हम नहीं कह सकते। उनमें से यदि पचास प्रतिशत भी सत्य हमारे भाई मानें तो मैं कहूंगा कि यह सहकारिता आन्दोलन पूर्ण रूप से सफल होने जा रहा है। मंत्री जी ने जिस समय से यह विभाग अपने हाथ में लिया है, और मैं समझता हूं कि मेरी तरह से एक स्पिरिट उनमें कार्यकर्त्ता होने की है, मेरी तरह से ही वे सभी कार्यों का संचालन कर रहे हैं। आप तो यह कहेंगे कि मैं सब मंत्रियों की तारीफ ही करता हूं। लेकिन उनमें इस बात की स्पिरिट है। मैं सैलेक्ट कमेटी का भी मेम्बर हूं और उसमें बैठता हूं। ठाकुर साहब और शर्मा जी भी उस कमेटी में हैं। सहकारिता मंत्री यह चाहते हैं कि इस विभाग को वे जितना ज्यादा शुद्ध बना सकें बनावें। वे हमारे सब भाइयों की बातें मानते जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि इसको शुद्ध करें, इसमें दो राय नहीं है। यह बात जरूर है कि यह सहकारिता आन्दोलन जितना पाक और साफ होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है। इसका रूप जो है वह सरकारी कर दिया गया है। जैसे सरकार के और विभाग हैं उसी प्रकार से यह विभाग भी रक्खा गया है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि इसका एक अंग ऐसा रहे जो कम से कम सहकारिता आन्दोलन के बारे में उसके महत्व को जनता को समझाये और उनकी मनोवृत्ति में एक चीज पैदा की जाय। सहकारिता की मनोवृत्ति उनमें पैदा की जाय, यह बात हमारे विभाग में नहीं है। अफसर हो करके इस आन्दोलन को कदापि सफल नहीं बना सकते। अधिकारियों को जनता में मिल करके उसकी मनोवृत्ति को समझ कर धीरे-धीरे सुधार करना होगा तभी सफलता मिल सकेगी। विभाग आलोचनाओं की परवाह न करे क्योंकि यह काफी व्यापक संस्था है। आज हर आदमी कोआपरेटिव के नाम से अवगत है। आपको याद है कि गांवों के महाजन जब गरीब किसान को गल्ला और रुपया देता था, उसके सूद में ही किसान जिन्दगी भर दबा रहता था और वह कभी पनपता नहीं था, लेकिन आज उसके ऊपर वह बोझ नहीं है। यह मामूली बात नहीं है। आज उससे नियमित रूप से रुपया वसूल किया जाता है। जहां रुपये का लेन-देन होगा वहां भ्रष्टाचार अवश्य होगा। गबन भी होगा। जब आदमी रुपया देखता है, और गरीब देश तथा गरीबी के कारण वह समझता है कि अगर हमारे ऊपर दो हजार रुपया का कर्जा है और १५०० रुपया उसको मिल गया, कहीं से भी तो वह चाहेगा कि लाओ अपना कर्जा अदा कर दो। इसलिये मजबूरियों की वजह से यह बातें हो रही हैं,। धीरे-धीरे समाज का आर्थिक स्तर ऊपर होने के कारण सब बातें स्वतः खत्म हो जायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय बैजनाथसिंह का भाषण सुनने के बाद सरकारी पार्टी से यह तर्क देना कि भ्रष्टाचार कैसे रुके यह तो बड़ा असम्भव दीखता है। जहां रुपये का लेन-देन होगा उनके कथनानुसार भ्रष्टाचार अवश्य होगा। रुपये का लेन-देन जीवन के हर क्षेत्र में है अतः हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार होगा। यह माननीय बैजनाथसिंह ने कहा। जहां तक इस विभाग का सवाल है, इसका दर्शन क्या है। इसके बारे में मैं रामायण राय जी से इत्तफाक करता हूं और शायद किसी माननीय सदस्य ने इस आन्दोलन के औचित्य के विरोध में नहीं कहा। हम सब लोग चाहते हैं कि यह आन्दोलन चले। लेकिन मैं माननीय रामायण राय जी से कहना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन और पूंजीवाद दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। जहां तक इसकी फिलासफी है, एक तरफ आपकी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा देगी और दूसरी तरफ सहकारिता को बढ़ावा देगी। यह दोनों बातें नहीं चल सकती। माननीय बनारसी दास दोनों बातें एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? सारे प्रदेश के जितने करप्ट अफसर हैं, इस महकमें में इकट्ठा हैं। इसका रजिस्ट्रार एक खास जाति का है और खास जाति के अखबार से इसका प्रोपोगंडा करता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं अगर एक जाति का अखबार है, तो उसके पीछे कुछ सैंकटिटी है और हर आदमी का फर्ज हो जाता है कि उसमें निकली बातों के बारे में सोचे। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी जब यहां आये थे तब कोआपरेटिव फेडरेशन की तरफ से कितने गुलछर्रे उड़ाये गये, कितने गेट बने, यह सब जानते हैं। यहां के रजिस्ट्रार महोदय कैसी गाड़ी पर चढ़ते हैं? सबको विदित है। अभी बरेली गये थे, उससे एक्सीडेन्ट हुआ हजारों रुपया सरकार का उसकी मरम्मत में खर्च हुआ। कितने ही उनके सगे संबंधी इस विभाग में काम कर रहे हैं, जो कभी भी दफ्तर नहीं जाते हैं, लेकिने तनख्वाह हर महीने पाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी अधिकारी के बारे में भ्रम हो जाय जनता में भले ही झूठा भ्रम हो कि वह बड़ा व्यभिचारी है, तो आपका फर्ज हो जाता है कि उसको उस स्थान पर न रखें। यदि मंत्री महोदय उनको हटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि आपका भी उनसे रिश्ता है। आज सहकारी संगठन प्रदेश के सारे भ्रष्ट अधिकारियों का एक एसोशियेशन बन गया है। इसी तरह से जिलास्तर पर जितने जनता के दलाल किस्म के लोग हैं, वही इस आन्दोलन में हैं। आम जनता इस आन्दोलन में नहीं है। मैं माननीय रामायण राय जी से कहना चाहता हूं कि यदि सहकारिता की फिलासफी ही आप आम जनता तक पहुंचा देते, तो भी ठीक था। आज साधारण आदमी सहकारिता के माने नहीं जानता। अगर किसी से पूछा जाय कि सहकारिता का क्या मतलब है, तो वह कहता है कि यह बात कर्जा लेने के लिये है। १०-५ रुपया देकर लोग कर्जा लेते हैं, लेकिन वह भी उनको पूरा नहीं मिलता। कुछ हिस्सा रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी तथा अन्य कर्मचारी खा लेते हैं। इस प्रकार १०० रुपये में से ४० रुपया बीच के लोग खा लेते हैं और ६० रुपया कर्जा लेने वाले को मिलता है। हमारे जिले में कोआपरेटिव सोसाइटी है, जिसके बड़े-बड़े कांग्रेस के नेता सदस्य और डाइरेक्टर हैं। उसमें पचासों हजार का गबन हुआ। एक राजा साहब हैं, वह कोआपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं जिसमें केवल सात आदमी हैं, ३ भाई, चौथे उनके पिता, पांचवां उनका नौकर, छठा उनका हरवाहा और सातवां भी उन्हीं का कोई आदमी है जिसको २२,००० रुपया इसी फन्ड से दिया गया। राजा साहब हल्दी देव सहकारी समिति चला रहे हैं, जिसमें उनका सारा खानदान है। मैं जानता हूं कि इस तरह की अनेक कोआपरेटिव सोसाइटीज बन रही हैं, जो रजिस्ट्रार को पैसा देकर रजिस्टर हो जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में यह सबसे भ्रष्ट मुहकमा है और जब तक मंत्री जी कोई कड़ा कदम नहीं उठाते, तब तक भ्रष्टाचार इसमें से दूर नहीं होगा। वह कड़ा कदम मेरी राय में यह होना चाहिये कि जितने उच्च अधिकारी इस विभाग में काम कर रहे हैं, उन सबको ससपेन्ड करें और कड़ी कार्यवाही करने के लिये एक कमेटी बैठाएं, तभी इसमें सुधार हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय में मौजूदा अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । सहकारिता एक उम्मीद है, एक आशा है, समाजवादी समाज की रचना के लिये । हम इसके माध्यम से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं । इससे हमारी जिन्दगी के अन्दर एक नई जान और ताजगी पैदा होगी । मौजूदा हालात में ऐसा मालूम होता है कि हम एक आर्थिक और सामाजिक दलदल में हैं, जिससे निकलने का सहारा सहकारिता ही है। यह आन्दोलन एक उमड़ती हुई नदी की तरह हर जगह फैल रहा है और इससे हमारे लिये एक उम्मीद की किरण नजर आ पड़ी । मुझे खुशी है कि आज सहकारिता हमारे प्रदेश में एक ऐसे मजबूत हाथों में है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। उनकी काबिलियत और योग्यता पर किसी को संदेह नहीं है । यों तो हर एक को दोष दिया जा सकता है, तरह-तरह की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन वह असलियत से बहुत दूर है । आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो बातें माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने कहीं, अगर उन बातों पर गौर से विचार किया जाय, कि वह कहां तक सही है । उन्होंने यह फरमाया था कि इस आन्दोलन को समाप्त कर दिया जाय। अगर इस आन्दोलन को समाप्त कर दिया जाता है तो क्या होगा? उन्होंने यह भी कहा कि इस आन्दोलन से किसानों का कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ । मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से सोचना कहां तक ठीक होगा । उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता को मार डाला गया है, यह उसकी लाश है, उसमें से बदबू आ रही है, इसको दफना दिया जाय, रजिस्ट्रार को सहकारिता का खुदा बना दिया गया है। इस विभाग में जनतंत्र के उसूलों की कोई परवाह नहीं की जाती है। लोगों के बुनियादी अधिकार खतरे में हैं । मान्यवर, मैं समझता हूं कि इन बातों में से कोई बात भी सही नहीं है । आज सहकारिता की निहायत जरूरत है ।

जहां तक कोआपरेटिव के रजिस्ट्रार का ताल्लुक है वे निहायत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति हैं । मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि वे निहायत काबिल हैं और उन पर हर प्रकार से विश्वास किया जा सकता है। वे एक विशेष जाति से ताल्लुक रखते हैं इसलिये उन पर तरह-तरह के आरोप लगाये जाते हैं । इस सेक्यूलर स्टेट में किसी भी तरह से उनको बर-दाश्त नहीं किया जाना चाहिये । जो काबिल है उसको अपनी काबलियत के दिखाने का पूरा मौका मिलना चाहिये । अगर किसी अखबार ने कोई बात निकाल दी तो उस पर बिला वजह किसी तरह भी यकीन नहीं किया जा सकता । आज हमें उनके काम को देखना चाहिये । मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि उनके जमाने में कोआपरेटिव विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ है और काफी तरक्की हुई है, सहकारिता विभाग फलाफूला है।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता का बड़ा नाम है और यह भी ठीक है कि सहकारिता के ऊपर ही मानव निर्भर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसके सारे काम सहकारिता से ही चलते हैं । यहां तक कि मनुष्य का उत्पादन भी सहकारिता के आधार पर माना जाय तो इसमें कुछ अत्युक्ति न होगी । फिर भी इस आन्दोलन के जरिये से जनता के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार की ढुलमुल नीति पर जब मैं विचार करता हूं तो मुझे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे इस समय एक बात याद आ रही है। मैं एक ट्रेन के डिब्बे में बैठा हुआ था। एक सहयात्री दूसरे सहयात्री से बातें कर रहा था। एक ने पूछा कि आप किस डिपार्टमेन्ट में काम करते हो। उसने कहा कि मैं आडिटर हूं। वह बोला, तब तो बड़ी आमदनी होती होगी। हमारे यहां जब कोआपरेटिव विभाग के आडिटर आते हैं तो उनकी बड़ी खातिर होती है। उनके चारों तरफ कोआपरेटिव के संचालक लगे फिरते हैं। यह जनता का विचार है जो एक ट्रेन में जाता हुआ आदमी दूसरे उस आदमी से कह रहा है जो उस विशेष विभाग में विशेष पद पर काम करता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यदि वे इस विभाग को उस भावना के साथ चलायें जिस भावना को लेकर इस विभाग का प्रादुर्भाव किया गया था, तब तो समाज की भलाई का कुछ काम इसके द्वारा हो सकता है।

सरकार की तरफ से हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज चलाई जा रही हैं। इसके फार्म पर १०-१० रुपये का ब्लेक चल रहा है। मैं कह सकता हूं कि फार्म का एक केस था ६ महीने हो गये, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और वह अभी तक लटका हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन माननीय मंत्री जी के पास यह मुहकमा है, वे परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनके चारों तरफ जो वातावरण है वह ठीक नहीं है। वे पर्टीक्यूलर आदमी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जो काम करते हैं उसके बजाय इस आन्दोलन के मूल आधार को लेकर काम करें तो उससे जनता का ज्यादा लाभ हो सकता है और तभी समाजवाद का नाम भी सफल हो सकता है। देखा यह जाता है कि छोटी-छोटी सोसाइटीज तो ऋण से वंचित ही रह जाती हैं। आगरा में करीब ३० चर्म कोआपरटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर आपने अपना कोआपरेटिव फेडरेशन बैठा रखा है। वह फेडरेशन ही सारे अनुदान को आबजर्ब कर लेता है। किसी सोसाइटी को अनुदान देते समय आप इस बात का पता नहीं लगाते कि उतने से उसका काम चल जायगा या नहीं या किसी सोसाइटी को आपने अनुदान दिया है उसका इस्तेमाल उसने सही रूप से किया है या नहीं। जिन सोसाइटीज को आप कलेंडर के लिये या प्रचार के लिये ३०० रु० का अनुदान देते हैं, क्या आपने उनके वास्तविक आंकड़े कभी देखे हैं कि प्रैक्टिकल रूप में क्या कर रही हैं? वहां पर बहुत सी ईंटों के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज बना रखी हैं, लेकिन देखने में आता है कि न मालूम कितने लाख ईंटे भट्ठों में वर्षों से सड़ रहे हैं और उनका कोई डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। अगर इसी कार्यक्षमता और भावना को लेकर ही कार्य किया गया तो कभी भी कोआपरेटिव आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भानुप्रतापसिंह—

अधिष्ठाता जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कि मेरे कटौती के प्रस्ताव के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये। उनकी संख्या अधिकांश है जिन्होंने मेरी बातों को स्वीकार किया और उसका समर्थन किया। जिन लोगों ने विचार व्यक्त किये हैं उनको मैं तीन श्रेणियों में बांटना चाहता हूं। एक तो वे हैं जिन्होंने मेरी बातों का समर्थन किया। दूसरी श्रेणी के लोग वे हैं जो बातों को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन सिद्धान्त में मतभेद पाते हैं। उनकी बात ऐसी ही है जैसे कोई पिता, माता अपने बच्चे को तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन जब बच्चा इम्तहान में फेल हो जाय, चोरी करे, दुष्ट कर्म करे तब उसके माता-पिता कहते हैं कि दि ब्वाय इज गुड बट हिज कंडक्ट इज बैड, यानी बच्चा तो अच्छा है, लेकिन उसके आचरण खराब हैं। उनका सोचना तो ठीक है, परन्तु आचरण इतना खराब है कि नतीजा बहुत खराब निकलता है। जिस दिन इनका आचरण ठीक हो जायगा उसी दिन मैं इनके सिद्धान्त को स्वीकार कर लूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

लेकिन जब तक इनका आचरण गिरा हुआ है, नतीजा इतना निराशापूर्ण है तब तक मैं केवल शब्दों के जाल में आने वाला नहीं हूं। आज जो सहकारिता, समाजवाद के नामों के पीछे आडम्बर का जाल खड़ा किया गया है उसको मैं स्वीकार कर लूं, यह बात होने वाली नहीं है। जैसा कि मैंने कहा—जिस दिन आचरण ठीक हो जायगा, उसी दिन मैं सोचूंगा कि इनका सिद्धान्त भी ठीक है।

तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जिन्होंने मेरे तथ्य को भी नहीं माना और मेरे सिद्धान्त को भी नहीं मानते हैं। श्रीमान्, आप इस समय चूंकि अधिष्ठाता के आसन पर बैठे हुए हैं, इसलिये मैं आपसे क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि आप भी उसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के लोगों में भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वे हैं जो देख कर भी नहीं देखना चाहते हैं, जो सुन कर भी नहीं सुनना चाहते हैं। मुझे खेद है कि आपकी गिनती भी मैं उसी श्रेणी में करना चाहता हूं। आप मेरी बात को मानते हैं और सारी बुराई को जानते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, फिर भी यहां खड़े होकर उसकी सफाई देते हैं।

श्रीमन्, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ मजबूरियां हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि जो नया मुसलमान होता है वह बहुत प्याज खाता है। तो श्रीमन्, उन लोगों का उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता। मैं उनको कहता हूं कि आप खुशी से जितना प्याज खाना चाहें, खाते रहें और उसके स्वाद लेते रहें।

उधर के बैठे हुए केवल एक माननीय सदस्य, श्री विजयपालसिंह ने मुझसे घोर असहमति प्रकट की और इससे साथ ही साथ वे इतने नाराज हो गये कि उन्होंने कह दिया कि यहां के बैल सब बेकार हैं और जब तक इन बैलों को हिन्दुस्तान से निकाल नहीं दिया जायगा, तब तक कोई तरक्की न हो सकेगी। इसलिये इन बैलों को जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिये। वह बैलों से नाराज नहीं हैं, वह खुद बैलों से खेती करते हैं, लेकिन वह नाराज इसलिये हो गये कि मैंने चीन देश के कम्यून्स के किसानों की तुलना बैलों से की थी और अगर मैंने चीन के किसानों की तुलना दौरी के बैलों से न की होती तो शायद उन्हें नाराजगी न होती। वास्तव में उस देश के किसानों की दशा दौरी के बैलों जैसी कर दी गई है और उसी भय के कारण हम उसका विरोध करते हैं कि वही दशा हमारे देश के किसानों की न होने पाये।

आपने एक बात कही। जैसे कोई बड़ा रहस्योद्घाटन किया कि मैंने बनारस में एक प्रेस कानफरेंस में कहा था कि यदि सरकार इस सहकारिता खेती के इरादे को छोड़ दे तो मैं स्वतन्त्र दल को ही भंग कर दूंगा। यह कोई रहस्योद्घाटन नहीं है, हमारी पार्टी का तो निर्माण ही इस तरह की चीज को रोकने के लिये हुआ है और हमारा विश्वास है कि जब तक वह स्वतंत्र किसान इस तरह की चीजों में फंसाया जाता रहेगा तब तक समाजवादी गुलामी नहीं जा सकती और जिस का हमें भय है।

माननीय विजयपालसिंह जी ने कहा कि सहकारी खेती इसलिये जरूरी है क्योंकि हमारे यहां छोटी-छोटी जोतें हैं, उन्होंने कहा कि ८० प्रतिशत २० बीघे से कम के किसान हैं और इसलिये आवश्यक है कि मिलजुलकर सहकारी खेती करें। मुझे बड़ा दुख होता है जब पढ़े-लिखे जिनको राजनीति का अनुभव हो चुका है इस तरह की बात करते हैं। जहां समाजवाद कायम हो चुका है और जिस रूस में बीसों वर्ष से सहकारी खेती चल रही है वहां अन्न की कमी आज भी क्यों है। चीन में क्यों अन्न की कमी है? बीस कम्युनिस्ट देशों में १८ देश ऐसे हैं कि जिनको बाहर से आयात करके पेट भरना पड़ता है और जितने भी यह समाजवादी देश हैं उनको दूसरों से गल्ला आयात करके पेट भरना पड़ता है। आप कहते हैं कि बिना इकट्ठी खेती के उपज नहीं बढ़ सकती, लेकिन आज संसार में सब से ज्यादा प्रति एकड़ उपज किस देश की है? वह जापान की है, वहां न तो सहकारी खेती है और न वहां की जोतें ही बड़ी हैं, यहां इस प्रदेश में जो औसत जोत

है उससे भी वहां आधी है और वहां के किसान उन छोटे-छोटे टुकड़ों में वैज्ञानिक खेती करके संसार में सब से अधिक प्रति एकड़ पैदा करके दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है छोटे-छोटे टुकड़ों में खेती कैसे हो सकती है। समय कम है, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल २–४ बातों का ही मुख्य रूप से यहां जिक्र करना चाहता हूं।

माननीय कल्पनाथसिंह जी ने कहा कि समाजवाद का सहकारिता बिल्कुल अभिन्न अंग है। यदि समाजवाद लाना है तो सहकारिता को आगे बढ़ाना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि यदि वास्तव में समाजवाद को इस देश के लोग स्वीकार कर लें तो वह सहकारिता से उसको अलग रखें। सहकारिता का जो स्वरूप किसानो के सामने दिखाई देता है जिसका अभी तनिक अनुभव हो रहा है वह इतना कड़ुवा है, इतना निराशाप्रद है उसको अगर समाजवाद से जोड़ेंगे तो समाजवाद भी एक दिन किसानो के लिये कड़ुवा हो जायगा। अगर समाजवाद चाहते हैं तो उसको अलग रखें। यह चीज इतनी घृणित हो गई है कि उसको साथ में लगाने से आपका नुकसान ही होगा।

अधिष्ठाता महोदय, आपने भी बड़ी प्रशंसा की थी कि यह सब होते हुये भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं अपनी राय नहीं देना चाहता, यह विभाग की ही एक आडिट रिपोर्ट है कि यह सोसाइटीज किस तरह से काम कर रही हैं। उनकी कैटेगरीज आडिट की रिपोर्ट के अनुसार ही मुकर्रर होती हैं। एक सोसाइटी वे हैं जो अपने पैरों पर खड़ी होती हैं और काम अपना चलाती हैं। बी० कैटेगरी की वह हैं जो सरकारी सहायता पाकर किसी तरह से काम चलाती हैं, सी० कैटेगरी की वे हैं जिनको सरकारी सहायता मिलने पर भी कोई सफलता नहीं होती है और डी० वे हैं जो किसी तरह चल ही नहीं सकतीं और जिनको लिक्वीडेट होना चाहिये। सन् १९५८–५९ में ५०,१३३ सहकारी समितियां थीं। उनमें से केवल २ (ए) कैटेगरी में रखी गयी, १२० (बी) में और २९,७२७ (सी) कैटेगरी में और ७,०८५ (डी) कैटेगरी में। इनमें से १३,१३३ सोसाइटीज का आडिट ही नहीं हुआ। १९५९–६० में कुल ५७,१३६ सोसाइटीज की संख्या हो गयी, लेकिन उनमें से (ए) में केवल ३,(बी) में ३२६, (सी) में ३५,६५५ और (डी) में २,६५३। इनमें से १८,४९९ का कोई आडिट ही नहीं हुआ है। १९६०–६१ में कुल सोसाइटीज थीं ५५,१३? जिनमें से (ए) में ४, (बी) में ३७१, (सी) में ३८,९७१ और (डी) में ५,९८३ थीं इनमें से १०,८०२ का कोई आडिट ही नहीं हुआ।

मैंने स्पष्ट कहा कि मैं सहकारिता का विरोधी नहीं हूं। मैं यह भी जानता हूं कि किसानों की सफलता सहकारिता से ही हो सकती है मगर इन बातों को सुन कर भी इस बात का भ्रम फैलाने की कोशिश की गयी कि मैं सहकारिता में विश्वास नहीं करता हूं। केवल सहकारिता खेती में मुझे जरूर विश्वास नहीं है कि की जाय। मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि अगर आप जानते हैं कि इस देश में सहकारिता से काम चल सकता है तो आप उसको सैद्धान्तिक विचारों का परीक्षण न बना कर आप अपने ढंग से चलायें। इसके जरिए आप अपनी नीतियों को लादने के लिए यंत्र बनाये हुए हैं। उसे किसानों की मर्जी से चलने दिया जाय।

दूसरी बात आप इसको अपने जो रिजेक्टेड लीडर्स हैं उनके लिए चरागाह न बनाइये। इन रिजेक्टेज लीडर्स से और इस ब्यूरोक्रेसी में ऐसा गठबंधन है कि वे बिलकुल शिकंजे में बंधे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोआपरेशन पनपे तो आप इसे चरागाह न बनाइये।

म आप लोगों की बातों को सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और अगर माननीय मंत्री जी थोड़ी हमारी भी बात मान लें तो मैं कटौती के प्रस्ताव को वापिस कर लूं। मैंने कहा था कि इस सहकारिता में ४ मुख्य चीजें हैं, बीज, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग और डेयरी। बीज ८० प्रतिशत बोगस हैं, वेयर हाउसिंग ८० प्रतिशत से ज्यादा व्यापारियों के हैं, बैंकों से ऋण ८० प्रतिशत से ज्यादा बोगस है और डेयरी के विषय में भी मैं कहना चाहता हूं कि जितना पानी मिलाया जाता है वह भी

[श्री भानुप्रतापसिंह]

८० प्रतिशत है। भैंस के दूध में फैट ६ से ६,१/२ प्रतिशत होता है। अगर उसमें ८० प्रतिशत पानी मिलाया जाता है तब वह आपकी डेयरी के दूध के बराबर होता है। इस प्रकार से हर जगह ८० प्रतिशत बोगस है। अगर हमारे माननीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर लें कि उनका विभाग ८० प्रतिशत बोगस है तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा।

*श्री बनारसीदास—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े गौर से तथा सम्मान के साथ, जिसके साथ मुझे माननीय भानुप्रतापसिंह जी के भाषण को सुनना चाहिये था, सुन रहा था। ऐसा मालूम होता था कि एक योग्य वकील कमजोर मुकदमे की पैरवी कर रहा है और यह सही है कि उन्होंने वर्गीकरण किया कि कुछ लोग मजबूरी की वजह से समर्थन कर रहे हैं और यह बात भी सही है कि उनकी मजबूरी थी कटमोशन पेश करने की। यदि उनकी मजबूरी न होती तो वे अवश्य ही इस पक्ष के अन्दर आ कर बैठते। इसमें कोई सन्देह नहीं है जैसा उन्होंने कहा जब कोई नया व्यक्ति नेतृत्व करता है, वह उपमा मैं नहीं दूंगा नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, तो वह ज्यादा सिद्धान्त की बात करता है। इसमें कोई शक नहीं कि यहां पर जो माननीय रामायण राय जी हैं उनकी कई पीढ़ियां बीती हैं स्वतंत्रता संग्राम में। दूसरे व्यक्ति हैं उन्होंने भी अपना जीवन इस मुल्क के लिये लगाया है और रामायण राय जी को खून के अन्दर, उनको अपने पिता से जिन्होंने अपना सारा जीवन स्वतंत्रता संग्राम में दिया, विरासत में मिली है।

जो बातें यहां की गयीं उनका उत्तर देने के पहले मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्यों का बड़ा उत्तरदायित्व है। वे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हैं और उनको इस प्रदेश का भाग्य निर्माण करने के अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अन्दर जो भी तंत्र है हमारी नीतियों को संचालन करने के लिये उनको इस सदन के अन्दर अपनी सफाई देने का कोई अवसर नहीं है। उन पर कोई प्रहार करना न तो उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है, न उचित ही है। मैं संक्षेप में यह कह सकता हूं कि अखबार एक फोर्थ स्टेट होता है। अमेरिका में जिस तरह से यलो जर्नलिज्म है उसी तरह से यहां भी अगर अनर्गल आरोपों को मान्यता दी जाती है तो यहां भी यलो जर्नलिज्म को मान्यता दी जायगी। उसका एकमात्र औचित्य हो सकता है तो यही कि उसकी अवहेलना करना चाहिये। मेरे सामने भी वे आरोप आये थे। मैंने एक योग्य उच्चाधिकारी से उनकी जांच कराई थी और उसने यह निर्णय दिया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब वह कहते हैं कि इसकी जांच कराइये तो कोई व्यक्ति चाहे नेता विरोधी दल के हों, वे स्वयं इस बात के लिये घोषणा करें और अगर आरोप सत्य न पाये जाये और क्षमा मांगने के लिये तैयार हों तो मैं एक जज के सामने उसको भेजने के लिये तैयार हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि डिफेमेशन का कानून है। एक अखबार पर बड़ा जुर्माना हुआ भी है लेकिन कुछ अखबारों का पेशा भी यही है जिस पर वे चलते हैं। लेकिन जनता समझदार हो गयी है और जिस तरह से हंस दूध और पानी को अलग कर देता है विवेक के बल पर उसी तरह से जनता जागरूक होती जाती है और समझने लगी है कि यलोजर्नलिस्ट क्या है? जनता उसकी जांच करेगी और जनतंत्र के अन्दर जरूरत इस बात की है कि जो लोग झूठ के आधार पर प्रचार करते हैं जैसाकि जर्मनी में गोबिल्स ने किया, उनको इतनी लम्बी रस्सी दी जाय कि उनको स्वयं अपनी आत्म हत्या करने पर मजबूर होना पड़े। मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय रामकिशोर ने इस तरह के आरोप लगाये जो न उनकी शान के मुताबिक थे और न मर्यादा के मुताबिक। जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाये गये उसने हमारे उत्तर प्रदेश की बड़ी सेवा की है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लेने को तैयार है। सन् १९५० से पहले लखनऊ यूनियन के अन्दर बड़ा भारी नुकसान होता था यह अधिकारी १९५० में अपने खर्चे से शिक्षा पाकर आया और १९५० में कारोबार संभाला और ७ साल तक मैनेजर की हैसियत से, ३ साल तक सेक्रेटरी की हैसियत से काम करके उसने १० लाख का मुनाफा अपने प्रबंध के द्वारा किया। सन् १९६१ में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उसे चीफ डेरी डेवलपमेंट आफिसर बना दिया और इस वक्त वह आनरेरी सेक्रेटरी है। यह सही है कि उसके अन्दर जितनी पूंजी लगी हुई है उसमें करीब ३८ लाख के यूनीसेप से मिला हुआ है। ३० हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से डेप्रिसियेशन और इंटरेस्ट का होता है। ५७ हजार रुपये साल का नुकसान रहा। अगर इसमें से इस रकम को निकाल दिया जाय तो जो ढाई लाख रुपया रहता है उसमें मुनाफा होता है। हमने यह डेरी एक हजार मन दूध रोज हैंडिल करने के लिये बनाई है। अगर इस डेरी में ४०० मन रोज ही दूध हैंडिल होने लगे तो कई हजार रुपये माहवार का लाभ हो सकता है। यह मानी हुई बात है कि अगर हम बड़ी डेयरी बनायेंगे और उसमें कम दूध हैंडिल होगा तो नुकसान होगा। कानपुर में हमने ३००० मन रोज दूध हैंडिल करने के लिये एक डेरी बनाई है। अगर उसमें कम दूध हैंडिल होगा तो हानि होगी। अगर यह डेरी ४०० मन रोज दूध सप्लाई न करके प्रोसेसिंग करे तो साल भर में एक लाख रुपये का मुनाफा दे सकती है।लेकिन जनता को दूध देना जरूरी है।

श्रीमन्, यहां यह कहा गया है कि डेरी के दूध में पानी मिलता है। टोन्ड मिल्क के माने यह हैं कि ४ परसेंट फैट यदि उसमें होगी तो पानी में फैट नहीं हो सकता है। गाय के दूध में तीन या साढ़े तीन परसेंट फैट होता है। अगर लोग चाहते हैं कि होलसम मिल्क दिया जाय तो उसके दाम बढ़ाने होंगे क्योंकि दूध की कीमत ५० पैसे लीटर बढ़ा कर ६० पैसे लीटर कर दी गई है। ८० पैसे प्रति लीटर पर दूध दिया जाता है। यदि आज हम दुध को टोन न करें तो ४० हजार रुपये का नुकसान होगा जो पहले भी था। इसीलिये बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में टोन्ड मिल्क देते हैं। यदि लोग चाहते हैं कि होलसम मिल्क की व्यवस्था की जाय तो उसकी व्यवस्था की जायगी, लेकिन दाम ज्यादा होंगे।

माननीय भानुप्रतापसिंह जी पता नहीं कहां से आंकड़े ले आये। हमारे यहां सीड स्टोर्स से ५ करोड़ का बीज मिला। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसका एनेलेसिस किया तो उसकी शुद्धता ७० परसेंट निकली और अब उसकी शुद्धता ८६ परसेंट हुआ।

श्री भानुप्रतापसिंह--

श्रीमन्, एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों से मैंने पूछा कि क्या आप इसकी जांच कराते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हम से इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिये या तो आपके विभाग के लोग धोखा दे रहे हैं या फिर कृषि विभाग के अधिकारी धोखा दे रहे हैं।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय भानुप्रतापसिंह जी थोड़ा अनुभव रखते हैं। जैसे खाद है उसका स्पेसीफिकेशन करना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है। वैसे ही यह भी उन्हीं का काम है। यदि उनकी यह इत्तिला है तो यह किसी गैर जिम्मेदार आदमी ने कहा है। मुझे इस प्रकार के सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसा कि मुजफ्फरनगर के एक नेता ने कहा था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मुल्क की बदकिस्मती है किहम लोग जल्दी ही भावना में बह जाते हैं। जैसे जरा मौसम बदला कपड़े बदल दिये। उसी प्रकार से विचार भी बदल जाते हैं। इस तरह के लोग जैसा मैंने अर्ज किया, अगर वे बीज में यकीन नहीं रखते थे तो उस समय उन्होंने उसको क्यों नहीं तोड़ा? क्या शुद्धता उस समय ज्यादा थी? क्या अब उसमें कोई तब्दीली हो गई? या जिन उपमंत्री जी का जिक्र किया गया,मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। लेकिन इसको कैसे कहूं? मैं यही कह सकता हूं कि उन्होंने अनुभव का फायदा उठाया। जहां तक सीड स्टोर्स का सवाल है उसमें करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का बकाया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्यों ट्रांसफर किया। इसीलिये कि लाखों रुपया बाकी था।

श्री बलवानसिंह--

मैं चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन मंगा लीजिये।

श्री बनारसीदास--

मैंने यही कहा कि सीड स्टोर्स से जो सीड सप्लाई किया गया है ऐग्रीकल्चर विभाग ने उसी का एनालेसिस किया, वही मैंने उनको बताया चाहें तो दिखा दूंगा। तो वह अगर आज कहें तो हम उन्हें दिखला दें। श्रीमन्, इस मर्तबा हमारे सूबे में २० लाख मन ज्यादा बीज सप्लाई हुआ जिसके बारे में कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत यदि कहीं मिलती है तो यह कहा गया है कि पंजाब से जो गेंहूं आया था वह जमा नहीं और बाकी कहीं भी इस प्रकार की शिकायत नहीं है। अब सीड स्टोर्स जो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट चलाये या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चलायें इसका कोई सवाल यहां पर नहीं है, यहां पर सवाल यह है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता कैसे प्राप्त हो। इसे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को इसलिये ट्रांसफर किया गया कि किसानों का ज्यादा फायदा हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जो श्री भानु-प्रतापसिंह जी ने अपने जवाबी भाषण में कहा और फीगर्स पढ़कर सुनायी यहां पर तीन तरह की श्रेणियों के बारे में। यहां पर एक फारमूला बनाया, एक पैमाना बनाया, उस पैमाने के अनुसार जब उन्होंने हमारी कोआपरेटिव सोसाइटियों को देखा तो उन्होंने ८४.६ परसेन्ट सोसाइटी को 'ए' श्रेणी के अन्दर रखा और ११.५ परसेन्ट को उन्होंने 'बी' श्रेणी में रखा और केवल ३.९ परसेन्ट सोसाइटियों को 'सी' श्रेणी में रखा। रिजर्व बैंक की सर्वे कमेटी ने यह रखा है कि यू० पी० का स्टैण्डर्ड भारत की अन्य स्टेट्स के मुकाबले में कितना अच्छा है। तो उन्होंने साथ में यह भी कहा कि 'डी' श्रेणी की सोसाइटियों को तोड़ने से तो प्रान्त का कोई लाभ नहीं होगा, उनका रिविटलाइज किया जाये। तो उस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा कि रिविटलाईज की प्रक्रिया यू० पी० में जितनी तेजी से चल रही है उतनी अन्य प्रान्तों के अन्दर नहीं।

श्री भानुप्रतापसिंह---

जो मैंने फीगर्स पढ़कर सुनायी वह मैंने यहां के प्रकाशित एक पुस्तक से सुनायी है।

श्री बनारसीदास--

हमारा पैमाना बड़ा सख्त था, तो जो मैंने बताया 'डी' श्रेणी की जो सोसाइटी हैं वह तोड़ने के काबिल हैं। ज्यादातर हमारी सोसाइटियां ए, बी, सी, श्रेणी की थीं। अब रिजर्व बैंक ने सर्वे कराया, उसके अनुसार जो सर्वे हुआ उसको मैंने सदन के सामने अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से प्रस्तुत किया है। हमारे यहां का जो पैमाना है वह उससे कम नहीं, उससे ऊंचा है एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे आडिटर लोग किस तरह से आडिट करते हैं। हमारे यहां आडिट विभाग कोआपरेटिव विभाग से बिलकुल ही पृथक् डिपार्टमेंट का ही एक अंग बना हुआ है। उनमें रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव ही आडिट विभाग का हेड होता है, लेकिन हमारे यहां चीफ आडिटर और रजिस्ट्रार दोनों अलग अलग अपने अपने विभाग के हेड होते हैं। भानुप्रतापसिंहजी ने इसके बारे में भी कहा कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का हिसाब पी०ए०सी० को नहीं दिखाया गया। इनका हिसाब पी० ए० सी० को नहीं दिखाया गया। यह जो इनका हिसाब है, उनको लोकल फन्डस आडिट डिपार्टमेंट के चीफ आडिटर आडिट करते हैं और पी० एस० सी० उनके हिसाब के उसी हिस्से को देख सकती है जिसे गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा दिया हो। इसमें एक तरफ थोड़ी-सी यह हास्यास्पद स्थिति मालम होती है कि एक तरफ कहा जाये कि यह जन आन्दोलन हो जाय और दूसरी तरफ कहा जाय कि ब्यूरोक्रेसी का गला घोंट रहे हैं। यह बात कही जाती है कि कोआपरेटिव आन्दोलन के अन्दर आज राजनीति दाखिल हो गयी है। श्रीमन्, मैं इससे इनकार नहीं करता। कोआपरेटिव के चुनाव होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ बैंक्स हैं जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो चुनावों के अन्दर दिलचस्पी लेते हैं। यह हो सकता है कि सरकारी जीपें वे इस्तेमाल करते हों। मैं इससे इनकार नहीं करता। डिमोक्रेसी में कोई आदर्श स्थिति तो बनी नहीं है। जब आप डिमोक्रेसी की पावर लोगों को देंगे तो लोगों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर वह गलत इस्तेमाल करते हैं तो उन पर एफेक्टिव लोकमत ही रोक लगा सकती है। एक ओर तो आप रजिस्ट्रार को ईश्वर बताते हैं और दूसरी ओर आरोप लगाते हैं कि एम० डी० ने जीप का इस्तेमाल किया तो फिर रजिस्ट्रार का फरमान क्यों नहीं गया

तो यह विरोधी बातें इसीलिये हैं कि हमारे अन्दर कोई पाजिटिव दृष्टिकोण नहीं है और निगेटिव चीज तो कतरने का काम करती है। अगर हमारा पाजिटिव ऐप्रोच हो तो जो हमको ग्राह्य है उसको हम स्वीकार करते हैं, जो अग्राह्य हैं उससे हम इन्कार करते हैं। तो पहले तो अपनी आत्मा में स्पष्ट होना चाहिये। अगर आप जन आन्दोलन इसको बनाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। एक बार कांग्रेस के सभापति थे श्री शंकरन नायर साहब। गांधी जी ने जब आन्दोलन शुरू किया तब उन्होंने उसके ऊपर एक किताब लिखी थी "गांधी ऐंड एनार्की"। उसमें उन्होंने लिखा कि गांधी का यह आन्दोलन एक अनार्की लायगा और हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट के लिये लोगों से अनुशासन का पालन कराना कठिन हो जायगा। गांधी जी ने कहा था कि अगर आन्दोलन चलाना है तो फिर हमें इस आग के साथ खेलना होगा। इसी तर से अगर आपको इसे जन आन्दोलन बनाना है तो उसके लिये खतरा मोल लेना पड़ेगा।

इस सदन के सामने मैंने एक बार कहा था और अब भी कहता हूं कि भ्रष्टाचार कोआपरेटिव का हमारा भ्रष्टाचार है। मुझे भानुप्रतापसिंह जी के वक्तव्य से तकलीफ हुई। मुझे खुशी होती है अगर कोई अपना आत्म-निरीक्षण करता है, लेकिन अगर कोई कोआपरेटिव की आलोचना करता है तो वह अपनी आलोचना करता है। उसे इंट्रास्पेक्शन करना चाहिये। भ्रष्टाचार कहते हैं तो उसके मतलब हैं कि हम लोग सतर्क नहीं हैं। मैं आज कोआपरेटिव मिनिस्टर हूं, लेकिन श्रीमन्, मुझे माफ करेंगे मैं यह कहता हूं कि मैं कोआपरेटर रहा हूं और मैं भानुप्रतापसिंह जी को दावत देता हूं, मेरे अपने जिले में कोआपरेटिव सोसाइटी है जो २२ हजार रुपये के कैपिटल से आरम्भ हुई और एक डेढ़ लाख से ज्यादा उसका आज कैपिटल है, १ लाख से ज्यादा का उसका भवन है। वह फ्री लाइब्रेरी चलाती है, एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमने २५ हजार का दान दिया और ४६ से लेकर आजतक मैंने तो उसके लिये कोई रजिस्ट्रार का फरमान देखा नहीं और कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया जब कि हम लोगों ने डिस्काउन्ट न दिया हो और हमने ७ या साढ़े ७ परसेंट का प्राफिट लोगों को न दिया हो। हम डी० सी० डी० एफ० चलाते हैं, कोआपरेटव कोल्ड स्टोरज को चलाने के लिये हमने तय किया और जब मैं मिनिस्टर कोआपरेटिव का नहीं था उससे पहले ४ लाख रुपया गवर्नमेंट ने उसको इसी काम के लिये दिया। गवर्नमेंट का यह खयाल था कि १९६७ में बनकर तैयार हो जायगा, लेकिन वह १९६४ में ही तैयार हो गया। १ लाख रुपये की उसकी इनकम है और १ लाख के करीब बीज काश्तकारों को बांटा। तो फिर क्या कारण है कि आज जो लोग कोआपरेटिव में दिलचस्पी लेते हैं और उसको जन आंदोलन की भांति चलाना चाहते हैं तो उसके अंग बनकर उसको चलाने में क्यों नहीं लगते हैं, कौन उनको रोकता है? अगर कोआपरेटिव सोसाइटियों से शिकायत है, अगर कोआपरेटिव फार्मिंग डिफेक्टिव है तो माननीय भानुप्रतापसिंह जैसे सुलझे विद्वान जो कृषि के विशेषज्ञ हैं अगर वह उसमें लगे तो वे उस प्रदेश की बड़ी सेवा कर सकते हैं, यदि वे कोआपरेटिव फार्मिंग को बना करके दिखलावें और सरकार को भी रास्ता दिखलावें। विभाग तो केवल उसके कुछ जोड़ों को ठीक कर सकता है। शुरू के अपने भाषण में मैंने कहा था कि इस अनुदान और दूसरे अनुदानों को मिलाकर इस सहकारिता के लिये ५ करोड़ का व्यय है। जहां तक कोआपरेटिव विभाग का सवाल है इसके लोगों की तनख्वाहों पर तो सिर्फ ५० लाख ही व्यय होता है। तो उन कर्मचारियों से आप आशा करें कि वे इस आन्दोलन को जन आन्दोलन बनायेंगे ऐसा तो संभव नहीं है। माननीय भानुप्रतापसिंह जी और माननीय काशीनाथ जी ने भी कहा कि वे जाकर लोगों को समाजवाद का दर्शन बतावें? समाजवाद के दर्शन के लिये आस्था की जरूरत है, उसके लिये निष्ठा और भक्ति की जरूरत होती है। समाजवाद का दर्शन माननीय काशीनाथ जी बता सकते हैं, लेकिन कोआपरेटिव के दर्शन को, अपने जिले के अन्दर यह आशा करना कि सुपरवाइजर जो केवल ७५ रुपये पाता है, वह बढ़ा देगा तो यह भ्रान्ति है। संसार के अन्दर जो भी दर्शन फैला है वह केवल निस्पृह व्यक्तियों के द्वारा ही फैला है। मैं कभी इस भ्रान्ति के अन्दर नहीं हूं कि किसी आन्दोलन को कोई सरकारी मुलाजिम चला सकता है। उसकी एक तरह से

[श्री बनारसीदास]

सहायता होती है, लेकिन सरकार का कोई महकमा उसको कोई आन्दोलन का रूप नहीं दे सकता है। वह तो उस आन्दोलन में केवल मदद दे सकता है। कोआपरेटिव बिल आपके सामने है। मैं यह समझता हूं कि मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। माननीय राधेश्याम जी ने बीच में उठकर प्रश्न किया था, लेकिन मैं तो स्वयं अपने को आत्मतुष्ट समझता हूं। मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं यह जरूर जानता हूं कि उस तरफ के जो माननीय सदस्य थे उनकी यह दृष्टि थी कि कोआपरेटिव आन्दोलन को सही दिशा में ले जाया जाय और चुनाव की पद्धति को ठीक करें। मगर जब उनकी सब बातें मान ली गई तो फिर वह नोट आफ डिसेन्ट क्या लिखते। श्रीमन्, मैं पूरे तरीके से जानता हूं कि यह आन्दोलन जो सन् १२ में शुरू हुआ आज उस आन्दोलन की एक दिशा है। २०० करोड़ रुपये का आज इस विभाग पर कैपिटल है। आज जो उसके सुपरवाइजर हैं वह न सरकार के नियन्त्रण में है और न बैंक के नियन्त्रण में हैं। उनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है। भानुप्रताप जी कहते हैं कि इस बात पर गौर करें कि उनके ऊपर नियन्त्रण बैंक का हो या सरकार का हो। अभी-अभी यह शिकायत यहां पर की गई कि एम० डी० का उसके ऊपर कब्जा रहता है। तो अगर एम० डी० का कब्जा हमेशा के लिये उसके ऊपर कर दिया गया तो फिर और यहां पर शिकायत का मौका आ सकता है। इसलिये इस बात पर गौर करना होगा कि सुपरवाइजर को इस तरह से रखें या किसी के अन्दर में उसको किया जाय।

चुनाव की पद्धति को मैं जानता हूं यह बड़ी दोषपूर्ण है। यह एक साथ हाथ उठाकर चुनाव कराना गलत है। कन्हैयालाल जी ने भी कहा है मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूं कि हर साल कुछ लोगों के चुनाव नहीं होने चाहिये। ये सब चुनाव एक साथ ही होने चाहिये, चाहे ३ साल में ही क्यों न हों। यह बात सही कि जिनका वैस्टेड इन्टरेस्ट रहता है वे लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूं चुनाव निष्पक्ष हों। इसलिये मैं बहुत चिन्तित हूं। इसलिये मैं इसके लिये आतुर हूं कि जल्द से जल्द चुनाव की पद्धति में पर्वितन हो। बैलट द्वारा चुनाव हो और वह ३ साल के लिये हो। जैसा भी आप समझें लेकिन यह ऐसा नहीं है जो कि गवर्नमेंट और अपोजीशन के बीच में कोई विवाद का विषय हो। इसमें सभी सहमत हैं कि चुनाव निष्पक्ष हों और शांतिपूर्ण हों।

यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब भानुप्रताप सिंह जी ने यह कहा कि रजिस्ट्रार ससपेन्ड कर सकते हैं, डिज्जाल्व कर सकते हैं और हटा सकते हैं। दूसरी तरफ यह शिकायत करना कि नियन्त्रण बड़ा ढीला है, यह गबन हो गया, वहां पर बैंक में एम० डी० गड़बड़ करते हैं। एक ही जबान के अन्दर उन्होंने दो प्रकार की बात कहीं। क्या वह नहीं जानते हैं, उत्तर प्रदेश में वह कोई ऐसा बैंक बतलायें जहां पर रजिस्ट्रार का आदेश हो? हाई कोर्ट के अन्दर रिट फाइल होते हैं। ऐसे बैंक हैं जहां पर ८ साल से चुनाव नहीं हुये, लेकिन वे लोग हाईकोर्ट के अन्दर पहुंच गये। तो इस तरह के बैंक हैं। इसलिये इस तरह से कहना सही नहीं है। परम्परा के मुताबिक जिस विभाग की आप आलोचना करते हैं उसको आप साधन दें। यह कोआपरेटिव जो है यह तो जनता का संगठन है और जनता के संगठन को तेजी के साथ चलाना है तो उसको अपनी मदद दें।

श्री अधिष्ठाता—

सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री बनारसीदास—

आपने देखा, १९५० से लेकर अब तक करीब २० करोड़ का कैपिटल था। अब २०० करोड़ का कैपिटल हो गया। १०–१५ गुना साल में कैपिटल हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ जो माननीय काशीनाथ जी ने कहा। यदि कुछ व्यक्ति इस प्रकार एक संकल्प कर लें कि यदि हम किसी व्यक्ति के विरोधी हैं तो ऐसी बातें करें कि सारी मशीनरी का डिमोरेलाइजेशन हो जाय तो यह कहां तक संगत होगा? एक

तरफ आप चाहें कि कार्य-क्षमता बढ़े और एक तरफ चाहें कि निष्ठावान व्यक्ति बनें और साथ ही अपने स्वार्थ के लिये विरोध करने लगें तो यह प्रशासन के माने हुए सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। अगर इसमें जनहित है तो आकर बैठें काशीनाथ जी, मुझे किसी प्रकार की जिद नहीं है। मैंने एक दो केसेज विजिलेंस कमीशन को भेजे हैं।

अभी आपने कहा, रजिस्ट्रार है, वह आयेंगे और चलें जायेंगे,। मेहता कमेटी बैठी, रूरल सर्वे कमेटी बैठी जिसको खुद रामायण राय जी वेद–वाक्य समझते हैं। एल० एस० एस० बनी अब हमने तोड़ दिया। उसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि रजिस्ट्रार का टेक्निकल पद है उसको १० साल तक रहना चाहिये। यानी बैकुंठलाल मेहता जो कोआपरेटिव के बड़े नेता कहलाते थे उन्होंने कहा कि १० साल तक होना चाहिये। रिजर्व बैंक का यही मत है। तो रजिस्ट्रार कोई भी हो, सवाल तथ्यों का है। इन तथ्यों को लेकर हमको चलना है। अगर कहीं पर गलती है तो मैं उस जिम्मेदारी को लेने के लिये तैयार हूं, लेकिन मैं कायरता समझता हूं और प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझता हूं कि जबकि एक मंत्री यहां पर सदन के सामने जिम्मेदार है किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना जिस व्यक्ति को कि अपने डिफेंस के लिये मौका नहीं है। यह जनतंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। डिपार्टमेंट के लिये मैं उत्तरदायी हूं। मैं जानता हूं कि इस सदन में भाषण सुरक्षित होता है, इसलिये कोई किसी को बेईमान कह सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक व्यक्ति के विरुद्ध डिफेमेशन केस दायर करके एक सम्मानित व्यक्ति अपने को कितने गोरखधंधे में फंसा लेता है। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा रूल है "नेवर टु क्लियर ए मिसअन्डरस्टैंडिंग", किसी गलतफहमी का जवाब देना मैं आवश्यक नहीं समझता। वह जानते थे कि एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के जीवन में तरह-तरह की गलतफहमियां होती हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को तीन श्रेणियों में होकर गुजरना पड़ता है। इन-डिफरेंस यानी उपेक्षा, दूसरा रिडीक्यूल और तीसरा अपोजीशन का। जब अपोजीशन के बाद अपोजीशन झुक जाता है तब वह दोषारोपण करता है। तो एक संसार के माने हुये संगठन-कर्ता का यह कहना है। पहले लोग उपेक्षा करते हैं, फिर मजाक बनाते हैं। जब वह मजाक की परवाह नहीं करता तो सक्रिय विरोध होता है। फिर भी अगर वह नहीं झुकता तो संसार उसके सामने सर झुका दिया करता है। इसलिये यह बात कि यदि कोआपरेटिव के सिद्धान्तों को नहीं मानता है कोई, रियासत हुसैन साहब ने कहा। हमने आपके यहां कोआपरेटिव कंज्यूमर स्टोर को १ लाख रुपया दिया। एक मुरादाबाद के कंज्यूमर स्टोर की बातों से तमाम कोआपरेटिव आन्दोलन को देखें तो इसमें दोष उनका है, कोआपरेटिव आन्दोलन का नहीं है। हो सकता है ट्रेन के अन्दर जब रियासत हुसैन चलते हैं तो जेबकट भी चलते हैं। जहां गंगा के अन्दर तमाम लोग पानी पीते हैं वहां सांप भी पानी पीता है। यह जो प्राकृतिक नियम हैं मैं और आप उसे कैसे रोक सकते हैं? जहां गेहूं है किसी खेत में वहां कंडुवा और घास भी पैदा होता है। एक साल से कंज्यूमर्स स्टोर का वर्किंग है। इसकी जांच की जायगी।

दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब हालत है। एक बैंक का सुपरसेशन हुआ। मैं आज भी चुनौती देता हूं। सुपरसेशन की बात कही गयी, दलबन्दी की बात कही गयी, ८० हजार गबन हो गया कहा गया। माननीय रामकिशोर जी यहां नहीं है, उन्होंने दूसरी तरह की शिकायतें कीं, और भी बातें कहीं गयीं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको कुछ थोड़ा सा नियन्त्रण रख कर, जो हमारा सहकारिता आन्दोलन है, उसका जो स्वरूप है और उसकी जो फिलासफी है उस पर विचार करना चाहिये। मेहरोत्रा साहब तो मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, अगर उन्होंने शिकायत की तो पता नहीं इस तरह से वे अपनी शिकायत करते हैं या मेरी निन्दा कर रहे हैं। काशीनाथ जी ने बलिया के बारे में कुछ शिकायतें कीं। चुनाव में घपले की शिकायतें कीं। सहकारिता आन्दोलन के अन्दर उनका हमारा मतभेद हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

लिस्ट नहीं देते हैं।

श्री बनारसीदास—

जो हार जाता है वह इसी तरह की बातें करता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

न तो कोई लिस्ट देता है और न ही कायदे से चुनाव होता है। अपने घर पर बैठ कर सब फाइनल कर लिया जाता है। (व्यवधान)

श्री बनारसीदास—

चुनाव में जो दोष हैं उसके शिकार हम भी हैं और आप भी हैं (व्यवधान)। कोआपरेटिव के अन्दर चुनाव हाथ उठाकर होते हैं, उसकी लिस्टें भी तैयार होती हैं। अब अगर आप उसकी मशीनरी को बदलना चाहते हैं तो कानून को बदलना होगा। आपको तो इस तरह की शिकायतों को अपने यहां मीटिंग बुला कर करना चाहिये, वहां के रिप्रेजेन्टेटिव को यह मालूम होना चाहिये कि सत्य क्या है, शिकायत क्या है।

यह कहा गया कि कोआपरेटिव आन्दोलन के द्वारा किसान को कुछ मिलता नहीं वह बेवकूफ है, जो कर्जा उसको मिलता है उस पर व्याज बहुत लिया जाता है। आज आप लखनऊ में ही जाकर देखें व्याज का क्या रेट है, रिजर्व बैंक ने भी व्याज ५ परसेंट कर दिया है, व्यापारियों का तो १२ परसेंट है। माननीय भानुप्रतापसिंह जी कहते हैं कि यह बीच की सीढ़ी तोड़ दी जाय, सीधे रुपया जिला सहकारी बैंक से ही मिले। तो क्या अगर किसान जिला सहकारी बैंक से रुपया लेगा तो वहां तक आने में उसको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, उसको वहां तक आने में परेशानी नहीं होगी, उसका समय बरबाद नहीं होगा? तो जो तरीका किसानों को रुपया देने का है, उसके अलावा और कोई सरल तरीका हो नहीं सकता है। हमारे यहां छोटी-छोटी सोसाइटियां हैं। फिर जो यू० पी० कोआपरेटिव बैंक है वह पूरा पैसा जिला सहकारी बैंक को नहीं देता। रिजर्व बैंक अपने डिपाजिट्स से देता है।

कहा गया कर्जा बढ़ गया, पहले ६८ था और अब १०० हो गया। जो पूंजीपति लोग होते हैं वे भी कर्जा लेते हैं, माननीय भानुप्रतापसिंह जी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कर्जे की जरूरत न हो, व्यापारियों को भी कर्जे की जरूरत होती है, किसान को भी कर्जे की जरूरत होती है, लखनऊ के इन्डस्ट्रियलिस्ट को भी उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिये आज की इकोनामी में बैंकों का अपना एक स्थान होता है। किसान को बराबर कर्जा मिलता रहना चाहिये, उसका फ्लो रहना चाहिये। उनके लिये पास बुकें बनें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पास बुक्स के बारे में हमारे आदेश है। बहुत जगह पास बुक्स है। एल० एस० एस० बनाई। हम यह मानते हैं कि हम सर्वज्ञ नहीं है और न पंडित नेहरू थे। हमने सोचा एल० एस० एस० बनायेंगे। तजुर्बे ने बताया कि उनके अन्दर आपस में परिचय नहीं रहा। इसलिये हमने छोटी समितियां बनाई। हम छोटी समितियां बना रहे हैं जिसका टर्न ओवर साठ हजार रुपया हो। सहकारिता एक आन्दोलन है। अगर इसमें परिवर्तन न हो तो वह गतिशून्य हो जाता है। तजुर्बे के आधार पर इसमें संगठन की जरूरत होती है। पंडित नेहरु ने भी परिवर्तन और संगठन का ही दावा किया। यूनान में वहां के सैनिक लोहे की पत्ती लगाते थे। उसमें भी समय के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हुई। उनके अन्दर इस परिवर्तन के लिये अक्ल की गुंजायश थी। समय-समय के मुताबिक वे परिवर्तन करते थे। एल० एस० एस० में हमें भूलें मालूम हुई तो हम भी उसके स्थान पर वायेबुल यूनिट्स बना रहे हैं। कोआपरेटिव आन्दोलन को बचाने के लिये हमने क्रैडिट स्टेबलाइजेशन फन्ड की स्थापना की। हमने उसको बचाने के लिये इसी तरह के और फन्ड्स क्रिएट किये। वह बढ़ता चला जावेगा अगर खराब कर्जा होगा। जैसा कि माननीय विजयपाल सिंह जी ने कहा कि रिक्शावालों, मजदूरों और लेवर के लिये सोसाइटियां बनावें, परन्तु यह

आन्दोलन तो तब ही कामयाब होगा जब सब आपस में अपने-अपने लेविल में इसमें सहयोग देंगे और इसको कामयाब बनाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मैं इस बात को नहीं देख सकता कि किसी समय भी रजिस्ट्रार या इन्सपेक्टर की जरूरत महसूस न हो। हां, अगर जनता इतनी जागरूक हो, जैसे कि आप सदस्यगण जागरूक हैं तो वहां इस प्रकार की चर्चा नहीं होगी।

माननीय सदस्यों ने गबन होने का जिक्र किया। अगर एक २०० करोड़ रुपये में १२ लाख रुपये का गबन हो जाय, और जब ५० के अन्दर २० करोड़ रुपये में ही १ लाख ६० हजार रुपये का गबन था, तो इसी पर यह कहना कि कोआपरेटिव खराब है तो आपका विश्वास जन आन्दोलन में नहीं है। हम तो कहते हैं कि जनता में आपका अविश्वास है। आप यह चाहते है कि सरकारी ट्रेजरार मुकर्रर हों। श्रीमन्, माननीय भानुप्रतापसिंह जी और श्री राधे श्याम शर्मा जी ने यह नहीं पढ़ा कि इस प्रदेश में कितनी चोरियां हो गई, भानुप्रतापसिंह जी ने यह नहीं बताया कि कितने खेत कटे, हालांकि वहां पहरेदार मौजूद हैं, चोरियां भी होती है, फसले भी कटती है, डाके भी पड़ते हैं, यह सब कुछ होता है। अगर २०० करोड़ रुपये में से १२ लाख रुपये चोरी हो गये और फिर भी हम ११ ऐसे आदमियों पर इस संबंध में मुकदमें चला रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

कितना रुपया गबन होगा, जब आप गबन मानेंगे, १२ लाख रुपया गबन नहीं मानते ?

श्री बनारसीदास--

जरा माननीय सदस्य इस बात का तो दावा करें कि उनके गांव में चोरी हुई है या नहीं ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जब तक आपका राज्य रहेगा चोरियां होती ही रहेंगी।

श्री बनारसीदास--

माननीय काशीनाथ मिश्र जी के अड़ोस पड़ोस में ही नहीं बल्कि नैतिक प्रभाव जहां जिस हद तक होगा वहां गवर्नमेन्ट का नियंत्रण खत्म होगा। इसलिये मैं इस सदन के सामने यह अनुदान पेश कर रहा हूं। आशा है कि माननीय भानुप्रतापसिंह जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २३--सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--सहकारिता के अन्तर्गत २,९६,७२,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर सोमवार, २९ मार्च, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ
२६ मार्च, १९६५ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३६ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५० पर]

| क्रम-संख्या | नाम व पद | स्थानापन्न रूप से कार्य करने की तिथि |
|---|---|---|
| १ | श्री ए० सी० चतुर्वेदी, स्थायी सहायक कमान्डेन्ट स्थानापन्न कमान्डेन्ट | ८-१०-१९६३ |
| २ | श्री एस० एस० सक्सेना .. .. .. | २२-१०-१९६३ |
| ३ | श्री एम० सी० पान्डे, स्थायी इन्सट्रक्टर स्थानापन्न सहायक कमान्डेन्ट | २४-१-१९५८ |
| ४ | श्री राम सिंह " " " | ३-३-१९५८ |
| ५ | श्री पी० एस० राठौर " " " | २४-१०-१९५८ |
| ६ | श्री एस० पी० मिश्र " " " | ११-१२-१९५८ |
| ७ | श्री आर० एस० मिश्र " " " | ७-६-१९६० |
| ८ | श्री बी० एम० सिंह " " " | १-७-१९६१ |
| ९ | श्री के० एस० पान्डे " " " | ३१-१०-१९६१ |
| १० | श्री एम० एल० सक्सेना " " " | २०-६-१९६२ |
| ११ | श्री० ओ० पी० अग्रवाल " " " | २३-६-१९६२ |
| १२ | कु० बी० पी० सक्सेना, स्थायी सहायक अध्यापिका, स्थानापन्न प्रिंसिपल | २-३-१९६२ |

संसद पुस्तकालय

## नत्थी 'ख'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५० पर]

| क्रम-संख्या | निलम्बित कर्मचारी का नाम | पद तथा ग्रेड | तिथि जिस दिन से निलम्बित हैं |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | श्री श्यामा चरण दुबे | स० अ० (हिन्दी) २००–४५० वेतनक्रम | ५ अगस्त, ५७ |
| २ | श्री अच्युतानन्द दुबे | स० अ० (एल० टी० ) १२०–३०० | १०–३–६४ |
| ३ | श्री मु० शमीम खां | स० अ० (कला) (एल० टी० वेतन क्रम) | ३०–३–६३ |
| ४ | श्री जगदीश सिंह | प्रसार अध्यापक ७५–२०० जिला गाजीपुर | २४–७–६४ |
| ५ | श्री जसपाल सिंह | प्रसार अध्यापक ७५–२०० जिला मुजफ्फरनगर | १८–९–६४ |
| ६ | श्री एस० पी० शुक्ला | प्रसार अ० १२०–२०० जिला फतेहपुर | २३–११–६३ |
| ७ | श्री साबिर हसन खां | स० अ० (सामान्य ) ७५–२०० .. | १०–३–५४ |
| ८ | श्री बृजवासी लाल | स० अ० (सामान्य) ७५–२०० .. | १०–३–५४ |
| ९ | श्री मूल चन्द पटेल | ,, ,, ,, | १८–४–५९ |
| १० | श्री शुकुल्लाह | ,, ,, ,, | १८–११–६३ |
| ११ | श्री मु० अली काजी | ,, ,, ,, | ११–३–५४ |
| १२ | श्री राम अभिलाष शर्मा | स० लिपिक मा० शि० प०, कार्य इलाहाबाद | ३–६–५९ अपरान्ह |
| १३ | श्री महमूद मंजूर | ,, ,, ,, | २४–२–६२ |
| १४ | श्री० ए० के० सिन्हा | ,, ,, ,, | १–५–१९६२ |
| १५ | श्री जगमोहन सिंह | प्र० लिपिक रा० बा० बि०, बाराबंकी ८०–१३० वेतन क्रम | २९–९–६२ |
| १६ | श्री जगदीश लाल | स० लिपिक रा० बा० बि०, बाराबंकी ६०–११० वेतनक्रम | २७–९–६२ |
| १७ | श्री जीतम सिंह | प्रधान वर्णिक रा० उ० मा० वि०, मैनपुरी ८०–१३० वेतनक्रम | १७–२–६२ |
| १८ | श्री चांद बहादुर सिन्हा | टीकालेखक जि० वि० नि०, कार्या० अलीगढ़ ८०–१३० वेतनक्रम | २६–९–६३ |
| १९ | श्री गंगा प्रसाद पान्डे | प्र० लिपिक रा० म० प्र० महावि०, ८०–१३० वेतनक्रम | २४–१–६३ |
| २० | श्री एस० एन० वैश्य | स० लिपिक रा० जू० बे० ट्रे० का० लखनऊ ६०–११०– वेतन क्रम । | ७–५–६४ |
| २१ | श्री जगन्नाथ सक्सेना | टीपालेखक जि० वि० नि० खीरी .. ८०–१३० वेतन क्रम । | २७–६–६४ |

| क्रम-संख्या | निलम्बित कर्मचारी का नाम | पद तथा ग्रेड | तिथि जिस दिन से निलम्बित है |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| २२ | श्री हृदय नारायण सिंह | भूतपूर्व लिपिक विलीन, राज्य सं० कालेज वाराणसी (वर्तमान में वाराणसेय सं० वि० वि०, वाराणसी में प्रतिनिधायन पर ) ८०–१५० वेतन-क्रम .. | २७–२–६२ |
| २३ | श्री आनन्द बिहारी सक्सेना | स० लिपिक रा० क० जू० हा० स्कूल, वृन्दावन (मथुरा) ६०–११० वेतनक्रम | ३–११–६४ |
| २४ | श्री उमा शंकर .. | दफ्तरी रा० दो० वि० जगमनपुर (जालौन) | निलम्बन की तिथि सूचित नहीं की गई है। |
| २५ | श्री नाथू राम .. | चपरासी रा० दो० वि०, सईदपुर (गाजीपुर) | १५–११–६४ |
| २६ | श्री चन्द्र सिंह .. | चपरासी रा० इं० का०, चमोली .. | १५–४–६४ |
| २७ | श्री जमील अहमद | चपरासी रा० क० दो० वि०, बिजनौर | १५–९–६४ |
| २८ | श्री सीताराम .. | चौकीदार रा० क० इं० का०, जौनपुर .. | २१–११–६३ |
| २९ | श्री के० सी० पन्त .. | स० लिपिक का० प्रदेशीय शिक्षा दल नैनीताल | १६–७–६२ । |

(जनार्दन जोशी)
स० उप-शिक्षा निदेशक (सेवायें),
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश गजट

## नत्थी 'ग'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५२ पर]

### दोहरीघाट में पुल से सम्बन्धित सड़क के संरेखण में पड़ने वाले मकानों की विस्तृत सूचना

| मकान मालिक का नाम व पता | अनुमानित लागत |
|---|---|
| | रुपये |
| १—श्रीराम अवतार वल्द लच्छू .. .. | ६०० |
| २—दर्लासिंगार वल्द प्रसाद .. .. .. | २,५८० |
| ३—मथुरा वल्द गुलाब .. .. .. | ७०२ |
| ४—हरस वल्द ठाकुर .. .. .. | १,८३६ |
| ५—सुक्खु वल्द मथुरा .. .. .. | २५० |
| ६—राम वृक्ष वल्द बुद्धू .. .. .. | १,६४४ |
| ७—सददल वल्द मुन्नी .. .. .. | १,११० |
| ८—विश्वनाथ, शिवनाथ वल्द महावीर .. .. | १,३२० |
| ९—श्रीमती बलदेइया बेवा फेरन .. .. | ७५० |
| १०—सहदेव वल्द सरजू .. .. .. | २,१०६ |
| ११—विन्ध्याचल वल्द गोपी .. .. .. | ५१० |
| १२—पांचू वल्द गोपी .. .. .. | ३२४ |
| १३—वंशी वल्द मंहगी .. .. .. | १,०८८ |
| १४—फेंकू वल्द छम्मन .. .. .. | १,१३८ |
| १५—बुधमी डोमिन .. .. .. | ६२७ |
| १६—मंहगी वल्द नाथा .. .. .. | ४,२३६ |
| १७—बोसन वल्द ढोढई .. .. .. | ७२० |
| १८—चीजिया बेवा पूरनवासी .. .. | ३९० |
| १९—श्री गाजर वल्द सुवहू .. .. .. | २,४०६ |
| योग .. | २४,३३७ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'घ'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न [१३] का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५९ पर]

| जिला बहराइच के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नाम | गत वर्ष (१९६३–६४) दिया गया अनुरक्षण अनुदान | इस वर्ष (१९६४–६५) में अनुदान सूची पर लाये गये स्कूलों को स्वीकृत अनुदान | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| | रु० | | |
| १—ओ० बी० महाजनी जूनियर हाई स्कूल | २,७४८ | .. | स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल है। |
| २—आर्य कन्या जू० हाई स्कूल .. | ३,८१६ | .. | |
| ३—जनता जू० हाई स्कूल, नानपारा | २,१०० | .. | ,, |
| ४—तपसी जू० हाई स्कूल, समरहना | १,८४८ | .. | ,, |
| ५—आर० एन० सिंह ज० हाई स्कूल, राम नगर, खजुरी | .. | ५६४ | ,, |
| ६—बजनाथ जू० हाई स्कूल, मारीगांव, सोनवां | .. | १,९६८ | ,, |
| ७—शंकर जू० हाई स्कूल, नानपारा | .. | ३६ | ,, |
| ८—राजाराम सिंह जु० हाई स्कूल, गंगवल | .. | १,२७२ | ,, |
| ९—जवाहर नेशनल जू० हाई स्कूल | .. | .. | ,, |
| १०—श्रीराम ज० हा० स्कूल, चिलवरिया | .. | .. | ,, |
| ११—जनकजा ज० हाई स्कूल, बनकटा | .. | .. | ,, |
| १२—बलभद्र जू० हाई स्कूल, ऐरिया | .. | .. | ,, |
| १३—जूनियर हाई स्कूल, कवरपुर | .. | .. | अस्थायी मान्यता प्राप्त। |
| १४—स्वामी विवेकानन्द जूनियर हाई स्कूल, महती | .. | .. | अस्थायी मान्यता प्राप्त। |
| १५—प्राइवेट जुनियर हाई स्कूल, गडरा | .. | .. | अस्थायी मान्यता प्राप्त। |
| १६—जेतवन जूनियर हाई स्कूल, श्रावस्ती | .. | .. | अस्थायी मान्यता प्राप्त। |
| १७—बुद्ध जूनियर हाई स्कूल, श्रावस्ती | .. | .. | अस्थायी मान्यता प्राप्त। |
| १८—प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल, कुरसहा | .. | .. | अस्थायी मान्यता प्राप्त। |

## नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६७ पर]

| उस कर्मचारी या अध्यापक का नाम जिन्होंने भविष्य-निधि भुगतान की प्रार्थना की है। | प्रार्थना का दिनांक | सेवा मुक्त होने की तिथि | धन जो पाना है | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | |
| १—श्री तुलसीराम अध्यापक | २२-२-६५ | ३०-५-६४ | मु० १३५० | इस मास के अंतिम सप्ताह में भुगतान के लिये बुलाया गया है। |
| २—श्री त्रिवेनी प्रसाद पौल्ड-कीपर | २४-२-६५ | २१-१२-६४ | मु० ५०० | ,, ,, |
| ३—श्री समसाद अली अध्यापक। | ५-२-६५ | २०-१-६५ | मु० १२०० | ,, ,, |
| ४—श्री राम प्रकट मिश्र | २०-२-६५ | १-२-६५ | मु० १७३७.४१ | ,, ,, |
| ५—श्री योखी राम दूबे | २७-१-६५ | १०-११-६४ | मु० १२०० | ,, ,, |
| ६—श्री परम सुख वैक्सीनेटर | २५-२-६५ | ४-२-६५ | मु० १४०० | ,, ,, |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी "च"

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७१ पर]

प्रश्न संख्या २८ से सम्बन्धित सूची

गत ६ महीनों में (सितम्बर, १९६४ से फरवरी, १९६५ तक) जिला बस्ती तहसील खलीलाबाद के सी० ओ० तथा ए० सी० ओ० के विरुद्ध प्राप्त हुयी शिकायतों की सूची

| क्रम-संख्या | दिनांक | नाम सी० ओ० तथा ए० सी० ओ० | कार्यवाही जो की गई |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | ७-९-६४ | श्री सत्यदेव प्रसाद, ए०सी०ओ० | जांचोपरान्त ए० सी० ओ० को चेतावनी दी गई तथा उसकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई । |
| २ | ७-९-६४ | श्री मुनीरुल हक सिद्दीकी, ए०सी० ओ० । | जांचोपरान्त ए० सी० ओ० को चेतावनी दी गई तथा उसकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई तथा दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण कर दिया गया । |
| ३ | २५-९-६४ | श्री सी०पी० एन० सिंह, सी०ओ० | जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये । |
| ४ | ३०-९-६४ | श्री विश्वनाथ मिश्र, ए०सी०ओ० | जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये । |
| ५ | ३०-९-६५ | श्री शम्भू दयाल, ए०सी०ओ० | जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये । |
| ६ | १-१०-६४ | श्री रनविजय बहादुर, ए०सी०ओ० | जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये । |
| ७ | १३-११-६४ | ,, ,, | जांच की गई आरोप निराधार है । |
| ८ | २०-११-६४ | श्री अक्षयवर नाथ तिवारी, ए०सी० ओ० । | भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुये । दफ्तर में चक काटने और एक जगह बैठकर मालियत लगाने की शिकायत सही पाई गई । चकबन्दी आयुक्त विचार कर रहे हैं । |
| ९ | ११-१२-६४ | श्री सत्य देव प्रसाद, ए०सी०ओ० | आरोप सिद्ध नहीं हुये । |

| क्रम-संख्या | दिनांक | नाम सी० ओ० तथा ए० सी० ओ० | कार्यवाही जो की गई |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १० | २३-१२-६४ | श्री अक्षयवर नाथ तिवारी, ए० सी०-ओ० । | भ्रष्टाचार के अरोप सिद्ध नहीं हुये । दफ्तर में चक काटने और एक जगह बैठ कर मालियत लगाने की शिकायत सही पाई गई । चकबन्दी आयुक्त विचार कर रहें हैं । |
| ११ | ७-१-६५ | श्री जगदीश राय, ए०सी०ओ० | जांचोपरान्त आरोप निराधार सिद्ध हुये । |
| १२ | ७-१-६५ | श्री जयचन्द्र मिश्र, ए०सी०ओ० | आरोप सिद्ध नहीं हुये । ए०सी०ओ० नये थे उन्हें साधारण चेतावनी कार्य के बारे में दी गई । |
| १३ | ७-२-६५ | श्री जुगलकिशोर दीक्षित, ए०सी०-ओ० । | जांच की जा रही है । |

संसद पुस्तकालय

## परिशिष्ट 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर प्रोछ पृष्ठ १०७६ पर)

### सर्वश्री शंकरलाल दीक्षित, शंकरसिंह, हौसलाप्रसाद तथा गिरजाप्रसाद को सूची 'ए' में रखने के कारणों का व्यौरा

सर्वश्री शंकरलाल दीक्षित व शंकरसिंह क्रमशः सहायता एवं पुनर्वासन विभाग व अन्य विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी थे। इन विभागों के भूतपूर्व कर्मचारियों को सूची (ए) में रखने के लिये शासकीय आदेश के अनुसार किसी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी। अतः इन कर्मचारियों के परीक्षाफल पर बिना ध्यान दिये हुये ही इन्हें सूची (ए) में रख लिया गया।

श्री हौसला प्रसाद राजस्व विभाग के अन्तर्गत जमींदारी उन्मूलन विभाग के भूतपर्व कर्मचारी थे। शासकीय आदेश के अनुसार राजस्व विभाग के वे सभी कर्मचारी जो १६ अगस्त, १९६१, को ३ वर्ष की खंडित या निरन्तर सेवा अवधि पूरी कर चुके थे, और किसी परीक्षा के फलस्वरूप नियुक्त किये गये थे तथा जिनका काम व आचरण सन्तोषजनक रहा हो, सूची (ए) में बिना परीक्षा लिये ही रख जाने के पात्र हैं। इन दोनों कर्मचरियों के पूर्व परीक्षा का प्रमाण कार्यालय में उपलब्ध था तथा इनकी सेवायें ३ वर्ष से अधिक थी और इनका काम व आचरण भी संतोषजनक रहा इसलिये इन्हें इनके परीक्षाफल पर बिना ध्यान दिये हुये ही सूची (ए) में रख लिया गया।

श्री गिरजा प्रसाद नाम का कोई भी व्यक्ति किसी भी सूची में नहीं रखा गया है अपितु श्री गिरजा शंकर जिन्होंने दिसम्बर, १९६१, की योग्यता परीक्षा में ८२ अंक प्राप्त किये थे, को उनके प्रार्थना-पत्र पर जिलाधीश ने उनकी सेवाओं की लम्बी अवधि तथा सन्तोषजनक काम एवं आचरण को ध्यान में रख कर उन्हें १ अंक प्रेस देकर परीक्षा में उत्तीर्ण मान कर (ए) सूची में रखा था।

### सर्वश्री रामप्यारे सिंह, कालका प्रसाद, निहाल अहमद व रामकुमार को किसी भी सूची में न रखने के कारणों का व्यौरा

सर्वश्री रामप्यारे सिंह व निहाल अहमद—ये दोनों कर्मचारी सूची (ए) के लिये दिसम्बर, १९६१, में हुई योग्यता परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे, अतएव इन्हें सूची (ए) में नहीं रखा गया।

श्री कालका प्रसाद—इनकी सेवायें १६-८-६१ को ३ वर्ष से कम थी। यह सितम्बर, १९६१, में सूची (बी) के पात्र बनने हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में, जिसमें कि इन्हें बैठना चाहिये था, न बैठकर दिसम्बर, १९६१, में सूची (ए) के लिये हुई योग्यता परीक्षा में बैठे और अनुत्तीर्ण रहे। अतः इनका नाम किसी भी सूची में नहीं रखा गया।

श्री रामकुमार—नामक बाहरी अभ्यर्थी सूची (बी) के पात्र बनने हेतु आयोजित सितम्बर १९६१, की परीक्षा में सम्मिलित हुये और उन्होंने ८३ अंक, न कि ९३ अंक जैसा कि प्रश्न में दिय है, प्राप्त किये। सूची (बी) में केवल ५ व्यक्ति योग्यता (मेरिट) के आधार पर लेने थे। श्री रामकुमार के अंक उन ५ व्यक्तियों से जो लिये गये बहुत कम थे, अतः इनको सूची (बी) में नहीं रखा गया।

## नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८० पर)

जिला फैजाबाद के हरिजन कर्मचारियों की संख्या (कलेक्शन विभाग)

| तहसील का नाम | कुल संख्या | हरिजनों की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| | कलेक्शन अमीन | | |
| सदर .. .. | ३५ | — | — |
| अकबरपुर .. .. | ४१ | ३ | ७ |
| बीकापुर .. .. | ३७ | १ | २ |
| टांडा .. .. | २५ | १ | ४ |
| योग .. | १३८ | ५ | ३.६ |
| | कलेक्शन चपरासी | | |
| सदर .. .. | ३५ | ३ | ९ |
| अकरबपुर .. .. | ४१ | ७ | १७ |
| बीकापुर .. .. | ३७ | ६ | १६ |
| टांडा .. .. | २५ | ७ | २८ |
| योग .. | १३८ | २३ | १६.६ |

संसद सदस्य पदेश्वर विधान सभा

## नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८२ पर।)

नाम पाठशाला जिनमें विज्ञान की शिक्षा देने की व्यवस्था है।

राजकीय विद्यालय—

१—राजकीय दीक्षा विद्यालय, फतेहगढ़
२—राजकीय दीक्षा विद्यालय, छिबरामऊ
३—राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, फर्रुखाबाद
४—राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, पिपरागांव

नगरपालिका के विद्यालय—

५—नगरपालिका जू० हा० स्कूल, फर्रुखाबाद
६—नगरपालिका जू० हा० स्कूल, कायमगंज
७—नगर पालिका जू० हा० स्कूल, कायमगंज

मान्यता प्राप्त जू० हा० स्कूल—

८—लोदी राजपूत जू० हा० स्कूल, तिर्वागंज
९—के० के० जू० हा० स्कूल, रेजलामई
१०—ए० बी०एम० जू० हा० स्कूल, ताहपूर
११—रमेश जनता जू० हा० स्कूल, रशीदाबाद
१२—जू० हा० स्कूल लोको कालोनी, फतेहगढ़
१३—मोहन लाल शुक्ल जू० हा० स्कूल, फर्रुखाबाद
१४—व० भ० हजेला जू० हा० स्कूल, तालग्राम
१५—जनता वि० जू० हा० स्कूल, खड़िनी
१६—सुभाश जू० हा० स्कूल, नौवेमऊ
१७—गांधी जू० हा० स्कूल, भुन्ना
१८—जूनियर हाई स्कूल, नवाबगंज
१९—दयानन्द जू० हा० स्कूल, अमृतपुर
२०—के० एस० जू० हा० स्कूल, मकरन्दनगर
२१—आदर्श जू० हा० स्कूल, ठठिया
२२—गोवरधनी देवी जू० हा० स्कूल, गोधनी
२३—जनसेवक आदर्श विद्यालय, बरखेड़ा
२४—जनता जू० हा० स्कूल, रशीदाबाद, तिवारिय
२५—भारतीय वि० जू० हा० स्कूल, कायमपुर
२६—रामचन्द्र वि० जू० हा० स्कूल, फतेहगढ़
२७—बाबा चन्द्र सेन, जू० हा० स्कूल, फर्रुखाबाद
२८—प्रेम वि० जू० हा० स्कूल, प्रेमपुर
२९—सी० के० जे० एस० जूनियर हाई स्कूल बालिका विद्यालय, शमशाबाद
३०—इन्द्रा देवी गर्ल्स जू० हा० स्कूल, तिर्वागंज

जिला परिषद् जूनियर हाई स्कूल—

३१—जू० हा० स्कूल, कायमगंज
३२—जू० हा० स्कूल, भटवाया
३३—जू० हा० स्कूल, बरझाला
३४—जू० हा० स्कूल, रजलामई
३५—जू० हा० स्कूल, अमृतपुर
३६—जू० हा० स्कूल, पिपरागांव

३७—जू० हा० स्कूल, राजेपुर
३८—जू० हा० स्कूल, उड्डीखेड़ा, मकरन्द
३९—जू० हा० स्कूल, बुढ़नामऊ
४०—जू० हा० स्कूल, कमालगंज
४१—जू० हा०स्कूल, दहेलया
४२—जू० हा० स्कूल, तालग्राम
४३—जू० हा० स्कूल, बागांव
४४—जू० हा० स्कूल, छिबरामऊ
४५—जू० हा० स्कूल, सौरिख
४६—जू० हा० स्कूल, कन्नौज
४७—जू० हा० स्कूल, तिर्वा
४८—जू० हा० स्कूल, खिमसेपुर
४९—जू० हा० स्कूल, जलालाबाद
५०—जू० हा० स्कूल, शमसाबाद
५१—जू० हा० स्कूल, भोलेपुर (कन्या)
५२—जू० हा० स्कूल, छिबरामऊ (कन्या)

नाम पाठशाला जिन्हें गत पांच वर्षों में सामान्य विज्ञान के हेतु अनुदान दिया गया

| | | |
|---|---|---|
| १९६१–६२ | ३६००.०० | १—चन्द्रकुमारी ज्वाला शंकर वि० जू० हा० स्कूल, शमशाबाद |
| १९६२–६३ | ३६००.०० | २—लोदी राजपूत जू० हा० स्कूल, तिर्वा |
| १९६३–६४ | ३६००.०० | ३—जनता जू० हा० स्कूल रशीदाबाद, तिवारिय |
| १९६४–६५ | ३६००.०० | ४—दयानन्द जू० हा० स्कूल, अमृतपुर |
| १९६४–६५ | ३६००.०० | ५—भारतीय विद्यालय कायमपुर, सौरिख |
| १९६४–६५ | ३६००.०० | ६—बाबा चन्द्र सेन जू० हा० स्कूल, फर्रुखाबाद |
| १९६४–६५ | ३६००.०० | ७—प्रेमपुर विद्यापीठ जू० हा० स्कूल, प्रेमपुर |
| १९६४–६५ | ३६००.०० | ८—इन्द्रा देवी गर्ल्स जू० हा० स्कूल, तिर्वागंज |

जिला परिषद् जूनियर हाई स्कूल—

| | | |
|---|---|---|
| १९५८–५९ | ३६००.०० | १—जूनियर हाई स्कूल, खिमसेपुर |
| १९५८–५९ | ३६००.०० | २—जूनियर हाई स्कूल, कमालगंज |
| १९५८–५९ | ३६००.०० | ३—जूनियर हाई स्कूल, छिबरामऊ (कन्या) |
| १९५९–६० | ३६००.०० | ४—जूनियर हाई स्कूल, जलालाबाद |
| १९५९–६० | ३६००.०० | ५—जूनियर हाई स्कूल, भोलेपुर (कन्या) |
| १९६०–६१..... | | (कोई अनुदान नहीं दिया गया ।) |
| १९६१–६२ | ३६००.०० | ६—जूनियर हाई स्कूल, हैलिया |
| १९६२–६३..... | | (कोई अनुदान नहीं दिया गया ।) |
| १९६३–६४ | ३६००.०० | ७—जूनियर हाई स्कूल, रजलामई |
| १९६३–६४ | ३६००.०० | ८—जूनियर हाई स्कूल, बुढ़नामऊ |
| १९६३–६४ | ३६००.०० | ९—जूनियर हाई स्कूल, शमसाबाद |
| १९६३–६४ | ३६००.०० | १०—जूनियर हाई स्कूल, सौरिख |
| १९६४–६५..... | | (कोई अनुदान नहीं दिया गया ।) |

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८५ पर)

सूची, भूमि तथा सर्किल व रेट जिनके आधार पर नवगढ़ में भूमि कर निर्धारित किया गया है। भूमि के क्षेत्रों (सर्किलों) का तथा उनके रेट का ब्यौरा

| | ४ | | ५ | | ६ | | ७ | | ८ | | ९ | | एहतमाली | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| किस्म जमीन | गैर दाखिल कारी | दाखिल कारी | गैर दाखिल कारी | दाखिल कारी | गैर दाखिल कारी | दाखिल कारी | गैर दाखिल कारी | दाखिल कारी | गैर दाखिल कारी | दाखिल कारी | गैर दाखिल कारी | दाखिल कारी | गैर दाखिल कारी | दाखिलकारी |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| तेरट | ८.५ | ७.० | ८.६ | ७.४ | ८.६ | ७.० | ६.७ | ५.९ | — | — | ८.६ | ७.४ | ८.६ | ७.४ |
| ,, ३ | ७.६ | ६.२ | ७.६ | ६.४ | ७.६ | ६.२ | ५.८ | ५.० | ७.४ | ६.३ | ७.४ | ६.४ | ७.६ | ६.४ |
| ,, ४ | ६.५ | ५.३ | ६.५ | ५.५ | ६.५ | ५.३ | ४.८ | ४.२ | ६.४ | ५.४ | ६.५ | ५.५ | ६.५ | ५.५ |
| ,, ५ | ४.९ | ४.० | ४.९ | ४.१ | ४.९ | ४.० | — | — | — | — | ४.९ | ४.० | — | — |
| जड़हन १ | — | — | — | — | — | — | ६.२ | ५.५ | — | — | — | — | — | — |
| ,, २ए | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ५.७ | ४.८ |
| ,, २बी | — | — | ६.५ | ५.५ | — | — | ५.३ | ४.६ | — | — | ५.८ | ४.७ | — | — |
| ,, ३ | ४.९ | ४.० | ४.९ | ४.१ | ५.९ | ४.० | ४.३ | ३.८ | ४.८ | ४.० | ४.९ | ४.० | ४.९ | ४.१ |
| भदई १ | ४.९ | ४.० | — | — | ४.९ | ४.० | — | — | ४.८ | ४.० | ४.९ | ४.० | ४.९ | ४.० |
| कमिला २ | ३.८ | ३.१ | — | — | ३.८ | ३.१ | — | — | ३.७ | ३.१ | ३.८ | ३.१ | ३.७ | ३.१ |
| कछार १ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| कछार २ | — | — | ४.३ | ३.७ | — | — | १.९ | १.७ | — | — | — | — | — | — |
| बसुआ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | २.१ | १.८ |
| नाला १ | — | — | — | — | ४.८ | ३.९ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| कछार २ | — | — | ५.४ | ४.६ | ३.८ | ३.१ | — | — | — | — | — | — | ५.३ | ४.५ |
| कछार ३ | — | — | ३.३ | ७.८ | २.९ | २.३ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| दो फसली १ | — | — | २.९ | २.३ | — | — | — | — | — | — | — | — | ६.७ | ४.७ |
| फसल २ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ५.४ | ४.६ |

## नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८८ पर।)

### विलीनीकरण क्षेत्र नदी गांव के भूमि की श्रेणियों के सर्किल रेट का ब्यौरा बन्दोबस्त १९४३–४४ ई०, तहसील कोंच, जिला जालौन

| सर्किल संख्या भूमि की किस्म | १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|---|
| कछियाना— | | | | |
| आबी .. | ८।१२।– | ८।६।– | ८।–।– | ६।६।– |
| खाकी .. | ८।–।– | ७।१०।– | ६।६।– | — |
| मोहान— | | | | |
| आबी .. | ८।–।– | ७।१०।– | ७।४।– | ५।८।– |
| खाकी .. | ७।४।– | ६।४।– | — | — |
| तोर अव्वल .. | ७।–।– | ५।१२।– | — | — |
| तोर दोयम .. | ५।४।– | ४।४।– | — | — |
| काबर अव्वल— | | | | |
| आबी .. | ५।१०।– | — | — | — |
| खाकी .. | ५।४।– | — | — | — |
| काबर अव्वल काबिल आबी . | ५।४।– | — | — | — |
| काबर दोयम— | | | | |
| आबी .. | ५।४।– | — | — | — |
| खाकी .. | ४।१४।– | ४।१२।– | ३।१२।– | — |
| कायर दोयम काबिल आबी .. | ४।८।– | — | — | — |
| कावर अव्वल— | | | | |
| आबी .. | ५।१०।– | ५।६।– | — | — |
| खाकी .. | ४।८।– | ४।४।– | — | — |
| कावर दोयम खाकी .. | ४।८।– | ३।१२।– | ३।८।– | — |
| भार अव्वल .. | | | | |
| आबी .. | ७।–।– | ५।६।– | — | — |
| खाकी .. | ५।१०।– | ४।१४।– | — | — |
| भार अव्वल काबिल आबी .. | ६।४।– | ५।६।– | — | — |
| भार दोयम— | | | | |
| आबी .. | ५।१०– | ५।६।– | — | — |
| खाकी .. | ४।१४।– | — | — | — |
| भार दोयम काबिल आबी .. | ५।४।– | ४।१४।– | — | — |
| पडुवा अव्वल | | | | |
| आबी .. | ६।२।– | ४।१४।– | ४।८।– | — |
| खाकी .. | ५।४।– | ३।८।– | ३।४।– | — |
| पडुवा दोयम काबिलहआबी .. | ३।८।– | — | — | — |
| पडुवा दोयम— | | | | |
| आबी .. | ४।१२।– | ४।४।– | — | — |
| खाकी .. | ३।१०।– | ३।४।– | ३।२।– | — |

अध्यक्ष विधान सभा

| सर्किल संख्या भूमि की किस्म | १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|---|
| पडुवा अव्वल खाकी .. | २।८।– | — | — | — |
| पडुवा दोयम खाकी .. | १।१४।– | — | — | — |
| पडुवा दोयम माइनस खाकी .. | १।१०।– | १।४।– | — | — |
| पडुवा दोयम खाकी .. | १।१०।– | १।६।– | १।४।– | १।–।– |
| राकड़ दोयम .. | १।–।– | — | — | — |
| राकड़ दोयम .. | –।१०।– | — | — | — |
| पडुवा अव्वल काबिल आबी . | ४।८।– | ३।८।– | — | — |

विधान सभा दुर्ग

## नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९२ पर)

वाराणसी जिले की तहसील ज्ञानपुर में प्राप्त अतिरिक्त भूमि का ब्यौरा

| क्रमांक | नाम खातेदार जिसकी अतिरिक्त भूमि घोषित की गई | ग्राम जहां भूमि प्राप्त हुई | प्राप्त हुई भूमि का क्षेत्रफल | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | | | बी० बिस्वाधुर | |
| १ | श्री रामनारायण सिंह, पुत्र अयोध्यासिंह, सा० हटहरा, तहसील ज्ञानपुर । | १—करवंधिया, तहसील ज्ञानपुर । | २—७—८ | |
| | | २—नारेपार, तहसील ज्ञानपुर | ३—१५—१२ | |
| | | | ६—३—० | |
| २ | श्रीमती देवरानी, पत्नी श्री जगदम्बा पांडे, सा० मौजा कठौता, तहसील ज्ञानपुर । | १—कोम | २—३—१९ | |
| | | २—भकोड़ा | ०—६—१० | |
| | | ३—धनापुर | ०—८—१७ | |
| | | ४—चक विजयी | २—९—१७ | |
| | | ५—धारा विसम्भर पट्टी | १—७—७ | |
| | | ६—माधोपुर | ०—३—५ | |
| | | ७—बम्बई | ३—१२—१९ | |
| | | | १०—१२—१४ | |
| ३ | श्री रायबहादुर सिंह, पुत्र श्री इन्द्रबहादुर सिंह, सा० मौजा हालपुर रिसालगीर, तहसील ज्ञानपुर । | १—कसांपुर | ०—१६—१ | |
| | | २—बासूपुर | ०—२—७ | |
| | | ३—चंवर | ०—६—४ १/२ | |
| | | ४—मिसीरपुर | ०—१—० | |
| | | ५—कुरमैचा | ०—१—१६१।२ | |
| | | ६—सुधवै | ०—११—२ | |
| | | ७—गोधना | ३—७—४ | |
| | | ८—जोगिनका | ०—७—१ | |
| | | ९—जोरई | ४—१४—११ | |
| | | १०—चकहरवंपा भटान | ०—४—११ | |
| | | ११—जहांगीराबाद | ०—५—७ | |
| | | १२—बनकट | ०—१७—१२ | |
| | | १३—वनपुरवा | ०—५—४ | |
| | | १४—सुल्तानापुर | ०—१६—१ | |

| क्रमांक | नाम खातेदार जिसकी अतिरिक्त भूमि घोषित की गई | ग्राम जहाँ भूमि प्राप्त हुई | प्राप्त हुई भूमि का क्षेत्रफल | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | | १५—गंगापुर | २–१–१७ | |
| | | १६—पुरेशाप | ०–७–१ | |
| | | १७—पकरी गंगापुर | १–२–८ | |
| | | १८—जगापुर | ४–०–१९ | १/२ |
| | | १९—पूरे रजई | ४–१३–२ | |
| | | २०—चक सोन | २–३–१५ | |
| | | २१—बंजारी | –९–० | |
| | | २२—हरियांव | १११–१४–१३ | |
| | | | १४९–८–१२ | |
| ४ | सर्वश्री बिन्देश्वरी सिंह व अलग सिंह व विश्वनाथ सिंह व भगवती सिंह, सा० मौजा झभोली, तहसील ज्ञानपुर । | १—महजूदा | २–१९–१६ | |
| | | २—मझराय शाला | ७–३–० | |
| | | ३—सरायमाव सिंहपुर | २–२० | |
| | | ४—अमोली | ३–१६–१८ | |
| | | ५—भोखमापर | ३–९–१३ | |
| | | ६—एकौनी | ३–८–१७ | |
| | | | २३–०–४ | |
| ५ | श्री हिरदय नारायन सिंह वकील, सा० डेरवा, तहसील सानपुर । | १—पुरे उचित | ३–१०–० | |
| | | २—इब्राहिम उपरकार | ३–१०–३ | |
| | | ३—इब्राहिमपुर तरी | ३–६–० | |
| | | | १०–६–३ | |
| ६ | श्री अकबाल नारायण सिंह, पुत्र श्री टिझल सिंह, सा० मगादही, तहसील ज्ञानपुर । | १—कंचनपुर | २–४–१७ | |
| ७ | श्री मुरली मनोहर, पुत्र श्री शमशेर बहादुर सिंह, साकिन बिहड़ा, तहसील ज्ञानपुर । | १—गोड़ा ठकुरहिन | १–१७–२ | |
| | | २—बहुतरा खुर्द | ८–२–३ | |
| | | ३—रमईपुर | १–०–१२ | |
| | | ४—खौसा | ७–१६–१८ | |
| | | ५—गिर्द बड़गांव | ६–६–८ | |
| | | ६—नरायनपुर | १–९–१२ | |
| | | ७—दीक्षितपुर | ०–६–१ | |

| क्रमांक | नाम खातेदार जिसकी अतिरिक्त भूमि घोषित की गई | ग्राम जहां भूमि प्राप्त हुई | प्राप्त हुई भूमि का क्षेत्रफल | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | | ८—कटेहरा | १-१-९ | |
| | | ९—जल्लापुर | ३-३-५ | |
| | | १०—दल्लूपुर | १-०-१५ | |
| | | ११—कलूरपुर | २-१५-१३ | |
| | | १२—रज्जूपुर | ५-७-७ | |
| | | १३—साझपुर | ०-१-४ | |
| | | १४—रमईपुर | ०-०-१८ | |
| | | १५—खौसा | ०-६-१८ | |
| | | १६—चकौड़ा | ०-६-७ | |
| | | १७—जोगीकरी | ४-८-१ | |
| | | १८—थेगीपुर | ०-४-० | |
| | | | ४६-२-१३ | |

योग : १—खातेदार—१०
२—गांव—५९
३—क्षेत्रफल—१४७ बीघा, १८ वि०, २ धुर

सम्पूर्ण योग २४७-१८-२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९ एल० ए०—१९६५—८६२।